खण्ड-196, अंक-7
बुधवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1880
(13 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1958

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०७–५११
प्रश्नोत्तर	५११–५२९
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी गयी)	५२९–५३१
मध्य उत्तर प्रदेश में वर्षा के प्रकोप के कारण बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३१
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५८ के संबंध में प्रादेशिक सरकार की कथित उपेक्षापूर्ण तथा उदासीनतापूर्ण नीति के कारण उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई ..	५३१–५३२
फीरोजाबाद नगर में गंगा नहर की शाखा कटने के फलस्वरूप जन-जीवन खतरे में पड़ने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३२–५३३
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)..	५३३
परीक्षितगढ़, जिला मेरठ में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों के ऊपर डिग्री कराने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३३
बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में सूचना (जारी)	५३३–५३७
भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी	५३७
बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में सूचना	५३७–५३९
श्री राजनारायण द्वारा स्पष्टीकरण	५३९
साढ़े छः एकड़ तक की जोत को लगान मुक्त करने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	५३९–५७३
खसरे में काबिज की कैफियत आदि दर्ज करने का नियम समाप्त करने के लिये समिति बनाने के विषय में संकल्प (विचार जारी) ..	५७३–५७४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर	५७५
लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों, हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्सटीट्यूट, कानपुर व प्राक्कलन समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना	५७५
आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	५७५
फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से २३–३–५८ को कुछ कैदियों के पैरोल पर छोड़े जाने के संबंध में ३०–७–५८ के प्रश्न २७ और २८ के विषय पर विवाद (समाप्त)	५७५–५८१
नत्थियां	५८२–५८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--(३७२)

अक्षयबर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अ ब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद, सिंह श्री
गैंदा देवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति आम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह बिशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंग बिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में लेखपालों द्वारा गलत इन्दराज, फरेंदा व महाराजगंज तहसीलदारों के विचाराधीन मुकदमे तथा तहसीली चपरासी

*१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में अलग-अलग तहसीलों में लेखपालों द्वारा गलत इन्दराज करने की कितनी-कितनी शिकायतें १९५४ से मार्च, १९५८ तक आई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—बांसगांव में १७१, महराजगंज में २१०, फरेंदा में १८८ तथा सदर में ८५।

*२—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५६-५७ में महराजगंज तथा फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर के तहसीलदारों के इजलासों द्वारा कितने मुकदमें लिये गये हैं ? उनमें से तीन माह में कितने निर्णय हुये और कितनों को निर्णय में एक साल से अधिक समय लगा और कितने अब भी चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—९७४१ मुकदमात लिये गये। ५३२१ का तीन माह में निर्णय हुआ। किसी के निर्णय में एक साल से अधिक समय नहीं लगा। १७ अभी चल रहे हैं।

*३—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में कितने चपरासी स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री चरणसिंह—तहसील सदर में क्रमशः २३ तथा ८४, बांसगांव में ३६ तथा ९६, फरेन्दा में १३ तथा ५८ और महराजगंज में १८ तथा ५७ स्थायी तथा अस्थायी चपरासी हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लेखपालों के इन्दराज की गल्ती की शिकायतों को देखते हुये सरकार इन स्थानों पर कोई स्पेशल बन्दोबस्त करने की व्यवस्था करेगी ?

नोटः—तारांकित प्रश्न १–३ श्री मदन पांडेय ने पूछे।

श्री चरणसिंह—४ साल की ये शिकायतें हैं। इनको मैं ज्यादा शिकायत मानता ही नहीं हूं। अगर शिकायतें इससे ज्यादा नहीं हैं तो वहां के लेखपाल मुबारकबादी के मुस्तहक हैं।

श्री मदन पांडेय—जो चपरासी अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं वे कब तक स्थायी हो जावेंगे ?

श्री चरणसिंह—मैं कोई अवधि नहीं बता सकता हूं।

गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिलों में कथित आंधी तथा मिर्जापुर जिले में अकोढ़ी के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २७ अप्रैल सन् १९५८ की रात्रि में गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले में भीषण आंधी पानी से व्यापक क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या वह उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—२७ अप्रैल, सन् १९५८ की रात्रि में देवरिया जिले में कोई भीषण आंधी पानी नहीं आया। बस्ती जिले में तेज हवा के साथ मामूली बारिश हुई तथा गोरखपुर जिले में भी आंधी पानी से कोई क्षति नहीं हुई ? प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पानी से कितने की क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह—मैंने जवाब दिया है कि कोई क्षति नहीं हुई।

*५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २२ अप्रैल, सन् १९५८ को जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत अकोढ़ी ग्राम में भीषण अग्निकांड के कारण गांव का तीन-चौथाई भाग तथा लगभग ५०० मकान जल कर नष्ट हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी क्षति का वर्णन तथा किये गये सहायता कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—२२ अप्रैल सन् ५८ को जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत अकोढ़ी ग्राम में अग्निकांड के कारण केवल १५४ मकान जले तथा १,००० व्यक्ति आग से पीड़ित हुये। पूरी क्षति तथा किये गये सहायता कार्य का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

क्षति का वर्णन

१—जले हुये मकानों की संख्या	१५४
२—आग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ..	१,०००
३—हानि जो रुपये में हुई	२,१२,१४८

सहायता का विवरण

१—जिस दिन आग लगी थी उसी दिन सायंकाल से लेकर एक सप्ताह तक सौ निर्धन व्यक्तियों को आटा, नमक और मिट्टी का तेल मुफ्त बांटा गया जिस पर २१४ रुपये ७० नये पैसे खर्च हुआ।

२—५,००० बांस व ४,००० बल्लियां मुफ्त दी गईं।

३—पशुओं के लिये भूसा तथा मकान बनाने के लिये खपड़े इत्यादि खरीदने के लिये निर्धन व्यक्तियों को १२७५ रुपये की सहायता दी गई।

नोटः—तारांकित प्रश्न ४–५ श्री भुवनेशभूषण शर्मा ने पूछे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतने अधिक व्यक्ति जो बे घरबार हो गये और उनके पास कोई साधन नहीं रह गया था, तो उनको तुरन्त बसाने के लिये सरकार की ओर से कोई इन्तजाम किया गया ?

श्री चरणसिंह—जो मैंने बतलाया है वही इन्तजाम किया गया । उसी दिन शाम को तहसीलदार पहुंच गया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आग लगने का कारण क्या था और वह बुझाई कितने समय के बाद थी ?

श्री चरणसिंह—दोनों बातें मुझे इस समय नहीं मालूम हैं ।

आजमगढ़ जिले में बुढ़ापे की पेन्शन

*६—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बुढ़ापे की पेन्शन (old age Pension) अब तक कितने व्यक्तियों को दी गई है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—आजमगढ़ जिले में बुढ़ापे की पेन्शन अब तक ५६ व्यक्तियों के लिये स्वीकृत की गई है ।

*७—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले की सगड़ी तहसील में यह बुढ़ापे की पेन्शन कितने लोगों को दी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में यह बुढ़ापे की पेन्शन अब तक ४ व्यक्तियों को दी गई है ।

विक्रम काटन मिल, लखनऊ पर मजदूरों का बकाया वेतन तथा प्रावीडेंट फंड

*८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि विक्रम काटन मिल, लखनऊ के मजदूरों के बकाया वेतन तथा प्राविडेन्ट फण्ड के रुपये को मिल से मजदूरों को दिलवाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जहां तक प्रावीडेन्ट फण्ड के रुपये के भुगतान का सम्बन्ध है, रीजनल प्रावीडेन्ट फण्ड कमिश्नर ने विक्रम काटन मिल लखनऊ से प्रावीडेण्ट फण्ड की बकाया रकम वसूल करने के लिये समुचित कदम उठाये हैं । अब तक बकाया रकम का ५० प्रतिशत मिल के मालिकों से वसूल हो चुका है । श्रमिकों के जितने प्रार्थना-पत्र प्रावीडेण्ट फण्ड आर्गेनाईजेशन के पास रुपये मिलने के बारे में आये हैं, उनको तय किया जा रहा है, और जितना रुपया मालिकों से वसूल हो चुका है उस हिसाब से उनके दावे (क्लेम्स) तय किये जा रहे हैं । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । जहां तक बकाया वेतन का सम्बन्ध है मिल के बन्द होने के पश्चात् ही देय धन के भुगतान के लिये प्रभावात्मक एवम् वैज्ञानिक प्रयास किये गये । वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई । इन सब प्रयासों के फलस्वरूप जो सूचना उपलब्ध है उससे मालूम होता है कि बकाया वेतन जो ८५,४९१—०—६ था उसमें से २७,८४७.७३ न० पै० का मिल मालिकों द्वारा भुगतान किया जा चुका है । इस भुगतान की रकम में कुछ बैठकी का भी पैसा शामिल है । शेष बकाया वेतन की रकम दिलवाने के लिये बराबर प्रयास किया जा रहा है । समय अधिक बीत जाने और श्रमिकों के इधर उधर तितिर बितिर हो जाने के कारण उनकी शिनाख्त और सही पते मालूम करने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं । फिर भी सेवायोजकों को सलाह की गई है कि वे यूनियनों के शिनाख्ती प्रमाण पत्र के आधार पर श्रमिकों को रुपया दे दें । सेवायोजकों को यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि सम्भव हो तो मनीआर्डर द्वारा भी श्रमिकों के बकाया वेतन को भेज दिया जाय ।

नोट:—तारांकित प्रश्न ८ श्री भुवनेशभूषण शर्मा ने पूछा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बकाया रुपया रह गया और सरकार ने कहा कि उसके लिये प्रयास किया जा रहा है, तो वह किस तरह का प्रयास किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रम विभाग के अधिकारी उस रुपये के लिये जो कि मिल से मजदूरों को मिलना चाहिये उसके दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा बहुत दिन पहले इस मिल का लिक्वीडेशन हुआ। उसकी एक स्कीम थी जिसके मुताबिक यह हो गया कि यह मिल एकलैसी को दे दी जाय और उससे लीज का ढाई लाख रुपया लिया जाय। हाईकोर्ट ने प्रायोरिटी तय कर दी है कि किस कर्जदार को कितना रुपया किस तरह मिलेगा, जिनमें मजदूर भी हैं। उस प्रायोरिटी के हिसाब से पैसा मिलने को हम देखते रहते हैं कि उन सब बातों को मालिक कर रहे हैं या नहीं।

*९-१०—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सेकसरिया शुगर फैक्टरी, बिसवां के गन्दे पानी के निकास की सुव्यवस्था के लिये प्रार्थना

*१२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सीतापुर जिले की सेकसरिया शुगर फैक्टरी, बिसवां से निकला तमाम गन्दा पानी राजकीय योजना के अन्तर्गत बने क्वार्टरों के ठीक नीचे एकत्र होता है जिससे मजदूरों और पड़ोस के गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये हानि पहुंचती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस फैक्ट्री से निकला गंदा पानी एक तालाब में जमा होता है जो राजकीय योजना के अन्तर्गत बने क्वाटरों से लगभग १ फर्लांग के फासले पर है और उसके आस-पास कोई आबादी नहीं है। यह तालाब फैक्ट्री से एक नाले द्वारा सम्बद्ध है। सरकार के पास इस पानी के जमा होने के कारण मजदूरों तथा अन्य निवासियों के स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचने की शिकायत नहीं आई है।

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिलाधीश ने फैक्ट्री को यह सुझाव दिया है कि इस नाले को ऊपर से ढंकवा दें और गंदा पानी छोड़ने के पहले उसमें केमिकल मिला दिया करें।

बलिया जिले में रबी की फसल न बो सकने वालों को तकावी तथा लगान की माफी

*१४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में कुल ऐसी कितनी भूमि है जिसमें इस वर्ष नमी के अभाव से रबी नहीं बोई जा सकी ?

श्री चरणसिंह—लगभग १९०१९ एकड़।

*१५—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस प्रकार न बोये जा सकने वाले खेतों वाले किसानों के साथ कोई रियायत करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—रबी न बोये जा सकने वाले खेतों वाले किसानों को १,०४,००० रुपये तकावी के रूप में बांटे गए हैं तथा लगान माफ करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि लगान माफ करने के लिये कार्यवाही नियम के अनुसार १५ मई के पहले हो जानी चाहिये थी ?

श्री चरणसिंह---रेवेन्यू मैनुअल माननीय मित्र देख लें। उसका इम्तिहान देने के के लिये तो मैं यहां आया नहीं हूं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या इसके लिये कि उन लोगों से मालगुजारी वसूल न की जाय, सरकार ने कोई व्यवस्था की थी ?

श्री चरणसिंह---जी, मैं हज़ार बार अर्ज कर चुका हूं कि जब लगान माफी के लिये जिलाधीश रेवेन्यू बोर्ड को सिफारिश करते हैं तो तत्काल ही मालगुज़ारी की वसूलयाबी को स्थगित कर देते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है कि जिस मालगुजारी के सम्बन्ध में छूट का सवाल विचाराधीन है वह मालगुजारी वसूल भी की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, मुझे यह इल्म नहीं है ।

कपड़ा मिलें बन्द होने से मजदूरों में बेकारी

*१६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १-४-५७ से ३१-३-५८ तक राज्य की कपड़ा मिलों में से कितनी मिलें बन्द हुई तथा उनमें कितने मजदूर बेकार हुये ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रदेश में १-४-५७ से ३१-३-५८ तक ४ कपड़ा मिलें बन्द हुई और ६३८ श्रमिक बेकार हुए थे ।

*१७---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन बन्दियों का कारण क्या था तथा सरकार ने उसके निवारण के लिये क्या कदम उठाये ?

आचार्य जुगलकिशोर---इन मिलों की बन्दी का कारण मुख्यतः कच्चे माल की कमी, आर्थिक कठिनाइयां, पुरानी मशीनरी, व्यापारिक कठिनाइयां आदि थीं । सरकार ने उनको पुनः चालू करने के लिये पूर्ण प्रयत्न किये । चार बन्द हुई मिलों में से तीन मिलें पुनः चालू हो गई हैं । एक मिल के चलने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है । इस मिल का नाम रामचन्द्र टेक्सटाइल्स, हाथरस है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर में आपने जिन आर्थिक और व्यापारिक कठिनाइयों का जिक्र किया और कच्चे माल की प्राप्ति में दिक्कतें बतलायीं, वे किस प्रकार की दिक्कतें हैं और उनको हल करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ये केवल हमारे प्रदेश की ही दिक्कतें नहीं हैं, सारे देश में कपड़े की खपत के सिलसिले में जो समस्या उठ खड़ी हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मिलों में पुरानी मशीनरी है और फारेन एक्सचेंज के न मिलने से पुरानी मशीनरी को बदलने में बड़ी दिक्कत पड़ गयी है । कच्चे माल का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि कच्चे माल का स्रोत करीब नहीं है । जहां कच्चा माल मिलता है उसकी दूरी भी इसका कारण है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी ने कच्चे माल की प्राप्ति के सम्बन्ध में जो कठिनाई अनुभव की है, उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार को उसने कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में भेजा है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे जिसमें सभी जगह की मिलों को समान भाव से कच्चा माल मिले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह जो खास प्रश्न किया गया है, इस विषय में तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ किया गया है उसी का यह परिणाम है कि ३ मिलें चालू हो गयी हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये जो मजदूर बेकार, हैं, उनको मिल मालिकों की तरफ से आधी या कुछ कम तनख्वाह दी जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, आधी तनख्वाह तो नहीं देते हैं, लेकिन जिस तारीख को वे बेकार रहते हैं उस तारीख की छंटनी का मुआवजा उनको मिलता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस में काटन मिल का जो स्पीनिंग सेक्शन बन्द है उसे भी वे मिल बन्दी की लिस्ट में मानेंगे या नहीं मानेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक हिस्सा उसका बन्द है, पूरा बन्द नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जब उसका बड़ा हिस्सा बन्द ह और उसके करीब डेढ़ हजार मजदूर बेकार हैं, तो उसको मिल बन्दी की लिस्ट में शामिल करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं उसकी बन्दी से कोई इन्कार नहीं करता लेकिन यह तो सर्वनाश होने से आधा बचाने की बात है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये जो ४ मिलें इस प्रदेश में बन्द हैं, वे किन-किन शहरों में बन्द हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---४ मिलें बन्द नहीं हैं, ३ तो चालू हो चुकी हैं जो बन्द थीं । जो बन्द थीं उनमें ३ वाराणसी की हैं और एक हाथरस की है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कठिनाइयों के कारण पूर्णरूप से राज्य के सूती वस्त्रोद्योग पर कोई संकट न आवे इसके लिये सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारा सारा देश इस संकट में फसा हुआ है । उत्तर प्रदेश उसका एक हिस्सा है । सारे देश में कोशिश हो रही है । अभी हाल ही में कल मुख्य मंत्री जी न एक प्रश्न क उत्तर में बतलाया था और उस कोशिश में हलके-हलके कामयाबी होती नजर आ रही है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बनारस में वीविंग सेक्शन का उद्घाटन करने गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि दो तीन महीने में स्पिनिंग सेक्शन चल जायगा, लेकिन वह अभी तक नहीं चल पाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पहले हिस्से के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी प्राप्त कर लूंगा । दूसरा हिस्सा उनके उत्तर से सम्बन्धित होगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिलाने और बन्द मिलों के खुलवाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था कराने जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जितने लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं सब तो जिन्दा रहते नहीं हैं । कोई बचपन में ही मर जाते हैं, कोई अधेड़ होने पर और कोई बुढ़ापे में मर जाते हैं । सारी मिलों का हमेशा चलते रहना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, नामुमकिन है । इन मिलों की जगह पर जो इनके स्पिन्डिल्स और लूम्स वगैरः हैं कोई नया उद्योगपति, अगर उधर के मित्र कोई ऐसा उद्योगपति लाकर दे दें, जो उनको चलाने के लिये तैयार हो, तो उनको लाइसेंस दिलाने में गवर्नमेंट आफ इंडिया से हम सहायता दिलाने के लिये सदा तैयार हैं ।

*१८—श्री मदन पांडेय—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५८ में झांसी जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन ग्रामों में आग लगी तथा कितनी-कितनी हानि हुई ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

तहसील	ग्राम	जले मकानों की संख्या	जीव हानि मनुष्य	जीव हानि पशु	हानि (रुपयों में)
मोठ	उजयान	१	..	..	२५०
मऊ	मऊ	१	..	..	२००
गरोठा	एवनी	१६९	१	..	१,९४,७२०
गरोठा	कँरोखर	१	..	..	१२०
महरोनी	बरेजा	१	..	..	२,०००

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आग द्वारा पीड़ित लोगों की क्या-क्या सहायता की गई है ?

श्री चरणसिंह—आग द्वारा पीड़ित लोगों को आवश्यकतानुसार २,००० रुपये बतौर अहेतुक सहायता के तथा ५,००० रुपये बतौर तकावी दी गई। इसके अतिरिक्त जंगल से मुफ्त लकड़ी दी गई।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी एवनी ग्राम में २ लाख की क्षति का खयाल करते हैं उस गांव के लिये अपनी उदार नीति के अनुसार सहायता की मात्रा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—उदारता की सीमा रुपये की अवेलेबिलिटी पर निर्धारित हो जाती है। अब तो बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह एवनी ग्राम में जो आग लगी है वह किन कारणों से लगी है ?

श्री चरणसिंह—कारण नहीं मालूम है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एवनी ग्राम का सब से अधिक नुक्सान हुआ है तथा वह जल गया है, तो इसे नये तरीके से बसाने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जी, इसका मुझे इल्म नहीं है आया इसकी आवश्यकता है या नहीं है। यह जिलाधीश से मालूम करके बतलाया जा सकता है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार बतलायेगी कि अग्निकांड के कितने अर्से के बाद यह सहायता उन गांवों को दी गयी ?

श्री चरणसिंह—सवालों से यह ध्वनि नहीं टपकती कि बहुत देर बाद दी गयी या वक्त से नहीं दी गयी इससे मालूम होता है कि बहुत जल्द पहुंचाई गयी।

जूट मिलों के मजदूरों का निम्नतम वेतन निश्चित न होना

*२१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या श्रम-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश की जूट मिलों में काम करने वाले मजदूरों का निम्नतम वेतन निश्चित करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ऐसी समस्याओं के आने के बाद भी यह मामला सरकार के विचाराधीन क्यों नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस समय विचाराधीन नहीं है, उचित समय पर विचाराधीन होगा।

श्री प्रतापसिंह—जब कपड़े पर यह कर दिया गया तो जूट पर क्यों नहीं किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जूट मिल का आर्थिक ढांचा, उसकी स्थिति, कच्चे माल की उत्पत्ति, केन्द्र और उनकी दूरी आदि दिक्कतों से उस समय नये वेतन-क्रम लागू नहीं किये गये जब कि सूती मिलों में किये गये।

राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के विवादों का निर्णय करने के लिये नवीन व्यवस्था की रूपरेखा

*२२—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के विवादों को हल करने के लिये कोई नयी व्यवस्था स्थापित करने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, रूपरेखा से सम्बन्धित विज्ञप्तियां † संलग्न हैं।

आजमगढ़ जिले में एक लेखपाल की नियुक्ति न होना

*२३—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५५ की लेखपाल परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक लेखपाल पद पर नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—एक, जो लापता है।

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में असमानता दूर करने की प्रार्थना

*२४—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—करीब १८ लाख ४० हजार।

*२५—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार खेतिहर मजदूरों के कल्याणार्थ कोई विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—इस प्रदेश में १८,४०,००० खेतिहर मजदूर हैं क्या सरकार के पास कोई आंकड़े हैं जिनसे यह पता चल सके कि जिलेवार उनको क्या मजदूरी दी जाती है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न २१ श्री प्रतापसिंह ने पूछा।

†छापी नहीं गईं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वक्त यह सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के पास जिलेवार मजदूरी की सूचना के आंकड़े मौजूद हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रदेश के जिलों में जो खेतिहर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसमें काफी असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—असमानता है यह तो ठीक है। इस असमानता को दूर करने के लिये जो बहुत कम वेतन वाले इलाके थे उनके १२ जिलों में हमने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत इन श्रमिकों की मजदूरी को निर्धारित कर दिया है। इससे उम्मीद की जाती है कि जहां तक उन जिलों का सम्बन्ध है उनके श्रमिकों की मजदूरी का जो स्तर है वह औरों के मुकाबले में कुछ ऊपर हो जायगा और बाकी सूबे में भी यह दिक्कत न रहे इसके लिये ५० एकड़ से ऊपर के सभी फार्मों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के द्वारा कम से कम वेतन की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलायेगी कि खेतिहर मजदूरों की संख्या की गणना उसने कब कराई थी और किस तरह से करायी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सन् ५१ के सेन्सस से सब बातें मालूम हुई हैं।

श्री राजनारायण—जो १८,४०,००० की सूची दी गयी है ये खेतिहर मजदूर हैं या खेत मजदूर हैं ? सरकार खेतिहर मजदूर व खेत मजदूर में भी कोई फर्क समझती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक कि १९५१ के सेन्सस का सम्बन्ध है उसमें इस तरह की अलग-अलग सूचना उपलब्ध हो सकती है। मुझे उसकी जानकारी इस वक्त नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे इन आंकड़ों का सम्बन्ध है इसमें दोनों किस्म के मजदूर हैं जिनके पास खेत हैं और मजदूरी भी करते हैं और जिनके पास खेत नहीं हैं और खेतों पर काम करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी सबसे अधिक संख्या किस जिले में है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी हाल की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रदेश में सब से खराब हालत खेतिहर मजदूरों की पर्वतीय जिलों में है और ताज्जुब है कि वे किस प्रकार जिन्दा रहते हैं, क्या इसकी कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि किसी रिपोर्ट में यह लिखा गया हो कि न मालूम कैसे वे जिन्दा रहते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि जो पर्वतीय इलाके हैं उसमें तराई भावर के क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम के द्वारा वेतन निश्चित कर दिया गया है, बाकी क्षेत्रों में अभी नहीं किया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि खेतिहर एवं खेत विहीन मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व श्री महीलाल जी ने जो एक असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था उसके सिलसिले में सरकार ने यह कहा था कि वह इसके सम्बन्ध में एक विधेयक लायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे तो इसके सम्बन्ध में कुछ याद नहीं है। मैं मालूम कर लूंगा कि क्या कहा गया था।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में जो लेबर इंसपेक्टर्स मुकर्रर किये गये हैं उनके जिम्मे खेतिहर मजदूरों का कुछ कार्य सौंपा गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, सारे प्रदेश के हर जिले में न्यूनतम वेतन अधिनियम के द्वारा जो वेतन निश्चित है उनके दिये जाने न दिये जाने की शिकायतें आदि को यह इंस्पेक्टर सुनता और देखता है ।

*२६—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[५ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम—[हटा दिया गया।]

*२८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले में चिताराही ग्राम का डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी द्वारा निरीक्षण

*३०—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर, सन् १९५७ ई० में डिप्टी डायरेक्टर पूर्वी क्षेत्र (चकबन्दी), डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती ने चिताही ग्राम का निरीक्षण २१-११-५७ को किया था ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*३१—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि निरीक्षण के उपरान्त डिप्टी डायरेक्टर ने मौके पर ही ग्राम वालों को यह आदेश सुना दिया था कि इस ग्राम की चकबन्दी धारा ८ से निरस्त की गई तथा परताल से काम प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री चरणसिंह—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी (पूर्वी क्षेत्र) ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था।

*३२—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि उस आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी उस निरीक्षण रिपोर्ट को प्रकट करेंगे जो डिप्टी डायरेक्टर ने उस ग्राम का निरीक्षण करने के पश्चात् दी है ?

श्री चरणसिंह—अब निरीक्षण रिपोर्ट तो मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि डिप्टी डायरेक्टर दिसम्बर, सन् ५७ में गये थे और कब्जा बदला जा चुका था जून, सन् ५७ में। तो उसके बाद फिर उसको अजसरे नौ करने का सवाल उठता नहीं, ऐसे गांवों का।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि निरीक्षण रिपोर्ट के पश्चात् डिप्टी डायरेक्टर जिलाधीश के पास पहुंचे और पुलिस सहायता मांगी कि उस गांव की वह पुनः पड़ताल कराना चाहते हैं, उन्हें पुलिस दी जाय ?

श्री चरणसिंह—यह मुझको इल्म नहीं है। हो सकता है कि उसके विचार में रहा हो, लेकिन विचार ने इरादे का रूप धारण न किया हो।

*३३-३५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[११ अगस्त, १९५८ में प्रश्न संख्या १३६-१३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

जेलों की स्थानीय गल्ला क्रय समितियां

*३६--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो सामान ठेकेदारों से लिये जाते हैं उसको खरीदने के लिये कोई सलाहकार समिति बनी हुई है ?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री(श्री मुजफ्फर हसन)--जी हां।

प्रत्येक जिले में जेलों की आवश्यकता के लिए अनाज व और चीजों को खरीदने का काम एक स्थानीय गल्ला क्रय समिति कन्ट्रोल करती है।

*३७--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसकी बैठक कब-कब होती है ?

श्री मुज़फ्फर हसन--समितियों के निम्नलिखित सदस्य होते हैं :--

(१) जिलाधीश या उनके द्वारा नामज़द मैजिस्ट्रेट,
(२) अधीक्षक केन्द्रीय कारागार (जहां पर हो),
(३) अधीक्षक जिला जेल,
(४) जिला सहकारी अफसर,
(५) जिला कृषि अधिकारी,
(६) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नामज़द विधान सभा का एक सदस्य,
(७) जिलाधीश द्वारा सालाना नामज़द एक ऐसे गैर सरकारी निरीक्षक जो विधान सभा के सदस्य न हों,
(८) जिलाधीश द्वारा सालाना नामज़द एक गैर सरकारी ऐसा व्यक्ति जो कि जहां तक हो सके एक ऐसा व्यापारी हो जिसका गल्ले के व्यापार अथवा जेल के ठेकों से सम्बन्ध न हो ।

समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होती रहती हैं ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके उत्तर में जो नवम्बर, ६, ७ और ८ पर हैं उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तो अलग-अलग जिलों में अलग अलग लोग हैं। पूरे सूबे का यह जवाब है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार जिस ढंग पर यह समिति संगठित हो रही है उसमें परिवर्तन करेगी और गैरसरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ायेगी कि जो सही मानों में यह जानकारी रखते हों कि गल्ला कहां अच्छा मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस फहरिस्त में सहकारी अफसर हैं, कृषि अफसर हैं और ऐसे नुमाइन्दे हैं कि जिनका तिजारत से ताल्लुक है और जिनका जेल के ठेके से सम्बन्ध नहीं है। यह सब ऐसे लोग हैं जो इस विषय में अधिक जानकारी रखते हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जेल में ६,७ और ८ के नाम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस समय तो मेरे लिये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो नाम बता दिये जायेंगे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि जो सलाहकार समिति बनाई गई है उसकी बैठक में चुने हुये आदमी बिल्कुल नहीं जाते ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बनारस जिला जेल की जो सलाहकार समिति कार्य करती है उसकी कोई शिकायत आई है सरकार के पास ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास तो नहीं आई।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार के सामने किसी स्टेज पर कोई ऐसे सुझाव आये थे कि जेलों में सामान ठेकेदारों से न लेकर कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा खरीदा जाय ? उस पर क्या विचार हुआ और अगर यह सुझाव नामंजूर हुआ तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह चीज आई थी और उस पर फैसला हुआ था कि सहकारी समितियों से लिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या यह सही है कि बिना टेंडर मांगे ही जेलों में गल्ला खरीद लिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या ऐसा कोई सरकारी आदेश है कि वहां गल्ला सहकारी समितियों के द्वारा खरीदा जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सहकारी समितियों से गल्ला खरीदने के आदेश कब से दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसी साल २८-३-५८ को केन्द्रीय समिति ने यह फैसला किया है।

*३८—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९-४१—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी

*४३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में पहले कितने गांवों में चकबन्दी करने की योजना थी, अब कितने ग्रामों में चकबन्दी की जायगी ?

श्री चरणसिंह—शाहगंज तहसील में ७३५ गांवों में चकबन्दी करने की योजना, थी, किन्तु अब केवल ७१२ ग्रामों में चकबन्दी की जायेगी। शेष २३ गांव नदी के बहाव से प्रभावित होने के कारण चकबन्दी के योग्य नहीं हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि नहरों के किनारे पड़ने वालों गांवों में चकबन्दी का काम बन्द किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—बन्द नहीं किया जा रहा है बल्कि १०९ गांवों में फिलहाल करने का इरादा नहीं है, लेकिन किया जायगा।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन १०९ गांवों की चकबन्दी फिर कब की जायगी ?

श्री चरणसिंह—जब नहर निकल जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों में से नहर निकल रही है तो उन गांवों के पूरे रकबे में से जितनी जमीन में नहर पड़ेगी उसको निकालकर चकबन्दी की जायगी ?

श्री चरणसिंह—हां, यह तो है ही । नहर, सड़क और आबादी के अन्दर जो जमीन है वह चकबन्दी में थोड़े ही शामिल होगी ।

न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम प्रवर्त्तन के लिये श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति

*४४—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये कितने अधिकारी जिलों में रखे गये हैं और कहां-कहां ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ का प्रतिपालन देखने के लिये ८१ श्रम निरीक्षक, ७ प्रादेशिक संराधन अधिकारी, १५ अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, १ प्रति श्रमायुक्त, २ सहायक श्रमायुक्त तथा १ प्रति-प्रमुख दुकान निरीक्षक नियुक्त हैं । प्रत्येक जिले में जो अधिकारी नियुक्त हैं उनकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८२–५८३ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि इस प्रदश के कुछ जिलों में यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से जिले हैं और उनमें लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तीन पहाड़ी जिलों को छोड़कर, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा, बाकी सब जगह यह लागू है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कुछ जिले बलिया जैसे ऐसे हैं जहां आज तक निरीक्षक नहीं रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस काम की व्यवस्था के मुताबिक जैसा कि सरकार अनुमान लगाती है कि कहां कैसे इंतजाम हो सकता है, उसके मुताबिक आदमी रखते हैं । जिले के लिये आदमी नहीं रखे जाते हैं बल्कि काम के लिये रखे जाते हैं ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि इस अधिनियम के अन्दर जहां यह लागू हुआ है अभी तक कोई चालान नहीं हुआ है और किसी को सजा भी नहीं मिली है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, यह गलत है कि किसी को सजा नहीं मिली है । बल्कि वाकया यह है कि हमारे प्रदेश में इतनी कम शिकायतें आई हैं कि हमें ऐसा लगता है कि और काम न हो तो यह अधिकारी बेकार ही हो जायं ।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायंगे कि इक्का-दुक्का जो खेतिहर मजदूर काम करते हैं, उन पर भी यह अधिनियम लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने निवेदन किया कि प्रदेश के १२ जिलों में यह अधिनियम सब मजदूरों पर लागू है । शेष जिलों में ५० एकड़ से ऊपर के खेतों पर लागू है सिवाय पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जैसे गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और टेहरी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पहाड़ी जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वहां खेती की व्यवस्था, उसका ढांचा तथा उत्पादन के संबंध में कुछ जटिल प्रश्न हैं जो सारे के सारे ध्यान में रखने होंगे जब न्यूनतम वेतन पर विचार किया जाय। अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाये हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अधिनियम को प्रदेश के सारे जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जबाव दे दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी उन १२ जिलों के नाम बतायेंगे जहां यह अधिनियम लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१२ जिलों के नाम तो मुझे मालूम नहीं हैं। बुन्देलखंड के इलाके के सभी जिलों और करीब के इलाकों में यह लागू है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं सूचना दे दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरे में यह लागू है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आगरे में यह लागू है जैसा कि मैंने कहा। लेकिन सब फार्मों पर लागू है या नहीं, यह मेरे पास सूचना नहीं है। ५० एकड़ से ऊपर वाले फार्मों पर यह निश्चित रूप से लागू है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन १२ जिलों में यह कानून लागू है उनमें जो संगठित फार्म हैं उनके अलावा जो फुटकर मजदूर काम करते हैं उनके ऊपर भी लागू होते हुए यह अमल में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अमल में इतना अच्छा आ रहा है कि कोई शिकायत नहीं आ रही है। इससे जाहिर है कि खासा अमल में आ रहा है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता है कि बनारस जिले में खेत मजदूरों को अब भी ४ रुपये, ६ रुपये महीने तनख्वाह मिलती है और बनारस जिला भी उन जिलों में शामिल है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ब्यौरेवार सूचना मेरे पास नहीं है कि बनारस के सब फार्म्स पर लागू है या नहीं, लेकिन यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो उन्हें सूचना मिल जायगी।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रम में संशोधन न होना

*४५—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन-क्रम में किसी प्रकार का संशोधन करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

श्री चरणसिंह—सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में आम तौर पर संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि आम-तौर से संशोधन करने का विचार नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों में किसी पद पर किसी प्रकार का संशोधन करने का विचार हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—"मैंने आम तौर पर "शब्द यों कहा कि इतनी सारी राज्य सेवाएं हैं और उनमें मुख्तलिफ वर्ग के राज्य कर्मचारी काम करते हैं, तो किसी न किसी वर्ग की ओर से बराबर यह दरख्वास्त रहती है कि हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाय ।

इलाहाबाद जिले की सोरांव तहसील में चकबन्दी का कथित विरोध

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में किन-किन तहसीलों में चकबन्दी का बन्दोबस्त किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—इस समय इलाहाबाद जिले की केवल सौरांव तहसील में चकबन्दी का कार्य हो रहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार के पास सोरांव के काश्तकारों ने जिस प्रकार से चकबन्दी हो रही है उसकी शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—मेरे पास तो कोई खास शिकायत सोरांव से नहीं आयी है । ऐसे छोटी-मोटी शिकायतें सोरांव से क्या हर जगह से आती रहती हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि वहां ९० परसेंट काश्तकार जहां चकबन्दी हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं और वहां काम ठप्प पड़ा है ?

श्री चरणसिंह—काम ठप नहीं पड़ा हुआ है । चल रहा है । इतना मुझे मालूम है कि माननीय मित्रों के दोस्तों ने अभी एक बड़ी मीटिंग चकबन्दी के खिलाफ करने की कोशिश की ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने दिनों से चकबन्दी वहां हो रही है और अब तक कितने गांवों में हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह—वहां कोई ढाई साल से काम चल रहा है और कितने गांवों में हुई है वह मैं ठीक इस समय नहीं बता सकूंगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बाकी तहसीलों में कब से चकबन्दी का काम शुरू होगा ?

श्री चरणसिंह—इस तहसील में जब चकबन्दी खत्म हो जाय तब दूसरी तहसील में करने का विचार होगा, लेकिन माननीय मित्र तो दोनों बातें कह रहे हैं । किसान नाराज भी हैं और दूसरी तहसील में ले जाना भी चाहते हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोरांव तहसील से मिली हुई प्रतापगढ़ जिले की तहसीलों में भी यह काम शुरू होने वाला है ?

श्री चरणसिंह—इस वित्तीय वर्ष में किसी नये जिले में चकबन्दी का काम आरम्भ नहीं किया जायगा । अगले वर्ष कुछ जिलों को लेने का विचार है । उसमें प्रतापगढ़ जिला आयेगा या नहीं आयेगा अभी से नहीं कहा जा सकता । लेकिन माननीय मित्र और उनके दोस्तों की अगर बहुत प्रबल इच्छा हुई तो विचार अवश्य किया जायगा ।

कानपुर जिले से बुढ़ापे की पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*४७—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में कितने लोगों को वृद्धता (old age) की पेन्शन प्रदान किये जाने की आज्ञा जारी की गई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४७–४८ श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अभी तक १०७ व्यक्तियों को ।

*४८—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—उपरोक्त पेन्शन की प्राप्ति के प्रार्थना-पत्र कानपुर जिले से कितने आये हैं तथा उनमें कितने अभी विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिलाधीश कानपुर के यहां पेन्शन प्राप्ति के लिये कुल ६९५ प्रार्थना-पत्र आये और इनमें से १३१ अभी विचाराधीन हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब ६०० से अधिक प्रार्थना-पत्र दिये गये तो कितने प्रार्थना-पत्रों को इन्कार कर दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—६९५ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास आये, जिनमें से ४०२ उन्होंने अस्वीकृत कर दिये । १७० अपनी सिफारिश के साथ श्रम आयुक्त को भेजे । १०७ उन्होंने स्वीकार किये, १४ को अस्वीकार कर दिया, ४१ जिलाधीश के पास पुनः विचार के लिये भेज दिये, शेष श्रम आयुक्त के पास विचाराधीन हैं ।

श्री राजनारायण —क्या सरकार को यह मालूम है कि कानपुर के जिलाधीश ने जिन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कर दिया उनमें एक यह भी कारण था कि उनकी लड़की जिन्दा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, यह हो सकता है । मेरे पास डिटेल तो नहीं है लेकिन जहां किसी-किसी व्यक्ति की लड़की जिन्दा होती है और उसकी सामाजिक व्यवस्था के अन्दर ऐसी रोक नहीं है कि वह आदमी अपनी लड़की के यहां रह सकता है या उसका दिया हुआ धन ले सकता है, उस केस में लड़की के होने की वजह से, उस प्रार्थना-पत्र पर पेंशन नहीं दी जाती ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सरकार जिलाधीश द्वारा अस्वीकार किये गये प्रार्थना-पत्रों की फिर से जांच करायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इसकी कोई आवश्यकता तो नजर नहीं आती ।

गोंडा जिले में परगनाधीश उतरौला के विचाराधीन एक चपरासी के पीटे जाने का मुकदमा

*४९—श्री बलदेवसिंह—उतरौला तहसील, जिला गोंडा, के एक चपरासी को सरकारी कार्य करते समय मारे जाने की रिपोर्ट के सम्बन्ध में दिनांक २७ मार्च, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सिलसिले में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामला किस तिथि को, किस नम्बर पर और किसकी अदालत में दायर हुआ ?

श्री चरणसिंह—सम्बन्धित मामला परगनाधीश उतरौला, के न्यायालय में १४ अप्रैल, १९५८ को पहुंचा और मिसिल नं० २६४ पर दर्ज हुआ है ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चपरासी ने कम्पलेन्ट दायर की है या पुलिस ने चालान किया है ?

श्री चरणसिंह—गालिबन पुलिस ने चालान किया है । मैं ठीक नहीं कह सकता मैंने आज फाइल नहीं देखी । कुछ समय पहले देखी थी ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनका पहले का जवाब जो २८ तारीख को मिला और आज का यह दोनों जवाब गलत हैं बल्कि मामला दाखिल दफ्तर हो गया और मामला अदालत में नहीं है, मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह--इसके पहले सवालों की मिसिल मेरे सामने नहीं है, इसलिये मैं इसका ठीक जवाब नहीं दे सकता ।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी मेरी बात को सूचना मानकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह जवाब उनके अधिकारियों ने उनको गलत दिया है ?

श्री चरणसिंह--जैसा मैंने अर्ज किया, मैंने कुछ दिन पहले इस फाइल को देखा था ऐसा मुझे याद पड़ता है । आज वह फाइल दफ्तर में नहीं आई तो मैं उसको देख नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य की सूचना यह है कि यह मामला अदालत के सामने नहीं है तो क्या आप इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह--अगर यह जवाब गलत है तो वहां से गलत जवाब क्यों आया मैं इसके बारे में जांच कराऊंगा ।

जौनपुर जिलान्तर्गत शाहगंज तहसील में मालगुजारी व लगान में छूट

*५०--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में जिन गांवों में नहर अभी खोदी जा रही है या खुद जाने पर पानी नहीं पहुंचा है उनमें अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के कारण दी जाने वाली लगान की छूट नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--सम्बन्धित ग्रामों में से जिन ग्रामों में फसल की क्षति के अनुसार नियमानुकूल मालगुजारी व लगान में छूट दी जा सकती है उनको बराबर छूट दी जा रही है । प्रश्न के दूसरे खंड के उत्तर देने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

चकबन्दी विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति

*५१--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के चकबन्दी विभाग में नीचे लिखे पदों पर कितने-कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्गों के हैं:

ए० सी० ओ०
चकबन्दी आफिसर,
कानूनगो,
अमीन,
क्लर्क,
चपरासी,
रनर ?

श्री चरणसिंह--सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिलान्तर्गत शाहगंज तहसील में चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जानकारी

*५३--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी कार्यारम्भ से अब तक कितने ए० सी० ओज० के विरुद्ध शिकायतें आईं, उनमें कितनी रिश्वत की थीं तथा कितनी कार्यशैथिल्य की तथा कितने ए० सी० ओ० इस शिकायत के कारण निकाले गये ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी सूचना उपलब्ध होने के बाद उसकी एक प्रति मुझे देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--अवश्यमेव ।

झांसी कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारी

*५४--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि कलेक्टरी झांसी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि १० वर्ष से अभी तक अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ? अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनायी है ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना एकत्र करने में सरकार को ऐसी क्या कठिनाई हुई कि सूचना एकत्र न हो सकी ?

श्री चरणसिंह--माननीय मित्र ने एक सीधा-सादा सवाल नहीं पूछा है, बल्कि यह भी पूछा है कि क्या कठिनाई है । तो इसलिये उस कठिनाई का कारण बतलाने में कुछ देर लग रही है और कलेक्टर की तरफ से भी पूरा जवाब आया नहीं है । इसलिये मैंने यह जवाब दिया ।

रबी की फसल में क्षति वाले जिले

*५५--श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश में रबी की फसल सन् १३६५ फसली आठ आने से अधिक बरबाद हो गई है और इसके कारण भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

श्री चरणसिंह--पूर्वीय उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नहीं बल्कि केवल जिला वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, और इलाहाबाद के कुछ ग्रामों में १३६५ फसली की रबी की फसल की आठ आने से अधिक क्षति पहुंची है। इन जिलों में भयंकर अकाल की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

*५६--श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अकाल से बचने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह--चूंकि अकाल की कोई स्थिति नहीं है, इसलिये प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

पट्टा आराजी गलत बनाने के संबंध में प्रधान ग्राम समाज बाढ़ान के विरुद्ध जिलाधीश मथुरा के पास शिकायत

*५७--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, मथुरा, के पास हाल में कोई शिकायत प्रधान ग्राम समाज, मौजा बाढ़ान, परगना माठ, जिला मथुरा के विरुद्ध इस हेतु आई है कि उन्होंने नियम के विरुद्ध आराजी का पट्टा कर दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह--जी हां । कायदे के खिलाफ किये गये पट्टे को रद्द कर दिया गया और आदेश दिया गया कि पट्टेदारान से आराजी वाली करा कर वापस ले ली जाय ।

मैनपुरी जिले में लेखपालों का स्थायित्व

*५८--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में नवम्बर व दिसम्बर, १९५७ ई० में जो लेखपाल उम्मीदवारों की हैसियत से कार्य कर रहे थे उनमें कितनों को मुस्तकिल किया गया है और कौन-कौन से आधार पर मुस्तकिल किया गया है ?

श्री चरणसिंह––१२ लेखपालों को मुस्तकिल किया गया क्योंकि परीक्षणकाल में इनका कार्य संतोषजनक था ।

श्री गनेशचन्द्र काछी––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि सीनियारिटी-जूनियारिटी का खयाल न करके जिन लेखपालों का काम संतोषजनक हुआ करता है, उन्हीं को मुस्तकिल किया जाता है ?

श्री चरणसिंह––सीनियारिटी का खयाल जरूर किया जाता है, लेकिन अगर कोई सीनियर आदमी का काम बिलकुल असंतोषजनक हो तो उसके मुकाबले में जो जूनियर है उसको मुस्तकिल कर दिया जाता है ।

महिलाओं को कृषि संबंधी प्रशिक्षण देने की जानकारी

*५९––**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत**––क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महिलाओं को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन- किन जिलों में ?

सामाजिक कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)––वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८४ पर)

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत––क्या माननीया मंत्राणी जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो महिलायें, ट्रेनिंग ले चुकती हैं उनसे खेती का काम कहीं आरम्भ कराया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––जी नहीं, ग्राम सेविकाओं को कुछ ट्रेनिंग खेती-बाड़ी के बारे में दी जाती है । वह गांवों में जब ग्राम सेविका का काम करती हैं तो वहां की बहनों को उसकी जानकारी करा देती हैं ।

श्री प्रतापसिंह––क्या माननीया मंत्राणी जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो हौलबाग में महिलाएं ट्रेनिंग पा रही हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––क्या माननीया मंत्राणी जी सदन की जानकारी के लिये मूल प्रश्न के उत्तर को पढ़ने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पृथ्वीगंज, जिला प्रतापगढ़, बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, ज्योलीकोट, जिला नैनीताल, बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दोहाई, जिला मेरठ, गृह अर्थ विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, सरोजनी नगर, जिला लखनऊ , और गृह अर्थ विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र दोहाई, जिला मेरठ ।

अतारांकित प्रश्न

*१––**श्री गज्जूराम**––[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित लिया गया ।]

सिचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष––श्री रामस्वरूप वर्मा ने, सिंचाई मंत्री जी ने जो उत्तर दिये हैं, उनके संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है कि जो उत्तर दिये हैं, जान बूझ कर गलत दिये हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि वह उपस्थित किया जाय क्योंकि यहां पर यह नहीं माना जाता कि जो उत्तर कोई देता है तो जानबूझ कर झूठ बोलता है । इस तरह से तो

[अध्यक्ष]

रोज हर एक मंत्री के ऊपर कोई समझे कि उत्तर गलत मिला तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है। अगर माननीय सदस्य को उसका प्रतिवाद करना है तो फिर से नए प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण होने पर उन पर विवाद की अनुमति लेकर कर सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--कृपा करके मुझे भी दो मिनट बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें जब तक कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं और अगर ऐसा प्रश्न किसी को उठाना है तो पूरी तरह से उसका सबूत होना चाहिये कि किस तरह उत्तर जानबूझ कर झूठ दिया गया है और उसको पूरी जिम्मेदारी लेकर यहां आना चाहिये। अगर वह आक्षेप असिद्ध होता है तो इस तरह के विशेषाधिकार का सवाल उठाकर जो सदस्य ऐसा चार्ज लगाता है, उसके ऊपर भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है कि झूठ चार्ज लगाया गया है। इस तरह की बात हो सकती है, इस प्रकार यह लम्बा प्रोसेस होगा। अगर इस तरह की चीज शुरू हो जाय कि हर एक सदस्य जो यहां बात कहता है उसे झूठ कहता है, ऐसा अन्य सदस्य कहने लगें, तो मैं समझता हूं कि इस सदन का वादविवाद का कार्य खत्म हो जायगा और यह बार-बार मैंने देखा है कि श्री राजनारायण या उनकी पार्टी के और सदस्यगण इस तरह का प्रयत्न बार-बार करते हैं कि फलां मंत्री ने झूठ कहा इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। मैं इस बात को माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि यहां की प्रथा को अगर इस तरह से बेपरवाही की जायगी तो आइन्दा दूसरे लोगों को भी यह मौका मैं दे दूंगा कि वे प्रश्न उठा सकें कि जिसने यह विशेषाधिकार का ऐसा झूठा चार्ज लगाया है और किसी अन्य सदस्य के कथन को झूठा कहा है, उसने सदन का अपमान किया है, इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न उसके विरुद्ध उठाया जाय। इस प्रकार का भी प्रश्न उठाया जा सकता है। क्योंकि यदि बार-बार इस तरह के विशेषाधिकार के प्रश्न प्रश्नों के उत्तरों के बारे में, या जो भाषण दिये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में जो सदस्यों को कहने की आजादी प्राप्त है। उसको खत्म करने के लिये अगर इस तरह के प्रश्न उठायें जायेंगे तो जो भाषण स्वातंत्र्य इस सदन में है उसका ही अपहरण हो सकता है। इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसका कोई भी सबूत किसी किस्म का माननीय सदस्य ने नहीं दिया कि किस प्रकार उनकी जानकारी है कि उत्तर गलत है और संबंधित मंत्री ने किस प्रकार जान बूझ कर झूठ कहा है जिसके आधार पर कि चार्ज लगाया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मुझे भी अपनी बात दो मिनट में कहने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप पहले नियम को देखें कि उसके लिये क्या व्यवस्था है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं सबूत देने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, उनको स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, बाद में उसका मौका मिलेगा।

श्री राजनारायण--क्यों ?

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री राजनारायण--मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे जितने विशेषाधिकार के प्रश्न हैं उनको आप सदन के सामने रख दें, मैं उस दंड को भोगने के लिये सहर्ष तैयार रहूंगा।

श्री अध्यक्ष---अब मैं ऐसा ही करूंगा ।

श्री राजनारायण---हमारा यह दावा है कि....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---अगर इस तरह बे बुनियाद ऐसे प्रश्न उपस्थित करने की ज्यादती होगी तो मैं भविष्य में उसके लिये मौका नहीं दूंगा और जो दूसरा कोई विशेषाधिकार का प्रश्न ऐसे श्न उठाने वाले के विरुद्ध उठाना चाहेगा तो मैं उसको इजाजत दे दूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, हम सही हैं, हमारा निवेदन है कि हमारे विरुद्ध इस तरह का प्रश्न उठाया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं । अगर आप फिर उठे तो मुझे आपको सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा ।

मध्य उत्तर प्रदेश में वर्षा के प्रकोप के कारण बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राजेन्द्र सिंह जी का कामरोको प्रस्ताव है :---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि मध्य यू० पी० अर्थात् अवध में भी वर्षा के भीषण प्रकोप के कारण अनेक व्यक्ति मर चुके हैं....." आदि आदि ।

यह भी बाढ़ के सम्बन्ध में है । मैंने कल कह दिया था कि माननीय मंत्री जी बाढ़ से जो उत्पन्न परिस्थिति है उसके सम्बन्ध में आज संक्षेप में सूचना दे दें तो अच्छा है क्योंकि सदस्य गण को इस विषय में बहुत दिलचस्पी भी है और वे अवकाश मिलने के कारण अपने-अपने घर वापस भी जा रहे हैं । ऐसे मौके पर यह उचित होगा कि उनको आजतक की सूचना जहां-जहां बाढ़ें आयी हैं दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५८ के संबंध में प्रादेशिक सरकार की कथित उपेक्षापूर्ण तथा उदासीनता पूर्ण नीति के कारण उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा राजनारायण जी का है :---

"बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अध्यादेश, सन् ५८ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब जो उपेक्षा और उदासीनता की नीति अपनायी है उससे वहां के विद्यार्थियों में तथा प्रदेश और देश के शिक्षा-प्रेमियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया है, फलस्वरूप वाराणसी में नित्यप्रति सभा, प्रदर्शन, जुलूस निकल रहे हैं । और गत ११ अगस्त से श्री शिवदास तिवारी नामक छात्र अनशन पर भी बैठ गया है जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

[श्री अध्यक्ष]

अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से उत्पन्न महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं यह जानना चाहता हूं राजनारायण जी से कि इसमें कौन सा निश्चित विषय है जिसके ऊपर आप बहस करना चाहते हैं। अध्यादेश पर तो आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार का है, उसका इसमें जिक्र हुआ है। प्रादेशिक सरकार ने क्या उपेक्षा की यह आपने स्पष्ट नहीं किया है वह बतला दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक पत्र मैंने स्थिति को स्पष्ट करते हुये आपको लिखा था कि १४ जून को जो अध्यादेश जारी हुआ वह काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला भी आता है हमने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की जो राय हो उसको माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करें। उन्होंने उस समय हमसे केवल इतना ही कहा कि हम जो कुछ भी उचित होगा केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे और राय को इस समय व्यक्त नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप यह बतावें कि किस प्रकार से उस अध्यादेश की उपेक्षा प्रादेशिक सरकार ने की ?

श्री राजनारायण—उस अध्यादेश से यहां के छात्रों का सम्बन्ध है और पूर्वी यू०पी० और बिहार के तमाम पश्चिमी हिस्सों से सम्बन्ध है। सरकार से सम्बन्ध रखती हुई बातें मुदालियर कमेटी रिपोर्ट आयी हैं और उसी के आधार पर वह अध्यादेश बना है। तो मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को उस पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिये कि यहां पर जो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट आयी है वह किस तरह से अनुचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ने अब तक जो राय जाहिर नहीं की है और कोई सिफारिश भी अभी तक नहीं भेजी है वह स्पष्ट ही अनुचित है क्योंकि शान्ति और व्यवस्था का सम्बन्ध इसी सरकार से है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। उपेक्षा और उदासीनता की नीति से आपका मतलब तो मैं यह समझा कि अध्यादेश की कोई जिम्मेदारी इस सरकार पर आ जाती थी, जिसको उन्होंने परवाह नहीं की है और उपेक्षा करने से कोई परिणाम हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यादेश के सम्बन्ध में यहां कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता क्योंकि वह केन्द्र से सम्बन्ध रखता है। उसके सम्बन्ध में अगर सिफारिश करना है और अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि सिफारिश नहीं हुई है तो किसी असरकारी दिन के लिये वे प्रस्ताव भेज दें जिसमें सरकार से कहा जाय कि इस तरह की सिफारिश की जाय। लेकिन कामरोको प्रस्ताव लाकर अपनी उपेक्षा और जिम्मेदारी सरकार के ऊपर लादकर फिर उसको सरकार की उपेक्षा कहना मैं अनिश्चित विषय समझता हूं और इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

फीरोजाबाद नगर में गंगा नहर की शाखा कटने के फलस्वरूप जन-जीवन खतरे में पड़ने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ लहरी जी का है "फीरोजाबाद नगर से आधा मील दूर बहने वाली गंगा नहर की एक शाखा के कटने तथा नहर के उस पार रुका हुआ हजारों एकड़ जमीन का पानी फीरोजाबाद नगर में बड़ी तेजी से चला आ रहा है जिसके कारण फीरोजाबाद नगर के अनेक मुहल्लों के निवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। नहर विभाग के सरकारी तथा अधिकारीगण नहर के इस पानी को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। सदन का यह निश्चित मत है कि नगर के कटने के कारण फीरोजाबाद नगर के निवासियों का जो जीवन खतरे में पड़ गया है उसका सीधा सम्बन्ध सरकार से है"। इस तरह का प्रस्ताव

कि "सदन का किसी घटना के कारण के बारे में अमुक निश्चित मत है" यह असरकारी प्रस्ताव के जरिये ही हो सकता है। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में नहर के मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस घटना के सम्बन्ध में अगर कुछ जानकारी रखते हों तो सदन को दे सकते हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है, इसलिये यह खत्म हुआ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—वित्त मंत्री महोदय शायद इस सम्बन्ध में कुछ सूचना देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—वे सारी सूचना एक साथ देंगे। पहले मैं और सब कामरोको प्रस्तावों को ले लूं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री भजनलाल जी का है जो खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, अतएव मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

परीक्षितगढ़, जिला मेरठ में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों के ऊपर डिग्री कराने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री रूमसिंह का है "कस्बा परीक्षितगढ़, जिला मेरठ में चकबन्दी सहयोग समिति द्वारा नियम २६ धारा ६ (जिसमें लिखा है कि आम जलसे में उपस्थित सदस्यों का कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मान लेने पर चकबन्दी लागू होगी) को न मान कर, सर्वसम्मति से दिये गये पंचों के तहरीरी सुझावों को ठुकरा कर जबरदस्ती चकबन्दी लागू करके इत्यादि"। यह तो स्थानीय शासन से सम्बन्धित प्रश्न है। सरकार से इसका सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिये भी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण भी नहीं है।

बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री जी को बाढ़ के सम्बन्ध में जो जो सूचना हों आज तक की उसे वे दे सकते हैं।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—जिलेवार सूचना मेरे पास कुछ विस्तार से मौजूद है, लेकिन उसको अगर सुनाऊंगा तो बहुत देर लग जायगी। इसलिये कुल सूबे का एक कंसोलिडेटेड एकाउंट मैं माननीय मित्रों के सामने रखना चाहता हूं। अब तक ३० जिलों में यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

कहा जा सकता है कि बाढ़ आई और २५, ६६२ गांवों पर उसका असर पड़ा है। उनका क्षेत्रफल है ९,१९,३८० एकड़ और उनकी जनसंख्या है ९,३०,७०९ जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। मकान जिनको नुकसान पहुंचा है या जो बिलकुल गिर गये हैं उनकी संख्या है ३,९३४ और १६ आदमियों की मृत्यु हुई, जानवर जो जाया हुए उनकी तादाद है ५८७। सहायता के लिये २,०९,५०० रुपये पहले से ही कलेक्टरों के पास मौजूद था।

अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक से तादाद नहीं बतला सकता, लेकिन गालिबन २६ जिले ऐसे हैं जिनमें आमतौर पर बाढ़ आने की आशंका रहती है और उन जिलों में अप्रैल के महीने में कुछ रुपया फौरन सहायता के लिये पहले से ही दे दिया जाता है ताकि उन्हें गवर्नमेंट से मांगने की जरूरत न हो। इस तरह की रकम जो पहले से कलेक्टरों के पास मौजूद थी वह है २,०९,५०० रुपया और अहेतुक सहायता के लिये, लोगों को इवेकुएट करने के लिये या इस प्रकार की और कार्यवाही करने के लिये १,२३,००० रुपया जिलाधीशों को दे दिया गया है। जो बहुत गरीब आदमी हैं उनको मकान बनाने या मरम्मत करने के लिये अनुदान के तौर पर ३२,००० रुपया दिया गया है और तकावी अब तक ३,७१,००० रुपया दी गई है। यह मैंने जैसा अर्ज किया ३० जिलों की संख्या है। बाकी जिलेवार जो संख्या है जैसे आगरा, वहां से हमारे जिलाधीश की तरफ से तो कोई वायरलेस अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया नहीं है। लेकिन कल कुछ मित्रों ने यहीं हमारे एम० एल० एज० ने मुख्य मंत्री जी के पास जाकर सूचना दी कि नहर कट गई और उसका पानी फीरोजाबाद की तरफ जा रहा है। उन्होंने जिलाधीश से मालूम किया तो उनको बतलाया गया कि कुछ गांव वालों ने ही नहर काट दी और रेवेन्यू आफिसर्स जब गए तो गांव वाले राजी नहीं हुए उस नहर को बन्द करने के लिये। इस पर पुलिस वहां गई, लेकिन तब भी वह तैयार नहीं हुए। तो यह बात ठीक है कि पानी कस्बे की तरफ आया था और शायद अब भी आ रहा है। जिलाधीश ने माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बतलाया कि किसी जान को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि कस्बा कुछ ऊंचे पर बसा हुआ नहीं है, इसलिये वहां की इमारतों को कुछ नुकसान हो सकता है। उनका खयाल यह था कि ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। ए० डी० एम० कल से वहीं पर मौजूद हैं। यह खबर रात को हासिल हुई थी। आज सबेरे से कोई खबर नहीं है। मैं यहां से वापस जाने के बाद फिर मालूम कर लूंगा।

जहां तक हरदोई का सवाल है जिसके बारे में माननीय राजेन्द्रसिंह जी ने एक ऐडजर्नमेंट मोशन भी पेश किया था, कोई चिन्ता की बात नहीं है। हरदोई में रामगंगा, गंगा, कुंडा, नीलम और गर्रा इन पांच नदियों में कुछ पानी बढ़ा है और ११,३८३ एकड़ जमीन पर कुछ असर हुआ है। कितनी जनसंख्या पर हुआ है उसकी कोई रिपोर्ट जिलाधीश ने नहीं भेजी है। ६५ मकानों को नुकसान पहुंचा है और माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने यह कहा था कि बहुत आदमी मर गए हैं, तो आदमी एक नहीं मरा है और जानवर भी एक नहीं मरा है। यह उन्होंने लिखा है कि नदियां चढ़ रही हैं। ४,००० रुपया जिलाधीश हरदोई को जैसा वह मुनासिब समझें खर्च करने के लिये भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि बाढ़ जो आयी है उससे चन्द जिलों को ही नुकसान हुआ है। जैसे फर्रुखाबाद है। अब हर साल वहां बाढ़ आती है। लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। हरदोई में खादर में तो हमेशा पानी बढ़ेगा और यह नार्मल फीचर है, कुछ न कुछ गांव खादर के जरूर प्रभावित होंगे। तो अब तक जो खबरें मिली हैं उनसे कोई चिन्ताजनक बात सारे सूबे के लिये कही जा सके ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया कुछ जिलों में बेशक हानि काफी हुई है जैसे आगरा, सहारनपुर का एक थोड़ा सा हिस्सा, रुड़की के आसपास का, मेरठ का कुछ हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा अलीगढ़ की खैर तहसील और कुछ और हिस्सा, बदायूं का भी कुछ हिस्सा और बरेली का भी थोड़ा सा हिस्सा। लेकिन जैसा मैंने कहा ओवरआल पिक्चर जो है वह कोई चिन्ताजनक

नहीं है । बाराबंकी में भी कुछ बाढ़ आई है और गालिबन कुछ आदमियों को इवैकुएट करना पड़ा है, लेकिन कोई ऐसी चिन्ता की बात नहीं है ।

यह भी मैं आपकी इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं कि कई माननीय मित्रों ने मुझसे यह कहा कि रुपया ज्यादा दिया जाय । तकावी और ज्यादा दी जाय । तो मैंने जो उनको जवाब दिया है वह मैं यहां सब माननीय मित्रों की इत्तला के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं । यह इस वक्त जो बाढ़ आई है तो उससे खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है । खरीफ की फसल में जैसे मक्का है, उसको काफी नुकसान हुआ है, हमारे यहां करीब साढ़े ६ लाख टन मक्का होती है, यह जो मक्का का नुकसान हुआ है, वह मक्का किसानों के इस्तेमाल में आज तो नहीं आयेगी, सितम्बर अक्तूबर में या नवम्बर में आयेगी यानी इस बरबादी का नतीजा अक्तूबर, नवम्बर में सामने आयेगा, लेकिन आज नहीं ।

चारे के बारे में भी मैं अर्ज कर दूं कि जहां ज्यादा पानी भर गया है या खरीफ नष्ट हो गई है वहां चारे की समस्या है । जहां गन्ना है वहां किसान गन्ना काट-काट कर जानवरों को खिला रहे हैं । जहां तक चारे के पहुंचाने में सरकारी फर्ज की बात है मैं इस बात के लिये साफ साफ इनकार करता हूं कि वह हम से नहीं हो सकेगा और शायद कभी भी कोई गवर्नमेंट इसका इंतजाम नहीं कर सकी है । मेरा भी ४–५ साल का तजुर्बा बताता है कि जब हम ने ट्रान्सपोर्ट फ्री, जिस कीमत पर खरीदा उसी कीमत पर भूसा देना चाहा और बेचने का खर्च नहीं लिया तब भी किसान ने उसको नहीं लिया, एक रुपया मन की सबसिडी दी तब भी किसान ने उस को नहीं लिया, फिर हमने कहा कि २ रुपए मन की सबसिडी है तब भी किसी ने नहीं लिया और जैसा कि मैंने कहा अपने तजुर्बे की बिना पर आखिर हमें वह भूसा मुफ्त ही उठाना पड़ा । यह दो बातें ही हमारे सामने आतीं हैं, आदमियों के लिये भोजन की और जानवरों के लिये चारे की । यह ठीक है कि इन चीजों का इंतजाम हो, लेकिन आप आमतौर पर किसान के लिये चारे का इंतजाम किया भी जाय तो वह उसको लेते नहीं हैं, इसके अलावा इतने भूसे का एकदम से इंतजाम करना भी नामुमकिन है । रेलवे की जितनी केरीइंग केपेसिटी चाहिये वह भी नहीं मिलती और न यह स्टेट गवर्नमेंट उतना रुपया ही ला सकती है, एक एक जिले का हिसाब लगाया जाय तो ४०–५० लाख रुपया चाहिये । न इतने स्टेट के रिसोर्सेज हैं, न करीइंग केपेसिटी है और न इतना भूसा ही कहीं पर मिल सकता है, कहीं इतना बड़ा जखीरा नहीं होता कि ऐसे वक्त पर मिल जाय । दूसरे किसान उसको लेता नहीं, वह समझता है कि २–४ दिन में बारिश रुक जायगी और धूप निकल आयेगी और फिर वह फसल या घास काटकर खिलाने लगेगा । मान लीजिये कि हम किसी एक्सप्रेस जार-बेसिस पर भूसा पहुंचाने की कोशिश भी करें तो १५ दिन से पहले किसी जिले में वह नहीं पहुंच सकता और आमतौर से इतने समय में हो यह समस्या हल हो जाती है ।

रही मकान गिरने की बात, कुछ मकान गरीबों के गिरे होंगे । उस के लिये जितना रुपया जिलाधीश मांगते है वह भेज दिया जाता है, आम तौर से जिलाधीश ठीक ही मांगते हैं, अगर कहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी ज्यादा समझते हैं तो कुछ कम कर के भेज देते हैं । बाकी ऐसा है कि माकूल रकम मांगी जाती है और वह यहां से भेज दी जाती है । तकावी की अगर अक्तूबर, नवम्बर में जरूरत समझी जायगी तो वह दे दी जायगी जितनी सरकार की सामर्थ्य होगी उसके अनुसार ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है कि हमारे सूबे की जो जनता है वह सरकार और दैवी आपत्तियों के २ पाटों के बीच में पिसी जा रही है । इसके लिये हम एम० एलों० को क्या करना चाहिये, मिनिस्टरों को क्या करना चाहिये ? अपनी तिहाई की तनख्वाह उन गरीबों को देनी चाहिये जिनके यहां ३–३ दिन तक चूल्हा नहीं जलता है ।

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके भाषण न दें ।

श्री टीकाराम पुजारी—उन्हीं के जरिये से हम और आप यहां पर विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि परसों एक कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया था कि बलिया में गंगा के कटाव से एक हफ्ते में ३०० मकान गिर गये, उनमें रहने वाले लोग .....

श्री अध्यक्ष—आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वह पूछे।

श्री गौरीशंकर राय—उनके बैठने तक को जमीन नहीं है, खुली जगह में पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—वित्त मंत्री जो, आपके पास कोई बलिया के बारे में खबर है?

श्री चरणसिंह—बलिया के बारे में मेरे पास कोई खबर नहीं है। मेरे पास ४५ जिलों की है, बलिया की नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में टौंस और घाघरा की बाढ़ के सम्बन्ध में कोई लेटेस्ट न्यूज है? अगर है तो क्या?

श्री चरणसिंह—जी हां, आजमगढ़ की इत्तला है कि घाघरा और टौंस में बाढ़ आयी है और उसका कितने गांवों पर और कितनी जन-संख्या पर असर पड़ा है, यह कलेक्टर ने कहा है कि मैं सही सूचना नहीं दे सकता, इकट्ठी करके भेजूंगा। तो यह हो सकता है कि पानी नदियों में बढ़ रहा हो।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—अब इतने सदस्य एक साथ तो नहीं बोल सकते। जिसका मैं नाम लूं वही बोलेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, हरदोई जिले के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को स्वीकार है कि वहां पर अक्सर बाढ़ आया करती है, कोई विचित्र बात नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—अपनी सूचना बताने के लिए इजाजत नहीं देता आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि बुलन्दशहर जिले के सम्बन्ध में आज भी और पहले कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, तो कोई और जानकारी देने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह—पहले तो मैं सफाई दे दूं अपनी कि ऐडजर्नमेंट मोशनों में दो जिलों का जिक्र था—हरदोई और आगरे का। तो इसलिए मैंने केवल उनकी इत्तला दी। हर जिले की देता तो ४५ जिलों के बारे में पढ़ना पड़ता।

जहां तक बुलन्दशहर की बात है, वह यह है कि यमुना, हिन्डन और काली नदी में बाढ़ आई है और ४६,००० एकड़ जमीन पर असर पड़ा है और १६,००० आदमियों पर और १०० गांवों पर असर पड़ा है। ७०० मकान गिरे हैं। लेकिन इस वक्त सब नदियों में पानी घट रहा है। ७,५०० रुपया बुलन्दशहर में इमदाद के लिए दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप किसी मेम्बर को इजाजत दें, मैंने आपसे कहा था कि बलिया की मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मेरे पास दो बड़ी शीट्स हैं, उनमें बलिया

के सम्बन्ध में सूचना मौजूद है। उसके सम्बन्ध में इत्तला यह है कि गंगा, टोंस और मघई कोई नदी है, उसमें वहां बाढ़ आई है। ४२,५३८ एकड़ जमीन पर असर पड़ा है और १,०५,८४५ आदमियों को नुकसान हुआ। २१३ मकानों के गिरने की खबर है, लेकिन लिखा है कि अब स्थिति नार्मल है और १०,००० रुपये उनको दे दिये गये हैं। मकानों की तादाद मैंने २१३ बताई है और २६५ तादाद है गांवों की जहां क्षति हुई है।

भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सूचना चाहूंगा कि यह पहले कहा गया था कि जो अभी विधेयक कल पारित हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक लिया जायगा। फिर उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक लिया जायगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक लिया जायगा और उसके बाद गोवध निवारण वाला (संशोधन) विधेयक, जो कि प्रवर समिति के पास दिया गया है वह लिया जायगा। इसके पश्चात् नगर निगम का आयेगा। लेकिन, यह तीनों विधेयक रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन वाला, एकोमोडेशन ऐंड रिक्वीजीशन वाला और एलेक्ट्रिसिटी वाला, हमारे दफ्तर में नहीं आये हैं, इस कारण सदन की मेज पर उन्हें नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गोवध निवारण विधेयक पर कमेटी ने २० तारीख को बैठक निश्चित की है तो सात रोज के अन्दर रिपोर्ट नहीं आ सकेगी, इसलिये वह भी नहीं लिया जा सकता है तो २० तारीख को सिवाय नगर निगम विधेयक के और कोई विधेयक सदन के सामने नहीं रहता है तो क्या वही लिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह बतलाना चाहता हूं कि २० तारीख को यह सदन बैठेगा और यह काम लिया जायगा। मैं क्रम से कह रहा हूं। सबसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् से पारित हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह भी नहीं आया। फिर उस रोज कैसे लिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२० तारीख तक शायद आ जाय। फिर जौनसार बाबर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का विशेषाधिकार विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् से पारित हुआ है, इंटरमीडियेट एजूकेशन संशोधन विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है।

श्री अध्यक्ष —यदि यह तीनों आ जायंगे फिर तो समय मिल जायगा। मैं समझता हूं कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिवर्तन फिर होगा। लेकिन इन तीनों के बारे में यह कहा गया था कि ३० सितम्बर तक मियाद खत्म होती है। इसलिये २० तारीख के बाद आप बतला देंगे कि वह कब लिये जायंगे।

बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में सूचना—(क्रमागत)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात निवेदन करना चाहता हूं और इस समय माननीय माल मंत्री जी भी मौजूद हैं। वे २० जिलों के नाम और किन नदियों में बाढ़ आई सिर्फ इतना बतला दें तो बहुत सी गलतफहमी दूर हो जायगी। उन्होंने २० जिलों की संख्या बताई थी।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने ४५ कहा था।

श्री चरणसिंह—४५ की रिपोर्ट आई है और ३० जिलों के लिये मैंने कहा था।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, सुनने में गलती हुई ।

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न के उत्तर के बाद और कोई कार्यवाही इस प्रश्न पर नहीं होगी ।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो ३० जिले हैं उनकी सूची अलहदा है और १५ जिले जिनमें बाढ़ नहीं आई है, उनकी अलहदा सूची है । इस तरह से मेरे पास दो सूची हैं । सब जिले, मिले जुले हैं । किस जिले की क्या स्थिति है, यह मैं बतला सकता हूं ।

वाराणसी--गंगा, गोमती, वरणा और गसई में पानी बढ़ा ।

मिर्जापुर--बाढ़ नहीं ।

बलिया--यहां बाढ़ कही जा सकती थी, लेकिन स्थिति नार्मल है ।

गोरखपुर--मीडियम फलड्स है घाघरा में ।

बलिया--घाघरा और मनुवर इनमें मामूली बाढ़ है और उन्होंने लिखा है कि स्थिति चिन्ताजनक नहीं है ।

आजमगढ़--यहां बाढ़ कही जा सकती है ।

नैनीताल--नो फलड्स ।

अल्मोड़ा--नो फलड्स ।

टेहरी-गढ़वाल--सिलयारगढ़, श्रीकोटगढ़, छमलागढ़, बरियारगढ़ और खटूखुलगढ़ । इनमें कुछ पानी बढ़ा, लेकिन बाढ़ नहीं कही जा सकती है । कुल दो झोपड़ियां गिरीं ।

उन्नाव में बाढ़ है । खीरी में कोई बाढ़ नहीं है । सीतापुर में उन्होंने कहा है कि घाघरा, चौका और गोमती इनमें पानी बढ़ा है । लेकिन सिचुएशन नार्मल है । रायबरेली में गंगा में पानी बढ़ा, लेकिन कहा है उन्होंने कि पोजीशन अंडर कंट्रोल है । हरदोई का मैं अर्ज कर चुका । सुल्तानपुर में कोई बाढ़ नहीं है । फैजाबाद में कोई बाढ़ नहीं है । बाराबंकी में बाढ़ है । बहराइच में कोई बाढ़ नहीं है । प्रतापगढ़ में भी बाढ़ नहीं है । गंगा, सई और बकुलाही बढ़ी हैं । देहरादून की रिपोर्ट नहीं आयी । सहारनपुर में बाढ़ है । जिस समय मैं बाढ़ कह रहा हूं उसमें वाटर लागिंग भी शामिल है । कहीं-कहीं नदियों में बाढ़ नहीं आयी, लेकिन लोकल रेन्स से वाटर लागिंग हो गयी है । वह भी बाढ़ में शामिल समझना चाहिए । मसलन सहारनपुर में वाटर लागिंग भी है । मुजफ्फरनगर में लिखा है कि पानी बहुत घट गया है । शुरू में बारिश बहुत हुई थी । गंगा यमुना में पानी बढ़ा, खोखरी में भी बढ़ा । दाठा और कृष्णा में भी पानी बढ़ा । मेरठ में गंगा, यमुना और हिंडन में पानी बढ़ा । यमुना को छोड़ कर हिंडन और गंगा रिसीड कर रही हैं । बुलन्दशहर में हिंडन, यमुना और काली नदी में बाढ़ आयी लेकिन आल रीवर्स रेसीडिंग । अलीगढ़ में गंगा, यमुना, करवन, ईशान और कार्ली नदी इन सब में बाढ़ आयी थी । इस वक्त यमुना में ६ इंच पानी घट गया है और करवन में ३ इंच घटा है । ११ तारीख तक पानी बढ़ रहा था, लेकिन १२ तारीख से घटना शुरू हुआ । मथुरा में बाढ़ आयी । आगरा में जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं नुकसान काफी हुआ । मैनपुरी में भी नुकसान हुआ है । ईशान, अरिंद, सेंगर, काली नदी और यमुना, इन सब में पानी आया । एटा में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वाटर लागिंग से ज्यादा बाढ़ से नहीं । बरेली में पंगली, बेहगुन, रामगंगा, निकटिया, कैलास, दयौहा में पानी आया है बिजनौर में नदियां बढ़ीं । बदायूं में मैं अर्ज कर चुका हूं कि बाढ़ आयी थी । मुरादाबाद में पानी बढ़ा था, लेकिन पानी घट रहा है । उन्होंने कहा कि यह नार्मल फीचर है कि खादर के गांवों में हमेशा पानी आ जाता है । शाहजहांनपुर, पीलीभीत और रामपुर में कोई बाढ़ नहीं है ।

रामपुर की तहसील शाहाबाद के दो गांवों पर सिर्फ असर हुआ। फर्रुखाबाद में बाढ़ है। इटावा में बाढ़ नहीं है। वैसे आज जो सवेरे तार आया था उसकी कापी माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भी भेजी है। कलेक्टर भी कल आये थे। उनसे मालूम हुआ कि पानी बढ़ रहा है, लेकिन बाढ़ नहीं है। जो आज तार आया है उससे मालूम होता है कि दो चार गांवों पर असर हुआ है। कानपुर में यमुना, सेंगर घट गयी है। गंगा स्टेशनरी है। फतेहपुर में कोई खतरे की बात नहीं है। कोई बाढ़ नहीं कही जा सकती। इलाहाबाद में इस वक्त कोई बाढ़ नहीं है। बांदा में कोई बाढ़ नहीं है। हमीरपुर में कोई बाढ़ नहीं है। यमुना, बेतवा और बरना में कुछ पानी बढ़ा था। उसमें जो जानवर बतलाये थे ५८७, उसमें ४८० बेतवा में पानी बढ़ने से जाया हुए थे, लेकिन इस वक्त बाढ़ नहीं है। जालौन में यमुना, बेतवा में पानी बढ़ा। ८५० एकड़ में असर हुआ। इस वक्त बाढ़ नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण द्वारा स्पष्टीकरण

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे निवेदन यह करना है कि अभी आपने जो व्यवस्था दी थी उसमें हमको ऐसा लगा कि हमारी पूरी पार्टी के ऊपर यह एक लान्छन आता है कि जो हमारी पार्टी के लोग प्रिविलेज का मोशन उठाया करत हैं उसमें कोई सार नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष---वे सदस्यों के ऊपर झूठ बोलने का आक्षेप करते हैं।

श्री राजनारायण---इस सदन में माननीय गेंदासिंह जी के ऊपर जो प्रिविलेज का मामला चल रहा है उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो बातें इस सदन में कही थीं उनमें बराबर यह कहा कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं। रामस्वरूप जी भी अपनी बात पर अडिग हैं। मैंने इनके बारे में कागजात को देख लिया है, इनके आरोप में सत्यता है।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास उन्होंने कोई कागज नहीं भेजा था।

श्री राजनारायण---तो इस मामले में वह सब कागजात आपके पास भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष---कोई चीज बगैर सबूत के इस तरह से भेज देना कहां तक उचित है?

साढ़े छः एकड़ तक की जोत को लगान मुक्त करने के संबंध में संकल्प---(क्रमागत)†

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव के उस अंश का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं कि अलाभकर जोतों से लगान न लिया जाय। साढ़े छः एकड़ वाली बात से मैं यह व्यावहारिक कठिनाई महसूस कर रहा हूं कि एक तादाद मुकर्रर करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि भूमि अलग-अलग किस्म की होती है और पैदावार भी फी एकड़ कम और ज्यादा होती है। इसलिये साढ़े छः एकड़ नियत करना ठीक नहीं है, लेकिन अलाभकर जोतों का लगान न लिये जाने की बात ऐसी है जिसका मैं अपने पूरे जोर के साथ समर्थन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के मनीषियों ने ५०, ६० वर्ष पहले इस समस्या पर विचार किया था। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इस बात पर विचार हुआ है। महामना गोखले के गुरु महादेव गोविन्द राणा डे की यह निश्चित राय थी कि किसानों से लगान नहीं लिया जाना चाहिये। लैंड टैक्स होना चाहिये। लैंड रेन्ट नहीं होना चाहिये। यह लैंड रेन्ट को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†८ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बात जिस समय १९२५ में, अगर मुझे ठीक याद है, जब ऐग्रीकल्चरल रायल कमीशन यहां आया था, उस समय उठाई गई थी। पंजाब में खासतौर से स्वर्गीय छोटूराम के नेतृत्व में यह सवाल उठा था कि किसानों से लगान नहीं लेना चाहिये बल्कि टैक्स लिया जाना चाहिये। टैक्स और रेन्ट में यह अन्तर होता है कि रेन्ट के मायने यह है कि जो कुछ मालिक लेता है वह एक चीज उसने उपयोग के लिये दी तो वह उस भूमि का किराया लेता है, क्योंकि उसने वह भूमि उपयोग के लिये दी है, लेकिन टैक्स हो जाने पर जैसा शहरों में होता है कि जो आमदनी है उससे अपने परिवार के लिये खर्च हो जाने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे इन्कम टैक्स का सिद्धान्त होता है। वही सिद्धांत होने पर वह गांव के किसानों पर लागू होगी यही बात प्रादेशिक कांग्रेस ने जो अग्रेरियन रिफार्म कमेटी कायम की थी, उस कमेटी के बहुमत की रिपोर्ट में यह प्रस्ताव था कि अलाभकर जोतों से लगान माफ होना चाहिये। अल्पमत उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन बहुमत ने यही कहा था कि इन पर लगान माफ होना चाहिये। यही बात पंडित जवाहरलाल ने जब करांची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा तब उसमें भी यह बात कही गई कि अलाभकर जोतों से लगान नहीं लेना चाहिये और यही बात सन् ३७ से जब से कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तब से बराबर कांग्रेस के प्रस्तावों में दोहराई जाती रही और मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों में बराबर जिक्र होता रहा। तो इस तरह से यह एक ऐसी मांग है कि जो सर्वथा उचित मांग है और जिस पर कांग्रेस पिछले ४०, ५० सालों से कमिटेड है और यह कहती है कि यह मांग पूरी होनी चाहिये। दुख की बात है कि अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई।

जहां तक टैक्सेज की बात है, उसको अगर मान लिया जाय, बल्कि सामाजिक न्याय तो यह कहता है कि टैक्स की मांग को मानना चाहिये। कोई कारण नहीं है कि जब शहरों में आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास जब इतनी आमदनी हो कि वह अपने परिवार का पूरा पालन-पोषण कर ले तो उसके बाद की बचत पर टैक्स लेने का अधिकार सरकार को है, उसके पहले नहीं, जब इनकम टैक्स में आप शहरों में इस सिद्धान्त को मानते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप गांवों में इसी सिद्धान्त को न मानें। क्या गांव के लोगों का परिवार नहीं होता या उनको भूख नहीं होती या उनको कपड़े, मकान और दूसरी आवश्यकतायें नहीं होतीं या उनको बच्चों के लिये शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती? क्या कारण है कि उनके साथ यह अन्याय किया जा रहा है और टैक्स के सिद्धान्त को न मान कर उनके साथ रेन्ट का सिद्धान्त माना जाता है। थोड़ी देर के लिये, दलील के लिये मैं यह भी मान लूं कि सरकार को आर्थिक कठिनाइयों के कारण टैक्स वाली बात का मान लेना मुश्किल है, क्योंकि टैक्स वाली बात मान लेने के माने यह हो जायंगे कि जो अलाभ कर जोतें हैं, जैसे शहरों में ३,००० की आमदनी पर इन्कम टैक्स नहीं लगता, तो अगर ३,००० की आमदनी वहां न फिक्स करें, कम पर टैक्स लगाने की बात करें यानी १,००० पर या १,२०० पर, तो भी सरकार के लिये आर्थिक कठिनाई पैदा हो जायगी, इसलिये मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन अलाभकर जोतों पर लगान लेने की बात तो मैं सर्वथा अन्यायपूर्ण, अधर्मपूर्ण और एक सामाजिक पाप समझता हूं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब सरकार का यह उद्देश्य है और वह यह चाहती है कि देश और प्रदेश में हर व्यक्ति को संतुलित और पोषक भोजन मिले, आवश्यकतानुसार कपड़ा मिले, उसका मकान आरोग्यप्रद हो, उसके परिवार के लिये शिक्षा का पूरा प्रबन्ध हो सके और साथ-साथ बीमारी तथा रोगों में चिकित्सा का प्रबन्ध भी हो और इस सिद्धान्त को सरकार सब जगह के लिये मानती है तो कोई कारण नहीं है कि यह सिद्धान्त गरीब किसानों के लिये क्यों न माना जाय।

मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं कि सरकार का रवैया गांवों और किसानों के साथ सौतेला है और शहरों के साथ वह अपने लाड़ले बेटों की तरह से व्यवहार करती है। शहरों में सरकार पूंजीवाद का पोषण कर रही है। गांवों में हो वह समाजवाद

लाना चाहती है और वह भी किस माने में, सरकार स्वयं कहती है कि हम उतना लेविल डाउन नहीं करना चाहते जितना कि लेविल अप करना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन गांव के मामले में सरकार अपनी इस नीति से काम नहीं ले रही है। शहरों में तो लेविल डाउन नहीं करना चाहती है, लेकिन गांवों में वह लेविल अप करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही है और अलाभकर जोतों का लगान न माफ किया जाना एक ऐसे अन्याय और पक्षपात का पूरा-पूरा सबूत है।

सीधी-सादी बात है कि जो आवश्यकतायें मैंने बताई—संतुलित भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा—इन पांच आवश्यकताओं को शहरों में देखा जाय एक परिवारिक बजट में, उसके मुकाबले में क्या ये आवश्यकतायें एक किसान के पास हैं। क्या एक किसान परिवार की ये पांच आवश्यकतायें पूरी होती हैं या नहीं। हम पायेंगे कि नहीं पूरी होतीं और इसलिये उन भूखे, नंगे, बीमार और अशिक्षितों से उल्टा लगान लेना, जैसा मैंने कहा एक सामाजिक अपराध और धार्मिक पाप है। यह नहीं होना चाहिये कि ऐसे लोगों से भी लगान लिया जाय। सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि अगर अलाभकर जोतों पर लगान माफ कर दिया जायगा तो हमारी आमदनी कम हो जायगी।

मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार आर्थिक कष्ट की बात शहरों के सम्बन्ध में नहीं सोचती है, जैसा मैंने पहले भी बतलाया था कि कभी सरकार ने इस बात की जांच की कि सरकार को जो एक अरब के करीब आमदनी होती है उसमें कितनी आमदनी गांवों के किसानों से होती है और कितनी शहरों से होती है और क्या कभी उसने इस बात को भी देखा है कि गांवों के किसानों से जो आमदनी होती है, उस आमदनी का पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा गांवों के किसानों की भलाई के लिये लगाया जाता है या नहीं या कि गांवों की गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों की भलाई में लगा दिया जाता है जब कि शहरों की आमदनी बहुत कम होती है। सामाजिक न्याय के अनुसार तो सरकार को यह करना चाहिये था कि शहरों की कमाई के रुपये को गांवों पर खर्च करती। यही सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है कि अमीरों से रुपया ले कर गरीबों की गरीबी दूर किया जाना चाहिये। यह केवल धर्म या आदर्शवाद का सिद्धान्त नहीं है, यह अर्थशास्त्र का भी सिद्धान्त है। अर्थशास्त्र के महान् आचार्य प्रोफेसर पीगू ने अपनी एकोनोमिक वैलफेअर नामक पुस्तक में यह बताया है कि राज्य का आर्थिक हित किस तरह से हो सकता है। उस पुस्तक में उन्होंने यह कहा है कि—

"Transfer of wealth from relatively rich to relatively poor adds to nation's happiness and nation's welfare."

यानी अमीर से रुपया ले कर, जो अपेक्षाकृत अमीर हैं, धनी हैं, उनसे रुपया ले कर, जो अपेक्षाकृत गरीब हैं, उनको रुपये देने से राष्ट्र का हित बढ़ता है, राष्ट्र की आमदनी बढ़ती है। यह अर्थशास्त्र के पंडित की राय है, विरोधीदल के नेताओं की बात नहीं है। लेकिन हम इस बात को गांवों के सिलसिले में नहीं करते हैं। जब जब किसी पूंजीपति पर कष्ट आता है तो उसकी सुविधा करने के लिये सरकार के पास रुपये की कमी नहीं होती। उनके पास करोड़ों रुपया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का बकाया पड़ा है, लेकिन उसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अलाभकर जोत वाले किसानों पर अगर १०–२० रुपया भी होता है तो उसको वसूल करने के लिये दमनकारी नीति से काम लिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने गोरखपुर के सम्बन्ध में इसी सदन में इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि वहां पर कई सौ लोगों के वारंट गिरफ्तारी निकाले गये और इस कोएर्सिव प्रोसेसेज के फलस्वरूप कुछ लोगों ने मजबूर होकर, कहीं से कर्ज लेकर या अपने भांडे बेचकर वह रुपया अदा भी कर दिया और कुछ वह भी नहीं कर सके और इसलिये हवालात में भेजे गये। कुछ की कुर्की हुई।

ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे यह मालूम होता है कि यह सरकार पूंजीपतियों और शुगर मिलमालिकों से एक तरफ तो रुपया किसानों को दिलाती नहीं है और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का रुपया भी उनसे वसूल करने में सरकार को कोई जल्दी नहीं होती, न उनकी कुर्की होती है और न उनका वारंट गिरफ्तारी ही निकलता है, न उनको हिरासत में लिया जाता है,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

लेकिन उन भूखों मरने वाले किसानों से, अभावग्रस्त स्थानों को मानकर भी, सरकारी लगान कोएर्सिव प्रोसेसेज से वसूल किया जाता है। यह एक ऐसी बात है जिसके लिये सरकार को स्वयं सोचना चाहिये कि ऐसा करना कहां तक ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केवल वित्तीय दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये, ऐसे प्रश्नों को केवल प्रशासन की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये, ये प्रश्न ऐसे बुनियादी हैं ऐसे फन्डामेंटल और आधारभूत हैं जिनमें हर सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रशासन की कठिनाइयों को पार करके, उनको दूर करने का उपाय निकाल कर, वित्तीय कठिनाइयां दूर करके, जनता की मांग को पूरा करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सरकार को यह याद रखना चाहिये कि वह संविधान में खासतौर पर दिये हुए न्याय की ही वह अवहेलना नहीं करती बल्कि साथ में यह भी करती है कि उस के कारण प्रदेश में रहने वाले ८८ प्रतिशत किसानों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। शहरों के मजदूरों को यदि कोई कष्ट होता है तो वह उनकी बात को सुन लेती है, पूंजीपतियों की बात को वह सुन लेती है, लेकिन उस गरीब किसान की बात उसको सुनायी नहीं पड़ती है।

मैं सरकार को सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर उसने इसी नीति से काम लिया, तो यह उसकी नीति अच्छी नहीं है, किसानों के सब्र की भी एक सीमा होती है और अगर किसानों में उसके प्रति असंतोष बैठ गया तो इस सरकार के लिये, प्रशासन के लिये और वित्तीय कठिनाइयों, इन तीनों के लिये वह हानिकर हो सकती है। उस समय सरकार को हाथ मल-मल कर पछताना होगा कि उसने समय रहते अपनी नीति को सही नहीं किया। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)— माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पालीवाल जी ने आज ही नहीं, अनेक बार इस सदन में अपने उपदेश दिये। मैं सदन से आदर और नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि उपदेश तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन संगत होना चाहिये, असंगत नहीं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद का संरक्षण किस प्रकार से रहा है यह सब चर्चा किसी प्रकार से भी, आज के प्रस्ताव का विषय नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि हम ऐसे खातों का, जो अलाभकर हैं, लगान छोड़ें या न छोड़ें और जो व्याख्या अलाभकर खाते की इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव में की गयी है वह है साढ़े छः एकड़ या उससे कम क्षेत्रफल का खाता। अब प्रश्न इस सदन के सामने यह है कि साढ़े छः एकड़ और उससे कम के खातेदारों से लगान लिया जाय या न लिया जाय। इसमें कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है इसलिये हमें विचार यह करना है कि यह प्रस्ताव जिस रूप में है स्वीकार हो या न हो।

अनेक बार पालीवाल जी ने हमारे समक्ष इनकम टैक्स की बात रखी है। इनकम टैक्स तो किसी एक निश्चित न्यूनतम आय से अधिक आय होने पर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब किसी न्यूनतम आय पर इनकम टैक्स लगाया नहीं जाता है तो फिर भूमि की आय पर भी इनकम टैक्स की जैसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार न्यूनतम से अधिक रुपये की आय पर इनकम टैक्स लगाया जाता है क्यों न उसी प्रकार से किसान पर भी न्यूनतम से अधिक भूमि होने पर ही लगान लगाया जावे। मेरा उनसे यह विनम्र निवेदन है कि इनकम टैक्स एक व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है और वह इनकम, जो उसको प्राप्त होती है वह उस संपत्ति से प्राप्त होती है जो उसकी अपनी जन संपत्ति है। व्यक्तिगत है। लेकिन भूमि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वह कम्युनिटी की प्रापर्टी है। जिस सिद्धान्त पर जमींदारी उन्मूलन किया गया, वह सिद्धान्त ही यह था कि जमीन कम्युनिटी की प्रापर्टी है और जो शख्स उस की सेवा करे उस को यह अधिकार प्राप्त रहे कि वह उसके ऊपर कब्जा रखे। अब कम्युनिटी की संपत्ति का कोई व्यक्ति उपभोग करे और कम्युनिटी को प्रतिकर या प्रतिदान में कुछ न दे, यह बात समझ में नहीं आती। इतिहास के पन्नों से कहीं भी इस

बात का प्रमाण नहीं मिलता कि कोई भूमि कृषक बड़ा या छोटा लगान से किसी समय में भी पूरे तौर पर मुक्त रहा हो। अतः मेरा निवेदन यह है कि इनकम टैक्स आधारित तर्क इस प्रश्न पर कदापि लागू नहीं होता।

अब हम दूसरा दृष्टिकोण लें। आप ने कहा कि आप के हाथ में शासन की डोर है। इसके लिये शासन का कर्त्तव्य है कि वह गरीब किसानों की गरीबी दूर करे। ठीक है। जब हम उससे कर लेते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जितना कर वसूल करें उतना हम उनके ऊपर खर्च कर दें। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या आज प्रदेशों की ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी सारी शक्ति किसानों की उन्नति करने में लगी हुई है या नहीं लगी है? और अगर लगी है तो क्यों लगी है? उसका क्या उद्देश्य है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—नहीं लगी है।

श्री मदनमोहन—श्री पालीवाल जी को यह बात स्वीकार नहीं है। बहुत सी बातें कभी-कभी आवेश में स्वीकार नहीं होतीं, यद्यपि वह सत्य होती हैं। विरोधी पक्ष की ओर से यह आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है तो मेरी प्रार्थना अवश्य है कि हमारा यह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान क्या है। हम जितनी योजनायें बना रहे हैं क्या उनसे पानी खाद आदि की व्यवस्था १९४७ में जो थी उनसे आज कहीं अधिक नहीं है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

बहुत से सदस्य—नहीं है।

श्री मदनमोहन—कुछ सदस्य कह रहे हैं श्रीमन् कि है तो लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता। स्थिति लोगों की ऐसी नहीं है कि वे हमारे सामने साधनों को प्रयोग में ला सकें। श्रीमन्, उनको साधन सम्पन्न बनाने के लिये, उनकी आय बढ़ाने के लिये ही तो हम यह योजनायें कर रहे हैं। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि हम उसमें पूर्णतया सफल न हो पा रहे हों, लेकिन प्रश्न यह उठता है और उसका उत्तर लोगों को देना ही पड़ेगा कि क्या आज सन् १९५८ में हमारी वही आर्थिक स्थिति है जो सन् १९४७ में थी? क्या हम उससे उन्नति नहीं कर गये हैं। क्या हम अपनी तरफ से प्रत्येक प्रयत्न जो हो सकते हैं, जो प्रयत्न करने की शक्ति मनुष्य में है, वह शक्ति लगाते रहते हैं या नहीं? सफलता और असफलता श्रीमन्, यह तो हमारा दुर्भाग्य है या कुछ ऐसी कमी है हमारे समाज में, जिसके कारण हमारे प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को देखा जाय। साढ़े ६ एकड़ जमीन वाले किसान लगान न दें और उससे जो कम के हैं वे भी लगान न दें। क्या हमारे प्रस्तावक महोदय ने या हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि इस वक्त ४ एकड़ या ५ एकड़ से कम खेती कितने प्रतिशत है? जहां तक मुझे मालूम है ८० प्रतिशत खेती ५ एकड़ भूमि तक के खातों की है। ५ एकड़ से १० एकड़ तक के केवल १० प्रतिशत खाते हैं तो ये कुल ९० प्रतिशत हो जाते हैं, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय जो १० एकड़ वाले खाते हैं वे भी कल बटवारा करके अपनी भूमि को ५ या ६ एकड़ से कम के खाते कर लेंगे और यही नहीं, जो आंकड़े मेरे पास हैं उससे विदित होता है कि १० एकड़ से लेकर २० एकड़ तक के जो खाते हैं वह मुश्किल से ८ प्रतिशत हैं, वह भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ९५ या ९७ प्रतिशत खाते ऐसे हो जायेंगे जिनका क्षेत्रफल साढ़े छः एकड़ से कम हो जावे और जिनके ऊपर लगान नहीं लग सकता। तो क्या हमारे मित्र यह चाहते हैं कि समस्त किसानों का लगान माफ कर दिया जाय, किसी से लगान न लिया जाय? आशा वे यह भी करते हैं कि हम ९७ प्रतिशत किसानों से लगान न लें और उनके लिये व्यवस्था पानी की, बीज की, पशुपालन की, खेती के औजारों की जो कुछ भी हो सके और जो आवश्यकतायें किसान समुदाय की हैं उनकी पूर्ति

[श्री मदनमोहन]

सरकार करे, जो उसका कर्त्तव्य है मेरा निवेदन यह है कि अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारी कोई भी योजना सम्पन्न नहीं हो सकती।

श्रीमन्, एक दूसरी ओर भी हम देखें, आप का कहना यह है कि यह सरकार पूंजीपतियों को हमेशा सहायता देती है, उनको प्रोत्साहन देती है, और उनसे टैक्स नहीं वसूल करती और किसानों से जबरदस्ती वसूल करती है। एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा यहां पर इस बात की घोषणा की गयी है कि जहां-जहां हमने ऐसी स्थिति पायी वहां-वहां हमने केवल लगान की ही माफी नहीं की बल्कि वहां तकावी और उसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न तरीकों से सहायता पहुंचायी। ऐसी स्थिति होते हुये भी यह आरोप इस सदन में लगाना कि हम केवल पूंजीपतियों को दृष्टि में रखते हैं, गलत है।

मेरा निवेदन श्रीमन्, यह है कि विरोधी दल में इतनी क्षमता नहीं है कि जिस प्रजातंत्र के नाम पर वे दोहाई देते हैं, वे स्वयं प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को, बरतने के लिये तैयार हों हमको इस बात का उपदेश देते हैं और कहा करते हैं कि तुम असुर हो, यद्यपि सत्य तो यह है कि आसुरी प्रवृत्तियां हमको उधर ही अधिक देखने को मिलती हैं। मुझे इस बात को कहते हुये बहुत दुःख हो रहा है और खेद है कि मुझे विरोधी पक्ष के सम्बन्ध में कहना पड़ता है, क्योंकि मैं माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहना चाहता था।

श्रीमन्, अन्त में मेरा निवेदन यह भी है कि समाजवाद विपन्नता से उत्पन्न नहीं होता। समाजवाद की आधारशिला सम्पन्नता है। सब कुछ सब को उनकी आवश्यकता के अनुसार देना, यह एक नियम है समाजवाद का। तो हम सब को एकार्डिंग टु हिज नीड्स (According to his needs) हम सब को उसकी आवश्यकता के अनुसार दें, यह स्थिति तो केवल सम्पन्नता में आ सकती है। श्री राजनारायण जी यह नहीं कहेंगे कि दरिद्रता सब को बांट दो, दरिद्रता में सभी समान कर दो, यह कोई सिद्धान्त नहीं है। हम सभी को सम्पन्न करना चाहते हैं और सम्पन्नता हम वितरित करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं अपने मित्रों से बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दरिद्रता निमग्न देश में दरिद्रों को ही अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा, दरिद्रों को ही अपना अभिशाप दूर करना पड़ेगा और उस दरिद्रता को दूर करने के लिये कुछ कठिनाइयां हैं, उन्हीं दरिद्रों को ही वहन करना पड़ेगा। अगर वे चाहते हैं या हम चाहते हैं कि भावी जो हमारी सन्तति हो, वह आज के अभिशाप से विमुक्त हो, तो हमारा कर्त्तव्य होगा कि उन सूखी हुई हड्डियों को, अपने आप को देश के लिये और भावी सन्तति के लिये न्योछावर कर दें। अतः इस प्रस्ताव का श्रीमन्, मैं विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष जी, हमारी ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह साढ़े छः एकड़ भूमि का लगान न लिया जाय, उसमें हमारे पालीवाल जी ने यह कहा है कि साढ़े छः एकड़ के बजाय उसे अलाभकर जोत कर दिया जाय। अलाभकर जोत तो साढ़े छः एकड़ की भूमि भी हो सकती है और उससे ज्यादा की भूमि भी अलाभकर जोत हो सकती है जब कि इसमें अच्छी पैदावार न हो। तो इस तरह से ४० रुपये का नौकर और साढ़े छः एकड़ वाला काश्तकार दोनों बराबर हैं, इसमें रंचमात्र भी फर्क नहीं है। हमारे यहां की साढ़े छः एकड़ भूमि ४० बीघे के बराबर है क्योंकि रायबरेली जिले में एक बीघा १२ बिस्वे का एकड़ होता है, कहीं ५ बीघे का होता है। ऐसी दशा में जो साढ़े छः एकड़ का काश्तकार है वह केवल ४० रुपये माहवार का नौकर है। ४० रुपये माहवार की नौकरी में आप अन्दाजा लगा लें चाहे वह शहर में रहे या देहात में, किस प्रकार जीवन निर्वाह कर सकता है। इस पर विचार करना इस सदन के लिये जरूरी है।

यों तो सदन में किसान सम्बन्धी कोई बात उठा ही नहीं करती, लेकिन जब कोई बात उठती है तो उसके सम्बन्ध में तरह-तरह के आक्षेप लगाये जाते हैं, तरह तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है। मालूम होता है कि हमारे सदन को किसानों से कोई मतलब ही नहीं। आपने किसानों

से वोट लेते वक्त तो सब कुछ कहा, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि कृषि हो भारतवर्ष की आधारशिला है। कृषि अलाभकर पेशा होता है। वह कोई सम्पत्ति या जायदाद नहीं होती। कृषि के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के साधन उपलब्ध कर सकता है जब दिन भर मेहनत करे, मेहनत किये बगैर और कृषि में कुछ नहीं। किसी के पास ५०० एकड़ कृषि हो और मेहनत न करता हो तो कुछ भी नहीं होगा।

हमारे जिले में सरकार के कुछ फार्म्स हैं। एक फार्म ३,००० एकड़ का है। सरकार से प्रश्न पूछा कि पिछले १० वर्ष में सरकार को क्या लाभ हुआ है तो उत्तर मिला कि १८,००,००० रुपये का घाटा हुआ और इसी तरह से एक दूसरा फार्म १,१०० एकड़ का है। उसमें कोई भी काश्तकार ४०, ५० हजार रुपये सालाना फायदा उठा सकता था, लेकिन पूछने पर सरकार ने उत्तर दिया कि १० वर्ष में सरकार को १४ लाख कुछ हजार का घाटा हुआ। जो लगान से रुपया आप वसूल करते हैं उसे फार्म्स पर खर्च कर देते हैं और वहां घाटा देते रहते हैं।

किसानों को लूटते और तरह-तरह के कष्ट आप देते रहते हैं, इसी से टीकाराम जी ने प्रस्ताव रखा है कि साढ़े छः एकड़ की जोत पर कोई लगान न लिया जाय, इसमें घबराने की बात नहीं है। इससे सरकार को कोई बड़ा नुक्सान तो नहीं होगा, थोड़ा सा नुक्सान जरूर होगा, लेकिन किसानों से जो लूट खसोट है वह खत्म हो जायगी और देवरिया में जो भुखमरी व गरीबी है वह खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बंशीधर शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मैं अपने मुंशी टीकाराम जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा था और वही बात मैं फिर कह रहा हूं कि जो साढ़े छः एकड़ जमीन के संबंध में हम लोगों का प्रस्ताव है कि उस पर लगान न लिया जाय तो वह कोई नयी बात नहीं है। हमारे चौधरी साहब ने तो ९ एकड़ को अलाभकर कर रखा है, हम तो साढ़े छः एकड़ की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---बंशीधर जी, "चौधरी साहब" यहां बहुत से हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल---मेरा माननीय माल मंत्री जी से तात्पर्य है। तो ऐसी दशा में हमारा कहना है कि जो यह रुपया आप छोड़ेंगे तो यह एक बुनियादी सुधार होगा। यों जैसा कि आप खेती के संबंध में करते जा रहे हैं, कानून बनाते चले जा रहे हैं और उससे किसानों की जो दुर्दशा होती चली जा रही है इससे कुछ तो छुटकारा उनको मिलेगा। आपने तो वादा किया कि जमींदारियों के खत्म करने के बाद किसानों को जमीन दी जायगी, वह भी खत्म, आपने १० गुना बांध दिया। आधा लगान करने की बात थी, वह भी खत्म। अब आपने क्या किया कि शिकमी काश्तकारों को आपने अधिवासी बना दिया। हमने तीन बार पूछा कि कितने काश्तकार ऐसे हैं जो अधिवासी हैं, तो उत्तर नहीं मिला। अब जो कानून बने हैं उनसे किसानों पर बड़ी आफत सी आ गयी है कि कोई काश्तकार अगर शिकमी पर अपनी जमीन दे देता है तो असली और शिकमी दोनों बेदखल। चकबन्दी के रूप में आप जो कुछ कर रहे हैं वह वर्णन नहीं किया जा सकता। एदलपुर गांव के, मथरा जिले के एक आदमी आये, उन्होंने बताया कि हमारे यहां २ एकड़ का एक काश्तकार है।

श्री चरणसिंह---प्वाइंट आफ आर्डर, चकबन्दी का यहां क्या जिक्र है? मालगुजारी घटाने के संबंध में अगर चकबन्दी पर भी बहस हो सकती है तो दुनिया के सभी मजमूनों पर हो सकती है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि यह इर्रेलेवेंट है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय बंशीधर जी, जो प्रस्ताव आपके सामने है उसी से संबंध रखें।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं यह कह रहा हूं कि जितने कानून आपने बनाये हैं जिनसे किसानों की दुर्दशा हो रही है, उनमें चकबन्दी भी है। पता नहीं क्यों, जब किसानों के संबंध में कोई बात आती है तो इतना बुरा लगता है? क्या उन्होंने किसानों से वोट नहीं लिया है, वह किसान नहीं है? उनको आप क्रिमिनल समझते हैं, अंग्रेजी राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनके बनाये हुये कानून दूसरे रूप में कायम हैं और चलते चले जा रहे हैं।

इधर विकास के नाम से आप इतना रुपया खर्च करते हैं, उसमें से कितना ही व्यर्थ में जाता है। ६ खंड आपने रखे हैं और १२-१२ लाख विकास में खर्च कर रहे हैं। उसमें से सवा चार लाख सरकारी नौकरों के क्वार्टरों के लिये और तनख्वाहों में जायंगे और ४ लाख उनकी जेबों में चला जायगा, केवल ४ लाख में सड़कें बनायी जायंगी। एक मील बिजली पहुंचाने में २९,००० रुपया लगता है। कंकड़ की सड़क एक मील बनाने में ३५,००० रुपया खर्च किया जाता है। एक मील तारकोल की सड़क में ४५,००० और एक मील सीमेंट रोड में ७५,००० रुपया खर्च होता है। इस तरह से आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। जो सड़क ६-६ और ८-८ हजार रुपये में बन सकती हैं उन पर आप ३५,००० रुपया क्यों खर्च करते हैं? क्या अधिकार है आपको किसानों से टैक्स लेने का जब आपने उनको कोई सहूलियत नहीं दी?

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंशीधर जी, आप विषय से बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं विषय से दूर नहीं जा रहा हूं। किसानों के संबंध में जो-जो आफतें आ रही हैं .....

श्री अधिष्ठाता—उसका तो इस समय विषय नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये। यह तो अलाभकर जोतों के संबंध में है कि "सदन का यह निश्चित मत है कि अलाभकर जोत के किसानों के हितार्थ सन् १३६६ फसली से साढ़े छः एकड़ तक की जोत की जमीन रखने वाले किसानों पर लगान न लगाया जाय।" आप यह तर्क बताइये कि क्यों लगान न लगाया जाय।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं इसके लिये बताये देता हूं कि ४० रुपया माहवार के नौकर और साढ़े ६ एकड़ वाले काश्तकार की स्थिति बराबर है। इन कानूनों के बनने के बाद जो उसकी दशा और खराब होने वाली है तो कम से कम इससे उसकी स्थिति कुछ संभलेगी। तो ऐसी दशा में उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये, जबकि सरकार का ही कानून है कि ३,००० रुपया जिसकी साल में आमदनी हो खर्चा निकाल करके तो उससे आप टैक्स नहीं लेते हैं। यहां तो किसानों की ५०० रुपया आमदनी कुल होती है तो वह कहां से दे सकता है। इतनी सख्ती तो अंग्रेजी राज्य में क्या किसी भी राज्य नहीं हुई होगी। अगर ६० फीसदी लगान निकल जायगा तो आपका क्या जाता है? आप अपना खर्चा कम कर दीजिये और १,५०० के बजाय ५०० रुपये लीजिये जोकि आपका पुराना प्रस्ताव था। कोई नयी चीज नहीं है। किसान आपसे खेती करने के लिये पैसा नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं रखता। आप जो तकावी देते हैं वह इतनी बुरी तरह से वसूल होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यह क्या सहायता आप करते हैं? कर्जा देने वाला क्या सहायता करेगा और क्या उससे सहायता होगी? हमारे जिले में १३४ गांव जल गये। बन विभाग वालों से लकड़ी मांगी गयी तो ३६ गांवों को एक-एक छप्पर भर की लकड़ी दी गयी और किसी को कुछ नहीं। हमारे जिले में ३० बड़ी-बड़ी सड़कें थीं और ३० सड़कों में केवल एक ही सड़क बनी है, बाकी कुछ नहीं .....

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंशीधर जी, सड़कों को आप फिर ले आये। बार-बार सड़कों पर कहने के बजाय आप संबंधित विषय पर कहिये। आपको तो कहना चाहिये कि इतने एकड़ जमीन हमारे प्रांत में है, इतनी अलाभकर है, उसमें इतना लगान लिया जाता है।

श्री बंशीधर शुक्ल—सरकार की ओर से बताया गया कि १ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो ६ एकड़ के काश्तकारों के पास है और इस हिसाब से ६० प्रतिशत जमीन ऐसी है जिस के द्वारा अलाभकर जोत होती है और बाकी लाभकर होती है। लाभकर वह होगी जिस में मेहनत की गई हो और उस की पैदा से कुछ लाभ हो और अलाभकर वह है जिस में कुछ पैदा न हो। अलाभकर जोत तो बड़ी से बड़ी जोत भी हो सकती हैं और छोटी से छोटी जोत भी हो सकती है जिसमें मेहनत न हो। ऐसी दशा में एक निश्चित सीमा मुन्शी जी ने बतायी है कि साढ़े छः एकड़ जमीन अलाभकर है और उस पर टैक्स न लिया जाय कोई नयी बात नहीं है अरे भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है? सरकार ने स्वयं कई बार .....

श्री अधिष्ठाता—श्री बंशीधर जी, आप तो ऐसा मालूम होता है कि किसी देहात की सभा में बोल रहे हैं और भाइयों से कुछ कह रहे हैं। कुछ सदन की मर्यादा रखिये, कुछ यहां के कायदे कानून मानिये।

श्री चरणसिंह—वैसे भी यहां भाइयों के अलावा बहिनें भी तो हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—तो मैं अपने मुन्शी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अधिष्ठाता जी, आप के द्वारा मंत्री जी से कहता हूं कि इस तरह से आप किसान को जरा सांस लेने का अवसर दीजिये।

इस के अतिरिक्त वन विभाग की तरफ से जमीनें ली गई हैं और किसानों को कोई सहूलियत नहीं दी गई। इसलिये किसानों को जमीन दी जाय। यह कहना बिलकुल गलत है कि जमीनें कम हैं और आबादी ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है जमीन बहुत है और सब को दी जा सकती है। अब मैं केवल एक बात कहकर अपना भाषण खत्म करूंगा कि आज साढ़े छः एकड़ के काश्तकार की परिस्थिति क्या है:—

"पाते हैं न असन अघाके करें फाके तऊ,
भूमि को बनाके खूब खाद बिथराते हैं।
जोत के मया के बीज बोके जल सींचि सींचि,
त्रण को निराके तन खाक में मिलाते हैं।
जेठ के जलाके सहि शीत के कड़ाके,
घास फूस ही बिछाके जाके खेत को बचाते हैं।
पोत भुगताके औ बेसार निपटाके फिर
अन्त में बेचारे ज्यों के त्यों रह जाते हैं।"

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव के संबंध में सदन के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव इस प्रकार है कि "अलाभकर जोत के किसानों के हितार्थ"। यह शब्द ऐसे हैं कि जिन के अर्थ कई रूप में कई तरह से लगाये जा सकते हैं। अगर इसी रूप में यह प्रस्ताव पारित हो जाय तो इसके क्या अर्थ होंगे यह मेरी समझ में नहीं आता अगर साढ़े छः एकड़ का किसान खेती न करे और वह साधनहीन हो जाय और वह ठीक से पैदावर न कर सके तब वह अलाभकर होगा और एक वह है कि जो रुपया लगाकर खेती करे और फिर भी उस के यहां कम पैदा हो सकता है, वह भी अलाभकर हो सकता है। दूसरे जोत का प्रश्न है इस की कितनी सीमायें हो सकती हैं, कई प्रकार की फसलें होती हैं। तो बड़ा कठिन हो जायगा शासन के लिये कि वह किन जोतों को लाभकर मानें और किन को अलाभकर मानें और इसका निर्णय करना भी बड़ा कठिन हो जायगा कि कौन जोत अलाभकर है और जितना लगान सरकार वसूल करेगी उससे कई गुना इसके जानने में व्यय हो जायगा। जिस प्रस्ताव में इस प्रकार की कठिनाई हो उस को मानने में सरकार को बहुत कठिनाई हो सकती है ....

श्री अधिष्ठाता—उनका मतलब अनएकानामिक से है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अब रहा यह कि आर्थिक दृष्टि से अलाभकर जोत कौन हो ? मान लिया मैं साढ़े छः एकड़ का किसान हूं। इत्तफाक से मैंने उसमें ट्यूबवेल बनाया या एक किसान है साढ़े छः एकड़ का उसने अपने खेत में भिन्न-भिन्न जगहों पर कुयें बनाये और उसका रुपया उसमें अधिक लग गया, तो वह अलाभकर हो गया। तो यह भी कहना बड़ा मुश्किल है कि किस रूप में वह लाभकर या अलाभकर होगा।

दूसरी बात यह है—हमारा खेतिहर देश है, करीब ६५, ७० लाख किसान परिवार ऐसे होंगे हमारे प्रदेश में जो साढ़े छः एकड़ के होंगे और कुल ९० लाख परिवार खेती करने वाले होंगे। यदि साढ़े छः एकड़ वालों को छोड़ दिया जाय तो इसके मानी यह होंगे कि ७७ फीसदी के करीब खेती करने वाले परिवार इससे मुक्त हो जायेंगे। परिणाम यह होगा कि लैन्ड रेवेन्यू फिर इस प्रदेश में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन चौथाई के करीब किसान इससे मुक्त हो जाते हैं। एक चौथाई जो बाकी बचते हैं उनसे जब यह ली जायगी तो उसकी वसूली में इतनी कठिनाई पड़ेगी कि उसका वसूल होना मुश्किल हो जायगा और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिये प्रशासन की दृष्टि से यह जो प्रस्ताव है यह कठिनाई पैदा करता है। इससे तो यह प्रस्ताव अत्युतम होता कि भूमिकर लिया ही न जाय। यह ठीक है। बहुत से देशों में और हमारे इतिहास में भी ऐसा है कि जो लगान लेने के तरीके थे वह दूसरे होते थे। वह जो पैदा करते थे उसी का एक हिस्सा ले लेते थे। तो उससे तो यही अच्छा होता कि १० मन पैदा हुआ तो उसका एक चौथाई या दसवां या आठवां हिस्सा ले लिया। वह कहीं ज्यादा अच्छा होता।

लेकिन यह जो प्रस्ताव रखा गया है उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें किसानों के हित की बात कम है और राजनीति की बातें ज्यादा हैं। इसमें किसानों का कोई लाभ नहीं दिखाई देता। मान लीजिये मैं एक किसान हूं। मेरे चार भाई हैं अगर यह साढ़े छः एकड़ वाला कानून बन गया तो जिस तरह जमींदारी उन्मूलन कानून बनने पर जितने बड़े-बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी जोतों को भिन्न-भिन्न नामों से दर्ज करा दिया, किसी को शिकमी किसी को काश्तकार बनाकर के ३० एकड़ से ज्यादा जितनी जमीन थी, उसको दूसरों के नाम कर दिया, उसी तरह अगर यह साढ़े छः एकड़ सीमा बांध दी गई तो अन्ततोगत्वा परिणाम यह होगा कि कोई भी किसान जिसके पास ५० एकड़ भी भूमि होगी वह भी इसी तरह का बन जायगा और साढ़े छः एकड़ से कम का हो जायगा।

श्रीमन्, यह मैं आपके द्वारा माननीय प्रस्तावक महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर, इस सदन का यह निश्चित मत हो कि लगान बिलकुल लिया ही न जाय तो दूसरी बात है अगर इस प्रदेश के प्रशासन को चलाना है बिना किसी भूमिकर के तब तो इस प्रस्ताव के मानने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर आज प्रशासन को चलाने के लिये किसी न किसी रूप में टैक्स लेना है, तो फिर इस प्रस्ताव को मानने से कठिनाई पैदा हो जायगी। शासन जो पैसा टैक्स के रूप में लेता है उसको भिन्न-भिन्न रूप में देता है। अगर वह सारे काम विकास और सुधार के जो हो रहे हैं उनको बन्द कर दिया जाय तब तो यह हो सकता है। फिर न कुछ लेना है न देना है जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यह रूल था कि नो टैक्स नो सर्विस तो सब काम बन्द कर दिये जायं तो कोई टैक्स न लिया जाय, सब माफ कर दिया जाय। इसलिये इस प्रस्ताव में मौलिक रूप से कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से मैं अपने को इसके समर्थन में असमर्थ पाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं टीकाराम जी से कहूंगा कि वह इस विचारविमर्श के बाद अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय टीकाराम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह समझता था कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कुछ इस प्रस्ताव में संशोधन किया जायगा और साढ़े छः एकड़ और दूसरे कुछ कम खातों के सिलसिले में विचार विनिमय होगा। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी तौर पर उस तरफ से विचार व्यक्त नहीं किया गया है कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जायगा या समर्थन.....

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मैं पिछली तारीख को इसका विरोध कर चुका हूं।

श्री गेंदासिंह—मुझे अफसोस है कि माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण के समय मैं मौजूद नहीं था इसलिये उस जानकारी से मैं लाभ नहीं उठा सका। यह बात तो मालूम हो गई कि सरकार ने इसका विरोध किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने गलत काम किया है। उसको विरोध नहीं करना चाहिये था। यह बात जरूर है कि सरकार ने अपने पुराने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिया है और वह समझते हैं कि लायक लड़का वही होता है जो अपने बुजुर्गों के रास्ते पर नहीं चलता है और अपने बुजुर्गों के वायदों को तोड़ता है। वही लोग इस समय शासन में है और यही उनके समझने का ढंग है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां भी गलती हो रही है और वह एक बड़ी भारी सार्वजनिक गलती है। कुछ दलीलें मैंने सुनी हैं और मैं नहीं समझता हूं कि कुछ तर्क संगत बातें कही गयीं हों।

मैंने अपने पूर्व वक्ता श्री दीपनारायणमणि जी की बात सुनीं, उनके भाषण में कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई कि जिसका उत्तर दिया जा सके। उनकी दिक्कत तो यह है कि लाभकर और अलाभकर जोतों का कैसे फैसला किया जायगा। मैं समझता हूं कि वह अपने साथी राजस्व मंत्री जी से पूछ लें और जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने की तकलीफ गवारा करें तो उसमें लाभकर और अलाभकर जोतों की डैफीनीशन क्या दी हुई है यह मालूम हो जायगा। अगर केवल इतनी कठिनाई है तो मैं समझता हूं कि इसके लिये यह हो सकता है कि बैठकर फैसला हो जायगा कि लाभकर और अलाभकर जोतें क्या हैं।

श्रीमन्, मुख्य कठिनाई तो यह है कि सार्वजनिक धन कहां से आयेगा और प्लानिंग कैसे चलेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, राजस्व मंत्री जी भी उसके सदस्य थे और आज के केंद्रीय सरकार के होम मिनिस्टर पंत जी भी थे और कई माननीय सदस्यों की राय यह थी कि छोटे खातेदारों को मालगुजारी में अवश्य छूट दी जाय और वह रकम कुछ करोड़ों की संख्या में थी। इस कमेटी में सर्व सम्मति न सही बहुमत तो अवश्य था। वह राय बदली और १९२१ में करांची में जिस प्रस्ताव की चर्चा हुई है, जैसे कि मैंने कहा कि उसको तो तोड़ने की ही बात आज रह गई है।

अब इन बातों को देखते हुये सवाल यह है कि कहां से पैसा आये। इसके लिये विवाद लम्बा हो जायगा, इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन इतनी मोटी बात है कि आज किसानों से लेना ज्यादा जरूरी हो गया है और बगैर लिये काम नहीं चलेगा। इस समय २३ करोड़ रुपया मालगुजारी से आता है। इसमें शक नहीं कि ६ एकड़ से कम के किसानों की संख्या बहुत बड़ी है और हमारे प्रदेश में ३ एकड़ से कम के किसानों की संख्या जोड़ें तो ६७ फीसदी इसमें खातेदार आ जाते हैं। लेकिन इसमें शक नहीं कि ६७ फीसदी मालगुजारी माफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, जमीन कम है, हो सकता है कि राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि ५० फीसदी माफ करनी पड़े या इससे कम माफ करनी पड़े लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों की मालगुजारी माफ कर दी जानी चाहिये या नहीं। टैक्स का एक मामूली सिद्धांत है कि जिसमें अदा करने की शक्ति हो उससे टैक्स लिया जाय। इस मुल्क में भी चाहे व्यक्तिगत आय कर हो या सेल्स टैक्स हो या डेथ टैक्स हो, जितने भी मुल्क के अन्दर टैक्स लगाये गये हैं इस बात को ध्यान में रख कर लगाये गये हैं कि रोजी चलाने के लिये उसको उतनी आमदनी छूट जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को डिस्प्यूट नहीं करना चाहिये इस टैक्स के सिद्धांत

[श्री गेंदासिंह]
वाले मामले में। अगर टैक्स का सिद्धांत यह है तो गांव में बैल गाय पालना, खेत में जोतना कोई पाप का काम है कि उसको जीवनयापन के लिये कुछ न कुछ छोड़ा जाय? यह बात किसी जमाने में ठीक थी। अंग्रेजों ने समझा था कि जमीन वाले से अधिक मालगुजारी लेनी चाहिये और इसमें शक नहीं कि उन्हीं पद चिन्हों पर हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज भी चल रहा है। मैं जल्दी में यह फीगर नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद किसानों के ऊपर जो मालगुजारी का बोझ पड़ा है मैं समझता हूं कि फेयर होने के लिये कम से कम राजस्व मंत्री जी रखेंगे कि किसानों के ऊपर कितना बोझ था, जमींदार कितना हिस्सा सरकार को अदा करता था, ये दोनों फीगर ऐसे हैं जो यह बतलाते हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों के ऊपर लगातार वह बोझ बढ़ा है और मैं यह यत्न करूंगा कि कोई महोदय जब बोलें तो मैं वह फीगर कम से कम रखवा दूं कि मालगुजारी की मात्रा धीरे-धीरे जो सरकार को मिलने वाली थी वह घटती गयी और किसानों के ऊपर जो बोझ था वह धीरे-धीरे बढ़ता गया। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा हुआ।

मैं उम्मीद करता था कि जमींदारी अबालिशन के बाद कम से कम जो अंग्रेजों ने किया था उससे भिन्न चीज होगी और उसमें गरीब खेती करने वाले को मदद मिलेगी। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूं कि आज २२ और २३ करोड़ के बीच में अंक है मालगुजारी वसूली के, कहां से आये? जो भूमिधर हो गये, पुराने जमींदार लोग थे उनकी भी मालगुजारी कम है। सीर और खुदकाश्त की मालगुजारी भूमिधरी की मालगुजारी के मुताबिक जितना साधारण किसान मालगुजारी अदा करता है उसकी आधी है, वह आज भी आधी मालगुजारी देता है। तो २३ करोड़ का बोझा किन लोगों के ऊपर गया? यह बोझ जिस तरह से अंग्रेजों ने गरीब जोतने वालों पर बढ़ाया उसी तरह से सरकार ने भी बढ़ाया। मैं उदाहरण के तौर पर अधिवासी को लेता हूं। अधिवासी की मालगुजारी मौरूसी काश्तकार से कई गुना ज्यादा है; अधिवासी निश्चित तौर पर वह लोग हैं जो बिना जमीन के लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं। उनसे ज्यादा टैक्स लेना और बड़े लोगों से कम टैक्स लेना मैं समझता हूं कि टैक्स लेने के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसी हालत में टीकाराम जी का जो प्रस्ताव है अलाभकर जोतों के लिये कि उनकी मालगुजारी कम कर दी जाय उन्होंने यह बड़ा अच्छा किया कि उसको डेफाइन नहीं किया। डेफाइन करना सदन का काम है। अगर बहुत बड़ा बोझ सदन के ऊपर आ जाता हो, ६ एकड़ लेने से तो मैं समझता हूं कि कम कर दिया जाय लेकिन कम कर दिया जाय उसी सीमा तक जिसमें कम से कम किसान खाना तो खा सके, अपनी जिन्दगी को चला तो सके किसी तरह से।

पिछली पंचवर्षीय योजना में जो कुछ नेशनल इनकम बढ़ी उसका हिस्सा कहां गया फाइनेंस मिनिस्टर साहब, बैकुंठनाथ मेहता जी की जो रिपोर्ट निकली है गुस्ताखी माफ हो मेरी, उसको मेहरबानी करके पढ़ जायं बैकुंठनाथ मेहता साहब ने नेशनल इनकम पर कोई रिपोर्ट लिखी है। उसको पढ़ लें। अगर उसको नहीं पढ़ सकते तो एक संसार अखबार बनारस से निकलता है उसका लीडिंग आर्टिकिल जो पिछले सप्ताह का है, उसको ही पढ़ लें।

श्री चरणसिंह---मुझे आप बेपढ़ा ही समझकर बात करें।

श्री गेंदासिंह---मैं ऐसे लोगों में से हूं जो आपको बेपढ़ा नहीं समझ सकते। अधिष्ठाता महोदय, यह बात उस रिपोर्ट में है कि पंचवर्षीय योजना की जितनी आमदनी हुई उस आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कहां गया? वह गया उन लोगों के ऊपर जो इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देने वालों की आमदनी इतनी बढ़ी कि उसका जो अनुमान लगाया गया उस अनुमान के मुताबिक जितनी नेशनल इनकम में वृद्धि हुई उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन बड़े लोगों के पास चला गया। सही तस्वीर यह है कि हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें से ज्यादातर हिस्सा उनके पास चला गया जो धनी हैं और जो पूंजीपति हैं। तो इससे यह निश्चित है कि इस पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार से गरीब-गरीब होता चला

जा रहा है और धनी और अधिक धनी होता चला जा रहा है। अगर इस पर सरकार विचार नहीं करना चाहती है तो मैं समझता हूं यह स्वाभाविक है। उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है और शिकायत करके क्या करूंगा ? लेकिन इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिये। आज पंचवर्षीय योजना का जो नतीजा है वह नतीजा उन लोगों के पास जा रहा है जो रिसोर्सफुल है और उद्योगपति हैं या सरकार की नौकरियों में बड़े-बड़े ओहदों पर हैं उनके पास वह सम्पत्ति जा रही है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह टैक्स के सिद्धांत के विरुद्ध है और टैक्स के सिद्धांत ही नहीं बल्कि जो पार्टी आज पावर में बैठी हुई है और जो समाजवाद के सिद्धांत की रूपरेखा जिस तरह से देश में लाना चाहती हैं उस कांग्रेस की पार्टी के भी विरुद्ध है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का किसान आज इस बात का हकदार और दावेदार है कि जिसने देश के लिये कुरबानी की है और सैकड़ों वर्षों से कुरबानी कर रहा है, इस पंचवर्षीय योजना में, इस देश के निर्माण में उसको कुछ हिस्सा मिलना चाहिये। आज जो छोटी-छोटी रकम के लिये उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वह कभी भी इसको बरदाश्त न करता, वह कभी भी २ रुपये ४ रुपये के लिये कमर में रस्सी लगवाकर घूमना पसन्द नहीं करता यदि उसकी जरा भी दशा आर्थिक दृष्टि से सुधरी होती। उधर के भाई यह कहते हैं कि लोग मालगुजारी देने के लिये किसान को मना करते हैं इस लिये वह नहीं दे रहा है। अधिष्ठाता महोदय, उसका २०० रुपये का बैल कुर्क करके बन्द किया जाता है, ८, ८ और १०, १० घंटे उसकी कमर में रस्सा लगती है, उसको पीठ पर ईंटा लादा जाता है, उसको मुर्गा बनाया जाता है। यह सब मुसाबतें वह किसलिये उठाने को तैयार है। सिर्फ इसलिये कि वह २, २ और ४, ४ और ६, ६ रुपये का इंतजाम नहीं कर सकता। जब जवाहरलाल जी और पुरुषोत्तम दास जी टंडन जैसे लोगों के नेतृत्व में रह कर यह लगान बन्दी का आन्दोलन नहीं चल सका तो यह हमारे कहने से चलेगा। यह हमारी ताकत में नहीं है कि हम लगान बन्दी का आन्दोलन चला सकें। वह किसान तभी इस तमाम संकट का सामना करता है जब उसके सामने आर्थिक संकट होता है। वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और अपनी झोपड़ी को सीधा नहीं कर सकता है। आज वह भूख से मर रहा है। उसके लिये टीकाराम जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस सरकार का जो दामन खून से लथपथ हो रहा है वह कम से कम मिट जाय। जिसको आप अलाभकर जोत समझें उसकी मालगुजारी अगर यह सरकार न ले तो यह सरकार सही काम करेगी और यह सरकार उन लोगों की मदद करेगी जिनकी मदद करने के लिये कटिबद्ध होकर और वायदा करके यह यहां पर आकर बैठी हुई है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हमारे माननीय गेंदासिंह जी ने जो अपना भाषण दिया उसके अर्थ को समझने में मैं बिलकुल असमर्थ रहा। जहां माननीय टीकाराम जी यह कहते हैं कि साढ़े छः एकड़ की जमीन पर लगान बिलकुल क्षमा कर दिया जाय वहां हमारे माननीय गेंदा सिंह जो कहते हैं मान लो कि साढ़े छः एकड़ अधिक है तो उससे कम कर दी जाय यह सीमा। कम क्या कर दी जाय और कितनी कर दी जाय ? और उसके साथ आप लगान लेने की भी बात कहते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आप उन के प्रस्ताव का खंडन करते हैं या मंडन करते हैं। इस प्रस्ताव की आड़ में यदि माननीय गेंदासिंह जी कोई और तस्वीर लाना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं या अपने ध्रुवतारे को दूसरी ओर से दिखलाना चाहते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन इस प्रस्ताव से उनके भाषण का कोई संबंध नहीं रहा है।

माननीय टीकाराम जी का सीधासादा प्रस्ताव है। मैं उनके भावों का मूल्य करता हूं लेकिन उनके भाव जिस भाषा में आये हैं, वह विकृत रूप में है और यदि आप मुझे कहने की इजाजत दें तो वे हमारे सामने एक बड़े कंफ्यूज्ड वे में आये हैं। मैं नहीं समझ पाता कि साढ़े छः एकड़ जमीन को किस विचारधारा से अलाभकर कहा गया है। अव्वल तो अलाभकर

[श्री रामलखन मिश्र]

शब्द बड़ा पुराना, पोलिटिकल और एक सड़ा हुआ स्लोगन है। अब उसके अंदर कोई मूल्य नहीं है। इस जमीन के अन्तर्गत, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि चाहे यह आग्नेय कणों से बनी हो अथवा बालुकामय रजकणों से, अथवा किसी और पदार्थ से, सब के लिये रसायनिक और उपयुक्त खाद तैयार हो गयी है और आजकल एक एकड़ जमीन के अन्दर ७०० मन पुख्ता पपीता पैदा हो सकता है, ६०० मन आलू आप पैदा कर सकते हैं और यह एक्सपेरीमेंट ने दिखाया है और इसको देखा जा सकता है। मैं नहीं समझ पाता कि साढ़े ६ एकड़ जमीन अलाभकर किस प्रकार हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह एक अपेक्षाकृत शब्द है, कंपरेटिव शब्द है। यदि इसके साथ किसान का कुटुम्ब कितना बड़ा है, उसमें कितने कमाने वाले हैं, कितने व्यक्तियों का जीवनयापन उसके द्वारा होता है, यदि इस सबको मिला कर कहा जाय तब तो इसका कुछ अर्थ हो सकता है, किन्तु इसके पहले न तो साढ़े ६ एकड़ की बात चलायी जा सकती है और न किसी और सीमा का निर्धारण किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त इसका असर ला आफ इनहेरिटेंस (Law of inheritence) पर भी पड़ता है, सक्सेशन (Succession) पर भी इसका असर पड़ता है। और एक समय ऐसा आ सकता है कि साढ़े ६ एकड़ की सीमा के अन्दर ही सारा प्रदेश खेती कर सकता है तो उस समय राज्य के लिये संकट उत्पन्न हो सकता है। तो मैं नहीं समझ पाता कि साढ़े ६ एकड़ जोत को अलाभकर कह कर उस पर से कर क्षमा कर दिया जाय यह किस विचारधारा से कहा जाता है। इसके पीछे क्या विचार धारा काम कर रही है यह नहीं समझ पाता। आखिर राज्य को चलाना है तो उसके लिये कर लेना ही होगा किसी न किसी रूप में और कर न देना भी एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न करने की दिशा में एक बात होगी। जब एक बार हम यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं कि राज्य सत्ता को हम को चलाना है और अराजकता नहीं उत्पन्न करनी है, मत्स्य न्याय नहीं लाना है, अव्यवस्था नहीं लानी है, तो राज्य सत्ता चलाने के लिये हमको एक चीज करनी होगी। किसान के प्रति सहानुभूति के शब्द जो हैं यह बैलट युग से प्रारम्भ हुए हैं। किसानों की गरीबी, उन पर दया और करुणा की जो बछौर की जाती है और अनावश्यक रूप से की जाती है वह सब बैलट बाक्स के लिये की जाती है ताकि किसान यह समझे कि यह हमारे प्राणदाता हैं और इसके अतिरिक्त उसमें कोई तथ्य नहीं है।

यह जो साढ़े छः एकड़ की बात है यह तो आन दि फेस आफ इट (On the face of it), प्रत्येक रूप से बहुत ही हास्यास्पद बात है। यदि यह बात कही जाय कि किसानों को और सुविधायें दी जायं, उनकी खाद, सिंचाई आदि की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ किया जाय, अथवा उनकी जो और पारिवारिक समस्यायें हैं उनको हल करने की कुछ बात हो और उनको हम एक अच्छे रूप में सोच सकें तो यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन यदि हम यही पुराने स्लोगन उठायें कि साढ़े छः एकड़ जमीन पर लगान छोड़ दिया जाय, क्योंकि वह अलाभकर है, मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई तथ्य नहीं है। यह बिलकुल डिकेड हो चुका है, सड़ चुका है और कोई भी समझदार व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय टीकाराम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं ट्रेजरी बैंचेज के लोगों के भाषणों को बड़े गौर से सुनता रहा। माननीय मदन मोहन जी वर्मा ने पालीवाल जी के बोलने के बाद भाषण देते हुये कहा कि पालीवाल जी सदन को उपदेश दे रहे थे, उपदेश देना तो अच्छा है, लेकिन वह संगत होना चाहिये, असंगत नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह उनका एक आरोपथा। इसी प्रकार अभी मेरे पूर्व वक्ता ने गेंदासिंह जी के भाषण को समझने में अपनी असमर्थता प्रकट की, यद्यपि वह प्रस्ताव के विरोध में अपने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का यह कहना कि अलाभकर जोतों पर कर न लिया जाय, यह महज एक राजनीतिक नारा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जिसे आज ये लोग एक नारा कहते हैं, उन्हीं की पार्टी ने १९३७ में फैजपुर कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया था। हां, इतना अन्तर अवश्य है कि वह उस समय एक राष्ट्रीय संस्था थी, आज की कांग्रेस नहीं थी। उस समय भी कांग्रेस ने खूब समझ सोचकर एक प्रस्ताव पास किया था और उसमें साफ-साफ कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये फिर से मालगुजारी और लगान में परिवर्तन करके काफी कम करना चाहिये। प्रस्ताव का दूसरा खंड था कि अलाभकर जोतों को भूमिकर तथा लगान से माफ करना चाहिये और तीसरा खंड यह था कि खेती पर कर लगाने में भी वही नीति अपनानी चाहिये जो दूसरे करों में अपनाई जाती है। ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है त्यों-त्यों कर का भार बढ़ना चाहिये। जो छोटी जोत वाले हैं उन पर कर का भार कम पड़े। यह उस संस्था ने कहा था। जो लोग आज इसे नारा कहते हैं वे उस राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने पन्नों को उठाकर देखें। जिस संस्था को महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त था उसने मुल्क की परिस्थिति का अध्ययन करके और सोच-समझ कर समझदारी से प्रस्ताव पास किया था। मुझे दुख है कि यदि आज उधर के लोग अपने को उसका पालन करने में असमर्थ पाते हैं तो वे ऐसा कहें। लेकिन उसके लिये नारे का तर्क प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि यदि उसने ढाई या तीन एकड़ वाले किसानों पर भी लगान छोड़ दिया तो उसे करोड़ों रुपये की हानि होगी। लेकिन यह एक सिद्धान्त की बात है कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ होना चाहिये या नहीं, चाहे वह साढ़े छः एकड़ की हो या सात एकड़ की हो या आठ एकड़ की हो। अगर वह इस विद्धान्त को मानती है तो ठीक है वरना हमें एक निश्चित नीति के अनुसार काम करना है और हम उसके लिये लड़ेंगे। कुछ लोग प्रस्ताव के भाव से सहमत हैं, लेकिन एकड़ के ऊपर उनको मतभेद है। इसे भी देख लिया जाय कि कितने एकड़ होना चाहिये।

दूसरी बात कही जाती है कि रुपये का सवाल है। हर बात रुपये के ऊपर ही नहीं रहती है। यदि राजस्व कोष पर इसका असर पड़ने का डर है तो फिर नशाबन्दी सरकार ने क्यों कुछ जिलों में की? उससे बहुत बड़ी रकम आती थी, लेकिन सरकार ने सिद्धांततः इस बात को माना कि कुछ ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर हमें रोकथाम लगानी चाहिये। जो नैतिकता के आधार पर नहीं, वरन् दूसरे कारणों से राष्ट्र के लिये घातक हैं। इस बात को मानकर सरकार ने नशाबन्दी का सिद्धान्त माना है। इसलिये केवल रुपये की कमी का बहाना सरकार के सामने नहीं आना चाहिये।

सरकार की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि हम २ १/२ एकड़ वाले खेतिहर का लगान माफ करते हैं तो भी सरकार के ऊपर करोड़ों का असर पड़ेगा और उसे केवल १०, १२ रुपये सालाना का लाभ होगा। मंत्री जी जानते हैं कि ग्रामीण जनता की औसत वार्षिक आय १९४ रुपये प्रति व्यक्ति है और वह मासिक १६ रुपये के लगभग आती है। तो वह किसान १०, १२ रुपये में अपना २०, २२ दिन पेट भर सकता है और अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आज उसी १०, १२ रुपये के न होने के कारण हमारे प्रदेश में भुखमरी हो रही है। यह वास्तविकता है चाहे उसे सरकार प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करे या न करे।

एक और बात है। हमारे प्रदेश में खाते बहुत छोटे-छोटे हैं। १९५१ में नेशनल सैम्पल सर्वे के मुताबिक १ एकड़ से कम जोत वालों की संख्या १४·८ फीसदी थी, २ १/२ एकड़ से कम संख्या ४१ फीसदी थी और ५ एकड़ से कम वालों की संख्या ६६·१ फीसदी थी। इसलिये प्रदेश के खजाने पर असर अवश्य पड़ सकता है, परन्तु उसके लिये दूसरे साधन हैं जिनसे

[श्री चन्द्रजीत यादव]

वह उसे पूरा कर सकती है। हमारे देश में आज पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है और यदि कुछ चीजों पर राष्ट्रीयकरण किया जाय तो इस १४, १५ करोड़ रुपये के घाटे से कई गुनी आय सरकार को हो सकती है। प्राइवेट मोटरों का सरकार ने हिम्मत करके राष्ट्रीयकरण किया और उसका प्रत्यक्ष फल यह है कि सरकार के कोष में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। तो सरकार को हिम्मत करने की आवश्यकता है।

भूमि के वितरण का प्रश्न है जिसे पहले राजस्व मंत्री जी मानते थे परन्तु अब नहीं मानते हैं। वह आज उससे हट गये हैं। मैं आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव को स्वीकार करें चाहे अलाभकर जोत वह कुछ घटा बढ़ा लें। किसी भाग में चाहे वह उसे ६ १/२ एकड़ रखें और दूसरे में कुछ और रखें। पहले वह सिद्धान्त को तो स्वीकार करें। उन शब्दों के साथ मैं माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रमेश चन्द्र शर्मा (ज़िला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसे संकल्प पर बोलने का अवसर दिया जो कि किसानों के लाभ या हानि के लिये अक्सर सदन में पेश हुआ करते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, कई बार मांग की गई कि काश्तकार का लगान कम कर दिया जाय। हम इस बात को नहीं समझ पाते कि एक तरफ तो मांग की जा रही है कि जमीन का बटवारा फिर से कर दिया जाय और ४ १/२ करोड़ किसान जो इस प्रदेश में हैं उनकी जमीन लेकर फिर से बांट दी जाय और बहुत छोटे-छोटे काश्तकार बना दिये जावें। है भी ऐसा ही। हमारे प्रदेश में बहुत कम काश्तकार हैं जो लम्बी काश्त रखने वाले हों। दूसरी ओर सदन मे यह संकल्प पेश किया जाता है कि अलाभकर जोत वाले किसानों का लगान माफ कर दिया जाय या कम कर दिया जाय। जमींदारी उन्मूलन के अन्दर माल मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को रख दिया था कि जिन खातों में पैदा नहीं होता, उनका लगान न लिया जाय, या किस ढंग से लिया जाय, सूखा और बाढ़ में तो माफ भी हो जाता है और उसी ढंग से वसूली भी होती है और उसी ढंग से छूट भी दी जाती है। लेकिन यह रख देना कि उन कुल खातों पर जो साढ़े छः एकड़ के हों लगान बंद कर दिया जाय, इसके तो माने यह होते हैं कि हमारे प्रदेश के अधिकतर किसानों का लगान बन्द हो जाय। दूसरी तरफ जब वृहत् जोतकर लगाया जाता है, बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगाया जाता है तो भी उसका विरोध किया जाता है कि उनके ऊपर टैक्स न बढ़ाया जाय। जब सरकार बड़े-बड़े काश्तकारों या पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने के लिये तैयार होती है या टैक्स लगाती है तो उस वक्त कहा जाता है कि बहुत अधिक टैक्स लगाया जा रहा है, यह तो पहले से ही ज्यादा था। और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि साढ़े छः एकड़ वालों पर टैक्स माफ कर दिया जाय।

अब अलाभकर कौन सी भूमि है? अलाभकर भूमि होती है, जिसमें खेती नहीं होती, जो खेत नदी ने काट दिये हैं, ऊसर हो गये हैं, बंजर हो गये हैं जिनमें गल्ला पैदा नहीं होता। उसको तो आप अलाभकर कह सकते हैं। लेकिन आप साढ़े छः एकड़ से कम की सब भूमि को ही अलाभकर कहें और कहें कि उस पर से लगान खत्म कर दिया जाय, यह बात समझ में नहीं आती है। जब बड़े काश्तकारों से लिया जाता है तब भी आप शिकायत करते हैं, जब छोटे काश्तकारों से लिया जाता है तब भी आप शिकायत करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बनेगी जो लगान न ले, टैक्स न ले और प्रदेश में हर प्रकार से शांति और व्यवस्था रखे। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आप बनाना चाहते हैं?

अभी हमारे भाई चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि बहुत पहले कांग्रेस के लोग कहा करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो बहुत दिनों पहले कितनी ही बातों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कहा करती थी क्या उन्हीं बातों को आज भी कहती है ? अब कहां आप उन विचारों को रख रहे हैं । आपका विचार तो यह है कि किसी तरह से यह जो पद्धति चल रही है, सरकार चल रही है, उसके मार्ग में किसी तरह से रुकावट डाली जाय, चाहे वह टैक्स न लगाया जाय, इस रूप में हो या और किसी रूप में । आपका सीधासादा मतलब यही है कि यह सरकार किसी प्रकार चल न सके ।

मैं दूसरे साथियों से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे वह इधर के हों या उधर के कि इस विषय में वे अपनी राय दें कि अलाभकर जोत किसे कहते हैं । प्रथम खेत, द्वितीय खेत या तृतीय खेत जो ज्यादा और कम गल्ला देते हैं अर्थात् वे खेत जो गल्ला नहीं देते हैं । वे जिन पूर्वी जिलों से आते हैं उन्हीं पूर्वी जिलों से मैं भी आता हूं और मैं भी उन्हीं काश्तकारों के बीच से आता हूं और देखता हूं कि जो काश्तकार बहुत गल्ला पैदा करते थे, जिनके पास बहुत सी जमीन थी, वे भी आज बुरी हालत में हैं और कुछ भी पैदा नहीं कर पाये हैं । साढ़े छः एकड़ से ज्यादा के किसान के पास भी कुछ गल्ला नहीं हो पाया है और न कम के किसान के पास । किसी किसान के पास चारा भी नहीं है, पशुओं के लिये भूसा नहीं है । यह हालत सभी की है । क्या कोई ऐसा बड़ा काश्तकार इस सूबे में है जो दैवी आपत्तियों के आने पर भी गल्ला और चारा पैदा कर सकता हो ? चाहे कोई अलाभकर जोत वाला हो या वृहत् जोत वाला हो, लेकिन यह मुसीबत सब पर आ जाती है ।

तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि साढ़े छः एकड़ की सीमा रखें या यह सीमा रखें कि जिन खेतों में गल्ला नहीं होता है, वह अलाभकर है । और फिर कौन सी जमीन पर से लागन न लिया जाय । जिनकी जमीन नदी में आ गयी हो, ऊसर हो या बंजर हो, वह चाहे बड़े काश्तकार की हो या छोटे की, जिसमें गल्ला पैदा नहीं होता उसी को अलाभकर समझ कर, उस पर लगान न लिया जाय, ऐसा प्रस्ताव यदि हम पास करते तो इस प्रदेश का हित हो सकता था । लेकिन अगर आप छोटी-छोटी भावनाएं पैदा करके अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से देश के अन्दर एक दूषित वातावरण पैदा करने के लिये इस सरकार को इधर से उधर करना चाहें, तो ऐसा संकल्प हमेशा आप लाया करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, उधर के हमारे कांग्रेसी मित्रों ने कुछ ऐसी बातें कह दीं कि अलाभकर जोत कहते किसे हैं, उसका डेफिनिशन क्या है ? इसकी डेफिनिशन या परिभाषा जितनी भी है श्रीमन्, वह तो उन्हीं की डेफिनिशन है, उन्हीं की परिभाषा है जो उन्हीं के मुखारबिन्दु से निकली हुई है । मुझे आश्चर्य है कि आज इस बात पर बहुत जोर दिया गया है । एक तो हमारे माननीय मिश्र जी ने पहले यह फरमाया कि यह सड़ी गली चीज है, यह सड़े जमाने की चीज है, अब इसका कोई महत्व नहीं है । श्रीमन्, यह बात कही किसने ? यह बात कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिनके ऊपर केवल हमारे देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को गर्व है । यह बात कही माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और यह बात कही हमारे माननीय माल मंत्री जी ने जो उधर उन लोगों के अगुवा हैं जो इस बात को कहते हैं कि यह सड़ी गली हुई चीज है । श्रीमन्, यह उन्हीं की एक किताब है, यू० पी० जमींदारी एबालिशन कमेटी-की रिपोर्ट जिसके सदस्य माननीय चरणसिंह जी थे और माननीय गोविन्द बल्लभ पंत उसके चेयर मैन थे । उन्होंने बहुत छानबीन के बाद, सैकड़ों आदमियों से पूछने के बाद, बहुत तफसील में जाने के बाद, यह रिपोर्ट तैयार की । उन्हीं का कहना है, उन्होंने इसमें बड़े अच्छे-अच्छे उद्धरण दिये हैं—यहां डाक्टर ल्यूकस का एक उद्धरण है जो इस प्रकार है—

"Dr. E. D. Lucas in his economic survey of the village of Balrampur in the Hoshiarpur district of the Punjab, after an extensive enquiry into

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

the family budgets of the peasantry, came to the conclusion that 14 acres cannot support a Jat and his family of five without obliging them to incur debt."

यानी ५ सदस्यों की एक फेमिली हो तो उसको वह सपोर्ट नहीं कर सकता । आगे एकनामिक होल्डिंग्स के बारे में कर साहब ने कहा है—

"The Committee was unequivocally of the opinion that in the Gorakhpur division the average holding was uneconomic."

इसके बाद फिर माननीय चरणसिंह जी की राय है जो इस तरह से है—

"Sri Charan Singh regards an area of 6 1/4 acres as roughly an average economic holding. A number of witnesses examined by us support this view. But this figure corresponds to the actual average cultivated area per plough in the province, as the following table from the cattle census report of 1935 would show."

तो यह रामायण इधर के लोगों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि आप ही लोगों की लिखी हुई है जिसको आज आप उल्टा पढ़ रहे हैं। जिन दिनों आप मनुष्य थे, इंसान थे और राष्ट्रवादी के नाते, देश की भलाई के नाते, उस कांग्रेस में थे। जब मैं कांग्रेस की बात कहता हूं तो इसका मतलब केवल उधर के बठने वालों से नहीं है। उसमें बहुत से इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी थे, हम लोग भी थे। उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि कांग्रेस का एक प्लैटफार्म था। उसमें हम लोग भी थे.....

श्री अधिष्ठाता—इसमें शुबहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, शुबहा तो बहुत सी बातों में हो सकता है, किसी की पैदाइश के बारे में भी हो सकता है। खैर, उन सब बातों में मैं नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें माननीय रफी अहमद किदवाई जसे आदमी थे, और जब कांग्रेस का एक प्लटफार्म था तभी बूढ़े महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को पार्टी न रख कर इसे एक आदर्श संस्था के रूप में रहने दो खैर, उन सब चीजों में न जाते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आप सन् १९३१ के करांची कांग्रेस के प्रस्ताव को देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ ह। वहां की बात लीजिये। क्या जवाहरलाल जी नेहरू ने यही फरमाया था? एकोनामिक और अनएकोनामिक होल्डिग की बात हमारे मुंह से निकली हुई नहीं है हमारे दिमाग की उपज नहीं है। हम तो अब केवल यह कहते हैं कि आप कल क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। कल की भाषा भूल गये हो। यह हो सकता है कि यह कुर्सी पर बैठने का प्रभाव हो।

"कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय ।
वा खाये बौराय जग, या पाये बौराय ।"

शायद वही बात यहां चरितार्थ हो रही है।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कही गयी है कि यह सड़ी गली चीज है और हम किसानों के लिये साधन मुहइया कर रहे हैं, उत्तम बीज, उत्तम औजार दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? नियोजन की बात कही जाती ह। यह भी कहा जाता है कि खाद्य समस्या हल हो गयी और वह इस देश में बाकी नहीं रही। बड़ी घोषणायें की गयीं कि हमने अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की पूर्ति कर ली। किन्तु इन सब का एक ही टेस्ट ह, एक ही जांच है कि क्या वाकई में आज हमको खाना मिल रहा है? श्रीमन्, असल बात क्या है? जिस साल इन्द्रदेव वक्त पर बरस गये, ठीक खेती लग गयी तो कहा कि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल है और जिस साल बाढ़ आ गयी उस साल उसके शिर पर दोष मढ़ दिया गया। "मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू।" अगर यह कहते हो कि योजना सफल हो गयी तो दूसरे वर्ष यह भी कहो कि

योजना विफल हो गयी। अगर अमृत पीना चाहते हो तो समुद्र मंथन के हलाहल का पान भी करना पड़ेगा। अगर आप देश की प्रतिष्ठा चाहते हो, उसको सुखी बनाना चाहते हो तो आपको शिव बनना पड़ेगा और अमृत के साथ-साथ हलाहल गरल, विष का पान भी करना पड़ेगा। इस बात को उधर के मित्रों को नहीं भूल जाना चाहिये।

अब नियोजन का नाम लिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी और दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधा समय खत्म हो रहा है, लेकिन वही रोना, वही खेती, आज भी बाढ़ से खत्म, सूखे से खत्म। तो हुआ क्या? नतीजे से आंकना होता है। नतीजा आपके सामने है।

माल मंत्री जी ने कहा हमने तो हेरीडेटरी का मामला खत्म कर दिया, लेकिन आज वह दूसरे किस्म का हो गया है। गांव के पटेल या प्रधान को मंत्री जी खत्म करते हैं, क्योंकि वह आज फिर भी हावी है। श्रीमन्, इसका कारण स्पष्ट है कि जो सब से निचला तबका है किसान का उसके पास यथेष्ट सामान नहीं है। वह अपने लड़के को पढ़ाने लिखाने की सुविधा नहीं प्रदान कर सकता, उसमें राजनीतिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की चेतनायें नहीं आयी है। भले ही उसका राग अलापा जाय और चाहे जितना प्रोपगेंडा किया जाय, लेकिन उसम चेतना कहां है? आज वह स्वतंत्रता सूर्य की रश्मियों का दर्शन नहीं कर पाया है। एक किसान का बेटा आज से ५० साल पहले भैंस पर बैठकर जिस प्रकार डंगर चराया करता था आज भी आप उसको, गांव के ग्वालों को, इसी प्रकार देखेंगे। तो इतने बड़े नियोजन को, जिसको बड़े-बड़े पंड़ितों ने, बड़े-बड़े नियोजनशास्त्रियों और बड़े-बड़े योग्य मस्तिष्कों ने बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखीं, लेकिन उस किसान के बेटे को भैंस की पीठ से उतार नहीं सके। क्या इसी पर हम गर्व करते हैं? नतीजा देखिये। जो सत्य है उसको स्वीकार करिये यह नहीं कि हम यह बात सोच लें कि हम तो बहुत तरक्की पर हैं और हमने किसान का बहुत भला कर दिया।

आज बीज की बात कही जाती है। कितने किसानों ने बीज लिया चाहे वह सिंदरी का बना हुआ स्वदेशी बीज हो या चाहे आपने जर्मनी से मंगाया हो, लेकिन कितने गरीब उसको इस्तेमाल करते हैं? लिया होगा जो बड़ी-बड़ी जोत वाले हैं, जिनके पास पैसा है, लेकिन गिनती करिये कि कितने छोटे किसानों ने आप का बीज लिया।

कोआपरेटिव की बात कही जाती है। चाहे बीज की बात हो और चाहे कर्जे की बात हो, उसकी वही हालत है। आप जिस किसान को महाजन के चंगुल से बचाना चाहते थे आज भी वह गरीब किसान उसी महाजन के चंगुल में है, क्योंकि कोआपरेटिव सोसाइटियों में इतने ज्यादा कागजी घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं कि अगर फसल बोने के लिये बीज चाहिये तो कागजी घोड़े दौड़ाने में ६ महीने लग जाते हैं, लेकिन महाजन रुपया घर दे जाता है और इस प्रकार वे महाजन के ५० प्रतिशत सूद के चक्कर में फंस जाते हैं और उससे वे छूट नहीं पाते।

ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स की बात कही जाती है। तो जिनके पास बड़ी जोतें हैं, जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, वे ही ट्रैक्टर रख सकते हैं और फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। उस गरीब की क्या बिसात और औक़ात है कि वह इन चीजों को खरीद सके। फिर उससे कहा जाता है कि इन अलाभकर जोतों से अगर तुम जापानी ढंग से खेती करो तो ज्यादा पैदा कर सकते हो। ढंग अच्छा हो सकता है, किन्तु वह गरीब इतने चक्करों में पड़ जाता है कि चार दिन तो उसे लाइन खींचने में लग जायंगे। जब कि हमारे देश में कृषि अब भी वर्षा के समय पर होने या न होने पर निर्भर करती है और बाढ़ से किसान सशंकित रहता है। इसलिय नया तजुर्बा करने से वह घबड़ाता है। इसलिये खरीफ आन्दोलन के बारे में बड़ा शोर हुआ, लेकिन कहावत मशहूर है कि "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खूं न निकला।"

अब जहां तक ग्रान्ट इन ऐड तथा तकावी का सवाल है जैसा कि उधर के माननीय सदस्यों ने फरमाया, ग्रान्ट इन ऐड तो बहुत कम लोगों को मिलती है और तकावी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास जायदाद हो और जो ऋण से कई गुना ज्यादा कीमती हो, ताकि वह

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

जायदाद को बन्धक रख कर उसके अगेन्स्ट कर्ज ले सकें, लेकिन जिनके पास जायदाद न हो उसको कौन कर्ज देगा, वसूली किससे होगी ? लिहाजा गरीब को तकावी से कोई फायदा नहीं। यह जितना भी आप कर रहे हैं मध्यम वर्ग के लिये कर रहे हैं। आपकी योजनाओं से सारा फायदा बीच वाले को पहुंचता है, उस गरीब तक वह फायदा नहीं पहुंच पाता है, जो धरती का लाल है, जिसके छोटे-छोटे खेत हैं, जिनके पास न ट्रैक्टर्स हैं, न माडर्न इम्पलीमेंट्स हैं।

जब तक यह जो गिरा हुआ तबका है, जिसके पास छोटे-छोटे खेत हैं उसकी समस्या का हल नहीं होता है, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक न तो वह तरक्की कर सकता है और न समृद्धि कर सकता है और न वह अपने बाल बच्चों का शिक्षण कर सकता है। और शिक्षण न पाने से वह यह भी नहीं जान सकता कि किस प्रकार आज के जमाने में चलना है, किस प्रकार उसका उचित प्रतिनिधित्व छांटा जायगा। लिहाजा अगर वास्तव में हमको छोटे तबके को मदद पहुंचाना है तो ऐसा उपाय कीजिये कि जिससे उसी को सारी मदद पहुंचे।

एक चीज यह भी है कि गरीब तबके के लिये भगवान ही मालिक है जिसकी कोई पहुंच नहीं है, आवाज नहीं है सरकार तक पहुंचाने के लिये। अभी माल मंत्री ने बतलाया कि करीब ९,००,००० आदमी बाढ़ से प्रभावित हुए, १६ आदमियों की जानें गयीं और १,२३,००० रुपये उनकी सहायता के लिये दिये गये। २,०९,५०० रुपये पहले से कलेक्टरों के पास उनकी सहायता के लिये दिये गये थे। इतना सब कब हुआ ? जब वहां के प्रतिनिधियों ने कुछ शोरगुल मचाया। लेकिन जिनका जोर नहीं होता है, जिनका अल्पमत होता है, जिनकी बात नहीं पहुंच पाती है और माननीय मंत्री जी सोचते हैं कि ये हमारा बिगाड़ ही क्या सकते हैं, उनके लिये कुछ भी नहीं किया जाता। गतवर्ष जब इतनी बड़ी बाढ़ आयी तो हमारे यहां ४२ आदमी मरे थे अल्मोड़ा जिला, दानापुर के इलाके में और सहायता के लिये दिये गये १,००० रुपये, १८ बोतल मिट्टी का तेल और ३ बंडल दियासलायी। That does not meet even a fringe of their demand." लिहाजा यह भावना काम नहीं करती। सहायता देने में कि कौन कितना जरूरतमन्द है, मापदंड का स्वरूप ही अलग-अलग है। हम चिल्लाते और चीखते रह गये, लेकिन नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है।

माननीय माल मंत्री जी की एक दिक्कत मैं समझता हूं। रेवेन्यू बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे तो काम कैसे चलेगा लिहाजा हमारा कहना यह है कि अंग्रेजों के जमाने में जो रेवेन्यू थी, वह बहुत ज्यादा बढ़ गयी है उस बढ़ी हुई रेवेन्यू को आप कम करें। मैं टीकाराम जी के प्रस्ताव में यह संशोधन करता हूं कि पूरा लगान नहीं, बल्कि आधा लगान माफ करें ताकि सरकार की रेवेन्यू भी कम न हो और किसान की जो कमर टूटी है उस पर से बोझ हलका हो जाय, लेकिन किसान को राहत न मिले यह कुछ मुनासिब नहीं है। भारत जो है यह इस किसान पर ही टिका हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो इस राज्य का अन्त कहां होगा ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने एक संशोधन भेजा था अगर पहले उस संशोधन पर बात हो जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जरा आसानी होगी।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा कर बैठ जायं। उसे हमने अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजनारायण—आप पहले की व्यवस्था सुन लें। जब माननीय अध्यक्ष यहां थे तो उन्होंने मुझे बोलने के लिये बुला लिया था। मैंने कहा कि चौधरी साहब को सुन लूं तो बाद में बोलूंगा। अब आप देखते हैं कि चारों ओर से एक शंका प्रकट की जा रही है। अगर मैं उस संशोधन के साथ अपना मत रख दूं तो डिबेट का ट्रेन्ड बदल सकता है।

श्री अधिष्ठाता—हमने उस संशोधन को तो रिजेक्ट कर दिया है, किन्तु आप अपना मत अवश्य रख सकते हैं।

श्री गुप्तारसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन श्री गेंदा सिंह और जनसंघ के गोविन्द सिंह की बातें सुन कर मैं टीकाराम जी के .....

श्री अधिष्ठाता—आप आदरसूचक शब्द भी लगा दिया करें।

श्री गुप्तारसिंह—"श्री" रह गया है। माननीय टीकाराम जी के इस अव्यावहारिका असामयिक, अनुपयुक्त संकल्प का विरोध करता हूं। साड़े छः एकड़ की जमीन को उन्होंने अलाभकर करार दिया है चाहे वह जमीन ३०० रुपये और ७०० रुपये पाने वाले एक डिप्टी कलेक्टर के पास हो, उसका भी लगान माफ हो, चाहे वह जमीन हमारे सदन के किसी विधायक के पास हो जो २०० रुपये माहवार पाता है, उसका भी लगान माफ हो और चाहे कोई भी व्यवसायी हो या टाटा का एजेंट हो और उसके पास साढ़े छः एकड़ जमीन हो तो वह जमीन भी कर मुक्त हो। श्रीमन्, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका लड़का कहीं प्रोफ़ेसर है या वह कहीं अध्यापक ऊंची क्वालिटी का है, ऊंचे दर्जे का है, तनख्वाह १००, २०० से ऊपर पाता है और भूमि सौभाग्य से सिर्फ साढ़े छः एकड़ है तो उसका भी कर मुक्त हो। मेरी समझ में बात नहीं आती है। फिर यह कि साढ़े छः एकड़ भूमि का प्रस्ताव हमारे टीकाराम जी ऐसे त्यागी, समाजवादी और जेल-यात्री और उस पार्टी के नेता की तरफ से उपस्थित किया गया है जो समाजवाद के लिये ठेकेदार अपने को बताती है।

साढ़े छः एकड़ जमीन १० बीघा पक्के के ऊपर ही नहीं तो १० बीघे होती है और उन्होंने यह खयाल नहीं किया कि वह साठ प्रतिशत भूमिहीन मजदूर आज जिनका आप लगान मुक्त कराने के लिये प्रस्ताव लाये हैं उनकी गुलामी करता है, दासता करता है और उसके खेत में हल चलाता है, खेत काटता है। पहले आप को उसकी तरफ देखना था। मैं ज्यादा खुश होता अगर वह यह लाते कि छः एकड़ से ऊपर के काश्तकारों की जमीन, जो आप का नारा है उसके मुताबिक वितरण की जाय, तब मैं समझता और प्रस्ताव का समर्थन करता। श्रीमन्, साढ़े छः एकड़ जमीन जो १० बीघे के बराबर होती है, गन्ने वाली जमीन अगर वह है, उसमें गन्ना होता है तो उसका हिसाब जरा लगायें, कितने रुपये का गन्ना होगा? अगर उसमें साढ़े छः एकड़ जमीन पर पपीते लगाये हैं, पपीते वाली जमीन है तब भी उस जमीन का लगान मुक्त कराना चाहते हैं। अगर किसी मिनिस्टर के पास, किसी डिप्टी कमिश्नर के पास, किसी विधायक के पास छः एकड़ से अधिक है---मैं नहीं जानता कि माननीय टीका राम जी के पास साढ़े छः एकड़ है या उससे ज्यादा, तो उनका सबका लगान माफ करने का जो प्रस्ताव रखा है यह अव्यावहारिक है। इसका सर्वे होना चाहिये और उसमें यह तय करना चाहिये कि अलाभकर जोतें कितनी हैं। कितने किसान हैं जिनका व्यवसाय केवल खेती पर निर्भर है, जिनका और कोई आधार जीविका का नहीं है। आज उनका लगान माफ करने का प्रस्ताव अगर होता तो आदरणीय टीकाराम जी के चरणों की धूल मैं अपने सिर पर रख लेता। आज जो उनका प्रस्ताव है वह ऐसा है कि यह साढ़े छः एकड़ भूमि सब की हो जायगी। जितने १०० एकड़ वाले हैं वे सब साढ़े ६ एकड़ वाले हो जायेंगे, सब अपनी जमीन साढ़े छः एकड़ कर देंगे। मां के नाम, बेटी के नाम, दामाद के नाम, साले के नाम, श्वसुर के नाम, नौकर के नाम बैनामा कर के सब साढ़े छः एकड़ के हो जायंगे। फिर साढ़े छः एकड़ से ऊपर जमीन माननीय टीकाराम जी, उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं रहेगी। सब साढ़े छः एकड़ के हो जायेंगे जिस वक्त कि आपका यह प्रस्ताव पास हो जायगा। इसलिये यह असामयिक है।

श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं अपने आदरणीय सदस्य श्री टीकाराम से अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि का कर क्यों पड़ता है। आप वितरण का नारा क्यों लगाते हैं? इसलिये लगाते हैं कि यह भूमि सब की है। लगान इसलिये पड़ता है कि जो जमीन नहीं जोतता उसका भी उस पर हक है। 'क्षिति जल पावक गगन समीरा' यह पांचों तत्व ईश्वर-कृत हैं, आप ईश्वर को न मानते हों, तो प्रकृति की देन है। इस प्रकृति की देन पर सब मनुष्यों का हक बराबर है। इसलिये लगान लेना जरूरी है। या आधा कर दिया जाय तो सरकार के ये जो खर्च है, जो ये स्कूल हैं या रक्षा का प्रबन्ध है या नियोजन के कार्य हैं वे

[श्री गुप्तार सिंह]

कहां से चलेंगे ? इन कामों से उनका भी लाभ होता है जिनके पास भूमि नहीं है। यह भूमि सब की है, उसमें सब के सम अधिकार हैं और इसी कारण से यह कर लिया जाता है वर्ना जमीन परती पड़ी रहे। हम अपनी मशक्कत से पैदा करते हैं किसी का उसमें क्या इजारा है। कोई डाक्टर फीस लेता है उसकी फीस में किसी का इजारा नहीं है, कोई डिप्टी कलक्टर वेतन पाता है उसके वेतन में किसी का कोई इजारा नहीं है, लेकिन भूमि सब की है, जिनके पास भूमि नहीं है उनका भी उसमें हक है और इसीलिये उसका लगान लिया जाना उचित है और सैद्धान्तिक है और इसी कारण से आज कर लिया जा रहा है। जब तक आप एक व्यवहारिक समानता नहीं लाते, जब तक आप सब को उचित साधन नहीं देते, जब तक भूमिहीनों को व्यवसाय, समान हक, रोजी, रोटी नहीं देते और उनको वैसी ही परिस्थिति में लाकर खड़ा नहीं कर देते जैसी कि हमारी है, तब तक उनसे अर्थात् जमीन जोतने वालों से लगान वसूल करना और अन्य भूमिहीनों पर व्यय करना बहुत आवश्यक है और करना पड़ेगा।

अतः आदरणीय टीकाराम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका यह प्रस्ताव अव्यावहारिक, असामयिक और अनुपयुक्त है, इस समय यदि वह इसको कृपा कर के वापस ले लें तो अच्छा है। इस संकल्प में कोई परिधि या परिभाषा भी अलाभकर जोतों की नहीं दी गई है कि किस जमीन पर वह इसे लागू करना चाहते हैं। माननीय गोविन्द सिंह जी ने भी कहा और देहातों में भी उनका नारा यही है कि लगान आधा किया जाय। जब भूमि की राजस्व प्राप्ति से खर्च नहीं चलता है तो सरकार टैक्स लगाती है और अगर लगान भी आधा कर दिया जाय तो यह सारा नियोजन, यह फौज, यह विधायक, यह स्टाफ, यह मास्टर सभी आधे करने पड़ेंगे जितने चौकीदार हैं, चपरासी हैं सब आधे कर दिये जायं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लगान लिया जायगा और टैक्स भी लगेगा। अगर लगान छोड़ दें तो खर्च कहां से आयेगा ? कैसे काम चलेगा ? उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में कुछ नहीं कहा बल्कि उन्होंने कुछ दूसरी जगह की बातें ही कह डालीं कि चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, योजना में क्या हो रहा है और बहुत सी बातें बतायीं, लेकिन यह नहीं बताया कि लगान क्यों और कैसे नहीं पड़ना चाहिये। मैं उनका जवाब देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, मंत्री जी जब खड़े होंगे जवाब दे लेंगे। इस आशय के साथ और इन सुझावों के साथ मैं माननीय टीकाराम जी से कहूंगा कि वह अव्यावहारिक और अनुपयुक्त होने के कारण इस असामयिक संकल्प को वापस ले लें तो बड़ा उपकार होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था इस पर लेना चाहता हूं कि..

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जांय।

श्री राजनारायण—केवल एक निवेदन मेरा है कि एक दिन इस पर बहस हो चुकी और उसके बाद दूसरा बिल चलने लगा.....

श्री अधिष्ठाता—वह मैं समझ गया और मैंने देर के कारण ही इसको अस्वीकृत किया है। आप की कोई वैधानिक आपत्ति हो तो बतायें।

श्री राजनारायण—मेरा निवेदन यह है कि जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उसके विरुद्ध कोई नहीं चलेगा, न आप चलेंगे और न हम ही चलेंगे। इसमें नियमावली के २५ पेज पर नियम ११२ है, जो इस प्रकार है कि :

> "परन्तु ऐसे संशोधनों के लिये जो पूर्णतया शाब्दिक हों या उन पर आनुषंगिक हों या ऐसे संशोधनों के संबंध में हों, जो स्वीकृत किये जा चुके हों, पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।"

यह इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब इस माननीय सदन के अधिकांश सदस्य इस बात पर बोल रहे हैं कि साढ़े ६ एकड़ वाली भूमि कैसे होगी तो उसी के सम्बन्ध में मैंने वह छोटा सा संशोधन भेजा था और वह आनुषंगिक संशोधन है और बिना उस संशोधन

के जो सारी डिबेट सदन में हो रही है वह एक दूसरी तरफ जा रही है। तो मैं आप के जरिये यह मालूम करना चाहता था कि इस पर हमारा जो संशोधन है वह समयानुकूल है या नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठें। आपने जो ११२ नियम का हवाला दिया है वह विधेयक के लिये है न कि इस प्रकार के प्रस्तावों के लिये। विधेयक में जो अमेंडमेंट्स आवें उनके लिये वह है। तो इसमें वह लागू नहीं होता। यह तो नानआफिशियल रिजोल्यूशन है। इसके लिये नियम ८२ और ८३ लागू होंगे। नियम ८२ यह है कि 'जब कोई संकल्प चर्चाधीन हो तब कोई सदस्य, संकल्प संबद्ध नियमों का पालन करते हुए उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जिसके स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप केवल नकारात्मक मत का बोध हो।' अभी आप नियम ८३ भी तो देखिये---

"यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के छत्तीस घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और यह आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दे।"

इस वास्ते मैंने जब इसको अस्वीकार कर दिया है तो कोई सवाल उठता नहीं। अब कृपया आप भाषण दें, भाषण को कोई रोकता नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यद्यपि यह पता नहीं है कि इस संकल्प पर कितने दिन तक विवाद हो सकता है, आज भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है...

श्री अधिष्ठाता---मगर आप तो १५ मिनट बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। तो जब आपकी व्यवस्था हो गयी कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसको आप मान्यता प्रदान नहीं करेंगे तब मैं अपना भाषण शुरू कर रहा हूं।

श्रीमन्, माननीय टीकाराम जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों को इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। १९५७ में १० मई से जब सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन शुरू हुआ सारे प्रदेश में, तो उसकी प्रमुख मांगों में यह मांग थी कि अलाभकर जोत पर से सरकारी लगान माफ कर दिया जाय और उस समय भी श्रीमन्, माननीय संपूर्णानन्द जी ने पत्रकार सम्मेलन में अपना मत व्यक्त करते हुए यह कहा था कि अगर हम इसको माफ कर देंगे तो करीब १०,००,००,००० रुपये की राज-कोष में कमी पड़ जायगी। अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने एक पुस्तक छाप करके फिर सरकार के पास पूरे अपने तर्क प्रस्तुत कर दिये थे। मैं उसको पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यहां पर समय कम है, लेकिन "मई सत्याग्रह" नामक एक पुस्तक है जिसके पृष्ठ ७ से लेकर १७ तक में अलाभकर जोतों के सवाल पर चर्चा ह। अगर सदन के सम्मानित सदस्य इस पुस्तक को पढ़ने का कष्ट करें तो जितनी उनकी शंकाएं हैं वे दूर हो जायंगी।

श्री अधिष्ठाता---इसकी एक कापी सबको भेज दीजिये।

श्री राजनारायण---आप खरीद भी ले सकते हैं। तो माननीय टीकाराम जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसको न मानने के लिये कोई उचित कारण नहीं दिया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सरकारी पक्ष क लोग बोलने का कष्ट न किये होते, केवल चौधरी चरणसिंह जी ने जो अपने मत का प्रदर्शन किया था इसके पूर्व, वह काफी था, मगर ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने बोलकर चौधरी साहब ने जो अपनी आपत्ति और सुन्दर तर्क प्रस्तुत किये थे इस संशोधन के विरोध में जाने के लिये, वह सब खंडित हो गये और उनके ट्रेजरी बेंचेज के लोगों ने कई प्रकार से काट दिया।

[श्री राजनारायण]

अब मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इसमें अपना यह संशोधन रखना चाहता था, "औसत उत्पादन वाली जोत", का जो साढ़े छः एकड़ रखा है उसक लिये मेरा यह संशोधन था। हमारे प्रदेश में एक एकड़ का उत्पादन ७ मन माना गया है। जब एक एकड़ में ७ मन का औसत उत्पादन माना गया है तो साढ़े छः एकड़ में कितना पैदा हुआ ? इसका हिसाब लगाया जाय तो ४५ मन आता है। मालूम नहीं उधर के लोग वर्तमान समय में जल काटे हैं या नहीं ? श्रीमन्, आप गये होंगे तो मालूम होगा। हम तो भुक्त भोगी हैं।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन जिस दफा में आप गये हैं उसमें वह नहीं गये हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह सौभाग्य इनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिय बड़ी तपस्या करेंगे तब प्राप्त हो सकता है। जेल में १२ छटांक आटा मिलता है, दो छटांक दाल मिलती है, यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण तरीके से एक आदमी का औसत एक सेर का माना गया है।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन राजनारायण जी, शायद एक छटांक दाल मिलती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आपका इधर अधिकार नहीं है। आपका अधिकार तो उधर ही है और जो आप कहेंगे उसको हमें मानना पड़ेगा। इसलिये आप अनधिकार चेष्टा न करें तो अच्छा होगा। इसमें साढ़े पांच आदमियों का एक परिवार माना जाय और अगर साल भर का हिसाब लगाया जाय तो एक आदमी का ९ मन पड़ता है। इसी तरह से अगर पूरे परिवार का सेर भर या चौदह छटांक के हिसाब से लगाया जाय तो करीब ४५ मन आता है। सदन में जो लोग हैं वह इस बात को जानते होंगे कि यह जो साढ़े ६ एकड़ की लगान माफी की बात रखी गई है यह बहुत सोच समझकर रखी मई है। एक दिन के विचार विनिमय क बाद नहीं रखी गई है, बल्कि कई वर्षों के विचार विनियम के बाद यह बात रखी गई है।

श्रीमन्, यह कहना अनर्गल मालूम होगा और वह स्वयं समझेंगे कि औसत उत्पादन साढ़े ६ एकड़ में ४५ मन के करीब होगा और सारा हिसाब हमने बता दिया फिर इसकी लगान माफी के सवाल में इसका भ्रम नहीं होना चाहिये कि उसमें आलू पैदा होगा या क्या होगा ? औसत उत्पादन शब्द के जोड़ने से सारा मामला साफ हो जाता है।

इसके न मानने के लिये दूसरी आपत्ति क्या है ? श्रीमन्, वह कहते हैं कि राजकोष खत्म हो जायगा। यह कैसे खत्म हो जायगा ? सदन के सम्मानित सदस्यों को राजकोष की चर्चा लेकर सोचना चाहिये कि साल का बजट ११२ करोड़ का है और हम कह रहे हैं कि १०/११ करोड़ रुपया माफ कर दिया जाय। श्रीमन्, आपको मालूम होगा और आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा भी होगा कि इकोनामी कमेटी ने कहा है कि यदि संयत ढंग से खर्च किया जाय तो १२ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, लेकिन कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि सात करोड़ रुपये की हो सकती है। मान लीजिये अगर इकोनामी करने से सात करोड़ रुपये की बचत होती है तो यह काफी रकम होती है तो फिर क्यों न छोटे-छोटे किसानों का लगान माफ किया जाय ? सरकारी पक्ष के लोगों के पास क्या उत्तर है ? यों तो जबान है, और भगवान् ने जीभ दे रखी है, जहां चाहा जैसे चाहा बोल दिया। वह बात तो दूसरी है, लेकिन बौद्धिक ढंग से यदि विवेचन किया जाय तो हम एक-एक चीज को साबित करने के लिये तैयार हैं। अलाभकर जोतों पर लगान रखना उनका खून निकालना है, सामाजिक अन्याय है और गरीबों के मारने के बराबर है। इसी प्रकार टैक्स छिपाव का करोड़ों रुपया प्रान्त को मिल सकता है, एक हजार के ऊपर वालों का मिल सकता है।

श्रीमन्, चौधरी साहब ने उस दिन तर्क उपस्थित करते हुये यह कहा था कि अगर साढ़े ६ एकड़ वालों का लगान माफ कर दें तो ७ एकड़ वालों का क्यों न करें ? ८ एकड़

वालों का क्यों न करें । वह जरूर कहेंगे कि हमने आधा एकड़ ज्यादा रख लिया तो हमारे ऊपर इतनी आफत क्यों आ गई ? हर जगह देखा जाय । जहां भी सीमा निर्धारित होगी वहां कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं । बृहत् जोत कर में भी सीमा निर्धारित है कि ३० एकड़ तक जो जमीन रखेंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा । तो ३१ वाला, साढ़े ३० वाला क्या कहेगा ? यह तर्क कहीं खड़ा नहीं होता । इसी तरह से ऐग्रीकल्चरल टैक्स की भी सीमा निर्धारित थी । इसके ऊपर कह सकते हैं कि ३,६०० रुपये के ऊपर ३,७०० अगर हो गया तो क्या होगा ? ४,००० हो गया तो क्या होगा ?

दूसरी बात यह देखी जाय, माननीय पालीवाल जी ने उस तर्क को उपस्थित कर दिया इन्कम टैक्स लगता है कभी ३,६०० पर लगता है कभी ४,२०० और कभी ४,००० हो जाता है । तो यह कहा जा सकता है कि ४,००० रुपये जिनकी आमदनी है उन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो साढ़े ४ हजार वाले या ५,००० वाले का क्या होगा ? यह माननीय चौधरी साहब का तर्क सब जगह लग सकता है । इसी तरह से सर्विसेज में उम्र को ले लें । आज ५८ वर्ष की एज पर रिटायरमेंट होता है । तो साढ़े ५८ साल वाला कह सकता है कि आधा साल बढ़ जाने से हम नौकरी न करने पायेंगे । माननीय चौधरी साहब इस पर गम्भीरता से मनन करें और सोचें कि जिस आधार को लेकर सरकार चलना चाहती है वह कितना अनर्गल है और गरीब किसानों का अहित हो रहा है । फिर अब कोई तर्क नहीं रह गया । इस संकल्प को न मानने के लिये ट्रेजरी बेंचेज के या दूसरे सम्मानित सदस्यों ने जिन्होंने संशोधन और सुझाव रूप में भी रखा है उनकी सारी की सारी बात इस समय इस संकल्प के पक्ष में आ रही है । हमारे एक लायक दोस्त माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने जन संघ का सिद्धान्त खड़ा कर दिया और कह दिया कि वह सरकार के राज्यकोष को बचाना चाहते हैं इसलिये अलाभकर जोत वालों न रख कर सबका आधा लगान माफ कर दिया जाय । कैसे होगा ? जरा आंकड़े देखें । गोविन्द सिंह जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं । मैं उनको बताऊं । अगर हम यह मान कर चलें कि ६ एकड़ तक ही अलाभकर जोत मानेंगे तो यह समस्या आसानी से सुलझ सकती है । ३० जून, १९४५ तक के जो आंकड़े जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं उसके हिसाब से ६ एकड़ तक की जोतों का कुल रकबा १,८८,४०,४७९ एकड़ है । यह तमाम जोतों के कुल रकबे का ४५.८ प्रतिशत यानी लगभग ४६ प्रतिशत हुआ । ६ एकड़ तक की जोतों को लगान मुक्त करने का मतलब हुआ कि मालगुजारी से होने वाली कुल आमदनी में ४६ प्रतिशत की छूट अर्थात् १०,१३,९४,९४८ रुपये की की माफी । तो हम कह रहे हैं कि साढ़े ६ एकड़ तक लगान की छूट कह कर करीब ११ करोड़ रुपया लगान का माफ होगा । माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट २३ करोड़ का आधा यानी साढ़े ११ करोड़ माफ करने को कहते हैं । तो वह भी हो गया १२ करोड़ के करीब । माननीय गोविन्दसिंह का तर्क कहां खड़ा होगा । कि आधा लगान माफ कर दिया जाय । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से मनन करें और सरकार को मौका न दें कि सरकार उनकी जबान को पकड़ कर जनता के सामने पेश करे । जब माननीय गेंदासिंह ने भूख हड़ताल की थी तब उस वक्त भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज कहा जा रहा है कि आधा लगान माफ कर दिया जाय तो राजा साहब बलरामपुर का भी लगान माफ कर दिया जाय, राजा साहब रामनगर का भी लगान माफ कर दिया जाय और आप का भी आधा लगान माफ कर दिया जाय । अगर माननीय गोविन्द सिंह जी ऐसा सुझाव देंगे तो वह सरकार के पक्ष को मजबूत करेंगे । सरकार जिस समय जनता में जायगी और कहेगी कि आधा लगान माफ करना चाहते हैं, बड़े बड़े काश्तकारों को भी छूट दिलाना चाहते हैं, जिनके पास काफी जमीन है और काफी परती है । इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने जो इस मांग को रखा वह इन तमाम समस्याओं को समझकर रखा कि यह छूट हो । अपने प्रदेश में जो किसान खेती के काम पर लगे हुये हैं इससे उनमें से ८५ फीसदी किसानों को राहत मिलेगी । साढ़े छ एकड़ तक जमीन पर जो खेती का काम करते हैं वे सिर्फ ८५ फीसदी किसान आते हैं । इसलिये हमने देखा कि अगर यह छूट हो जाय तो इससे प्रदेश के ८५ फीसदी किसानों को लाभ होगा ।

(ट—थ)

[श्री राजनारायण]

दूसरी तरफ जो राज्यकोष में कमी पड़ती है वह ११ करोड़ की पड़ती है जिसको राजस्व मंत्री जी भी मानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी मानते हैं और हर स्वस्थ मस्तिष्क वाला इस बात को मानता है। इसलिये मैं आपके द्वारा गोविन्दसिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह इस समय अपना सुझाव मानने के लिये बाध्य न करें बल्कि अपने सुझाव को वापस ल लें तो अच्छा होगा।

दूसरी बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही थी कि अगर साढ़े छः एकड़ ज्यादा है तो ४ एकड़ कर दी जाय, ५ एकड़ कर दी जाय या ३ एकड़ कर दी जाय। यदि औसत उत्पादन की बात हमारी मान ली जाय तो उनका भ्रम भी दूर हो जायगा। हम गेंदासिंह जी की शंका का समाधान करना चाहते हैं जिससे वह हमारे संकल्प के साथ हो जांय। वह पहले भी हमारे इस संकल्प के साथ रहे हैं और आज भी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यकोष में ११ करोड़ रुपये की कमी बतलाई गई। अब जरा बजट की आडिट रिपोर्ट को देखा जाय जो हमको १९५४-५५ की मिली है। उसमें यह लिखा हुआ है कि ४१ करोड़ रुपये का ऐसा खर्च है जिसकी न तो वह रसीद है जिस पर टिकट लगता है, न बाउचर है, न उप-बाउचर और न कोई तखमीना है जो पहले तखमीना होता है। तो इस ४१ करोड़ रुपये को क्यों न बचाया जाय? ६ करोड़ रुपया ऐसा होता है जिसके बारे में आडिटर ने यहां तक लिखा है कि इसका खर्चा तो हुआ, लेकिन प्रमाण-पत्र नहीं हैं। कहां यह बरबाद हो रहा है और पानी की तरह से बहाया जा रहा है इसका पता नहीं। क्या यह रुपया जनता के लिये नहीं है?

फिर यह कहा गया कि जोत छोटी हो जायंगी। उसके लिये सरकार है और हम हैं तो फिर जोत छोटी क्यों होंगी? वह जोत छोटी नहीं हो सकती हैं। हम कानून बना सकते हैं कि वर्तमान समय में जितनी जोतें हैं उन जोतों का कोई डिवीजन नहीं करेगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि हमारा मस्तिष्क साफ हो। अगर हम डेफिनिट हैं तो हम कानून बना सकते हैं। कोई घपला नहीं हो सकता है। सलिये हमारे माननीय सदस्य ने जो भाषण किया कि जोत छोटी हो जायगी वह छोटी नहीं हो सकती हैं। सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये। नहीं तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने सीरदार के लिये कानून बनाया, लेकिन जितने लोगों का नाम सीरदारी में दिया हुआ ह, मैं जानता हूं उनमें से ८० फीसदी लोग जबर्दस्ती बेदखल कर दिये गये। कुछ इलाकों में ऐसा हुआ है। आप इसकी जानकारी अदालत में कर सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे टीकाराम जी उद्देश्य से सहमत हों, जसा कि उस दिन उन्होंने कहा था तो, हमारी बात को मान लें। मैं कहना चाहता हूं कि इस पवित्र उद्देश्य को लेकर यदि आप इस मकसद को हल करेंगे और सही माने में इसको मानेंगे तो जनता समझेगी कि यह आजादी हमारे लिये आई है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से दिन के लिये सूरज की आवश्यकता है उसी तरह से आज गरीब किसानों के लिय, साढ़े छः एकड़ तक औसत पैदावार की जमीन रखने वाले किसानों के लिये माफी लगान की आवश्यकता है। उनकी तरक्की के नाम पर उनका खून नहीं चूसा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप इन तर्कों को मानें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय टीकाराम जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प की आत्मा व उद्देश्य से सहमत हूं और उनकी इस मांग को कि प्रांत के नीचे स्तर के निर्धन लोगों को राज्य कर से कुछ मुक्ति मिले, के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। परन्तु संकल्प के शब्दों और भाषा से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती इस कारणवश मुझे इस बात का एक प्रकार से अफसोस ही है कि एक अच्छे उद्देश्य के संकल्प का मझे विरोध करना पड़ रहा है।

मान्यवर, संकल्प के द्वारा वह ऐसा मानते हैं कि साढ़े ६ एकड़ तक की जोत की जमीन रखने वाले किसानों से लगान नहीं लेना चाहिये। हमारा प्रदेश एक लम्बा चौड़ा प्रदेश है जिसमें विभिन्न प्रकार की जमीन, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यदि मैं यह भी कह दूं कि विभिन्न प्रकार का मौसम कभी-कभी रहता है तो अतिशयोक्ति न होगी। इसलिये पूरे प्रांत के लिये एक सी ही भूमि की सीमा को निश्चित करना कि, इतनी भूमि पूरे प्रांत में अलाभ-कर होगी यह बात अपने स्थान पर कुछ जंचती नहीं। उदाहरण के लिये, प्रांत में कुछ भूमि ऐसी है कि जिससे किसान लोग चार-चार फसलें साल में लेते हैं और कुछ भूमि ऐसी है कि जिससे हमको साल में एक फसल भी नहीं मिलती। इसलिये एक पैमाना पूरे प्रांत के लिये रखना और लाभ-कर और अलाभ-कर जोत का निश्चित करना, यह बात समझ से बाहर है और व्यावहारिकता भी हमारे सामने यह प्रत्यक्ष प्रमाण रखती है कि यह बात अपनी जगह पर मुनासिब नहीं है और इसीलिये यह संकल्प अव्यावहारिक है और इसको व्यवहार में लाना उचित न होगा।

मान्यवर, यह बात ठीक है कि आज जहां हमें अपने यहां उत्पादन बढ़ाना है वहां समाजवादी ढांचे के अन्तर्गत समाज को बनाने और एक नये समाज की रचना के लिये यह आवश्यक है कि हम आर्थिक विषमता मिटाने के लिये भी कदम उठायें।

(इस समय ४ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमारे जितने भी नये कानून हैं हमारी सरकार द्वारा जितनी भी नयी व्यवस्था है वह इस प्रकार की है कि जिससे आर्थिक विषमता मिटे। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि राज्य-कर ऐसे लोगों पर ज्यादा लगे कि जिनकी आमदनी ज्यादा हो और ऐसे लोगों से किसी प्रकार का कोई कर न लिया जाय जिनकी आमदनी कम हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि संकल्प के उद्देश्य का जहां तक संबंध है उस से मैं पूर्णतया सहमत हूं और उस के साथ हूं, लेकिन जब हम इस संकल्प की भाषा को अपने इस उद्देश्य के पैमाने से नापते हैं तो यह हमें ठीक नहीं जंचता। आज जो हमारे शहर की जमीनें हैं जिनमें लोग तरकारियां बोते हैं वहां के साढे ६ एकड़ तो क्या एक-दो एकड़ ही काफी जमीन होती है जो एक परिवार के जीवन स्तर को काफी ऊंचा कर सकती है। इसलिये कि उससे भूमि के मालिक चार-चार फसलें पैदा कर लेते हैं।

माननीय राजनारायण जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वह तरकारी बोने वाला छोटा किसान जो शहरों के आस पास रहता है इस जमाने में खासतौर पर इस स्वतंत्रता के युग में उसकी हालत में सुधार हुआ है उसके मकान कच्चे से पक्के नजर आयेंगे अगर आप गौर से देखें तो। उनके पास अच्छे बैल देखने को मिलेंगे उनके रहन-सहन का जीवन स्तर ऊंचा उठा हुआ मिलेगा। यह मैंने आपको शहर के छोटे किसान जिसके पास एक या दो एकड़ भूमि है उसकी बात बतायी।

अब इसके बाद प्रस्तावक महोदय और उनके दल के नेता श्री राजनारायण जी का ध्यान प्रदेश के उन किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी जमीनों में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है जो नदी के किनारे रहते हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे वास्तविकता की ओर भी देखें कि वहां पर साढ़े ६ एकड़ से बड़े किसानों की क्या दशा है जिनके हाथ प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण कोई फसल भी नहीं आती है। मैं प्रस्तावक महोदय और उनके नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायसंगत होगा कि एक वह आदमी जो एक या दो एकड़ में ४,००० रुपये की फसल पैदा करता है क्या उनकी राय में उसका लगान माफ कर दिया जाय और हम जैसे ७ एकड़ वाले किसान जो गंगा के किनारे पर रहते हैं और बाढ़ के प्रकोप से १ हजार रुपया सालाना भी नहीं कमा पाते उनका लगान ही माफ न हो यह कहां तक उनका न्याय है?

श्री राजनारायण—आप बैठ जायं तो मैं बतला दूं। श्रीमन्, उन्होंने एक बात मुझसे पूछी है तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं। सोशलिस्ट पार्टी का यह सर्वमान्य

[श्री राजनारायण]

सिद्धांत है कि कोई फसल सूख गयी तो लगान भी सूख गया। चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे ओला हो, चाहे पत्थर हो जहां फसल सूख गयी तो सब लगान माफ हो जायगा। जो उत्पादन के संबंध में शंका की गयी है तो हमने औसत उत्पादन की बात की है और एक एकड़ में औसत उत्पादन हमने ७ मन का माना है।

श्री महीलाल—मेरा ज्यादा समय न लीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि श्री राजनारायण जी से प्रश्न पूछने के बजाय आप अपना कथन ही जारी रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री महीलाल—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन कर रहा था कि वे मुझे जैसे ७ एकड़ वाले किसानों के साथ क्या न्याय करेंगे और क्या हमारे साथ भी उनकी कुछ मेहरबानी होगी? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि शहरों के करीब रहने वाले एक एकड़ वाले किसानों की भूमि में देहातों के ७ एकड़ वाले किसानों की भूमि से ज्यादा पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर माननीय टीकाराम जी, जो प्रस्तावक महोदय हैं, उनकी भूमि में भी कई-कई फसलें होती हैं, पहले तम्बाकू की फसल उसके बाद फिर उसमें आलू, फिर दोबारा आलू और फिर कोई दूसरी, फसल इस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैदा कर लेते हैं बमुकाबले मुझ जैसे नदी के किनारे रहने वाले किसानों के, यदि हमारे यहां साल में एकाध फसल हो गयी तो हम अपने को बड़ा भाग्यवान समझते हैं। इसलिये अगर उनका संकल्प इस रूप में होता कि इतनी आय वाले किसानों का लगान माफ होना चाहिये तो उचित होता, लेकिन यह संकल्प तो इस रूप में है कि साढ़े ६ एकड़ वाले किसानों का लगान माफ होना चाहिये। इसलिये यह बात कुछ बुद्धि में आती नहीं है।

दूसरी बात मुझे इस संकल्प के बारे में यह निवेदन करनी है कि हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि चाहे हम इस दल से चुन कर आये हों या उस दल से चुन कर आये हों, हम पर शासन चलाने की एक जिम्मेदारी है और जनता ने हमको एक जिम्मेदारी देकर इस सदन में भेजा है। केवल कुछ ऐसी बातें करके जिनका कि कोई अर्थ न हो या जो व्यावहारिक न हो हम अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी हमारा उत्तरदायित्व उसी समय पूरा होता है, जब हम हर समय अपनी बात कहते वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि आज शासन का बोझ जनता ने हमारे कंधों पर रखा है, चाहे वह सीधा हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमको इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिये। संकल्प रखने वाले महोदय को अपने प्रस्ताव में इस बात की व्यवस्था देनी चाहिये थी कि इस प्रकार से लगान में जो छूट होगी उस छूट की धनराशि शासन को कैसे पूरी करनी चाहिये। या तो सीधा-सीधा यह कहिये कि सब का लगान माफ हो, सब ही प्रकार का टैक्स एक तरफ से बन्द कर दिया जाय, जैसा कि साधारणतः हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषणों में हुआ करता है कि, सरकार किसानों का लगान माफ कर दे, बड़े-बड़े किसानों का एग्रीकल्चरल टैक्स माफ कर दे, नीचे के किसानों को तकावी दे और तकावी भी सब माफ कर दे, जो दूसरे ड्यूज हैं, उनको भी माफ कर दे। और नयी तकावी भी और दे दी जाय और नयी सहायता भी और दे दी जाय, बाढ़-पीड़ितों के के लिये गल्ला भी दे दिया जाय, सस्ते अनाज की दूकानें भी खोल दी जायं, लेकिन लिया कुछ न जाय, दिया सब कुछ जाय। तो इस बात को हमें विचारना चाहिये कि आखिर धन कहां से आवेगा? प्रस्तावक महोदय को अपने संकल्प में यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि जो धन की कमी राज्य के कोष में उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से होगी वह कहां से पूरी की जायगी तो उनका संकल्प उचित होता और हमारे नये समाज की रचना में, समाजवादी ढांचे के समाज की रचना में सहायक होता और एक प्रगतिशील कदम असमानता मिटाने के लिये और निम्नवर्ग के लोगों

को आराम देने के लिये होता। लेकिन इन शब्दों में जिनमें यह संकल्प आया है मैं इसको राजनीतिक प्रोपैगेंडा समझता हूं। केवल राजनीतिक प्रोपैगेंडे के लिये यह संकल्प लाया गया है; इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप को यह शब्द नहीं कहने चाहिये। आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री महीलाल—मान्यवर, मैं वापस लेता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—संकल्प तो उपस्थित है ही, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय टीकाराम जी का अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में जो संकल्प है उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो भाषण उधर से अभी हुये हैं उनमें यह कहा गया है कि संकल्प में या भाषणों में इधर से नहीं बताया गया है कि अलाभकर जोतें क्या हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। मेरा यह खयाल है कि इधर और उधर के बैठने वालों में ८० फीसदी से ज्यादा लोग काश्तकार हैं या काश्तकारी से वाकफियत रखते हैं कि कितने किस्म की जोतें होती हैं। ऊसर होती है, भूड़ होती हैं, दूमठ होती हैं, मटियार होती हैं, बनवट होती हैं और गोंयड़ होती है। यह सही है कि गोंयड़ में तम्बाकू होती है, आलू होता है और पपीता होता है। बेशक ये चीजें गोंयड़ जमीन में होती हैं। गोंयड़ जमीन ज्यादातर शहरों के किनारे या देहातों में भी गांवों के किनारे होती हैं।

उसके अलावा जितनी जमीनें जिले के अन्दर होती हैं उनका सर्वे कराकर देखा जाय तो उनमें ३० फीसदी अलाभकर जोतें होती हैं। अलाभकर जोतों के बारे में उधर से लोग पूछते हैं कि अलाभकर वे कैसे होती हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो ऊसर जमीन होती है जिसमें शायद माननीय सदस्यगण जानते होंगे कि ऊसर जमीन में एक प्रकार का तेजाब होता है। किसान उसमें बड़ी मेहनत करता है, जोतता है, मयाई करता है, सरावन लगाता है, बीज सीड स्टोर से लाता है। पांस डालता है। उसमें अंकुर लगता है, उससे बचाता है। जब धूप पड़ती है उस समय सफेद शक्ल में एक तेजाबी तत्त्व होता है वह जोर पकड़ता है और सारे पौधे जल जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह गंजे के सिर पर बाल होते हैं ४ यहां, ५ वहां, और १५ वहां, इस तरह से वह जोतें मुस्तकिल तौर से हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन कैफियत यह है कि आज तक सरकार कोई दवा नहीं निकाल सकी कि किस प्रकार ऊसर जमीनों को लाभकर बनाया जाय। ऐसी जोतें जिनके पास हैं साढ़े ६ एकड़ उनमें गंजे के शिर पर बाल की तरह से पौधे जमते हैं। अब वह क्या सीड स्टोर को वापस करें और क्या लगान राजस्व को दें? इस तरह से अलाभकर जोतें हैं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वे इलाके जो भूड़ के इलाके हैं जहां पीने के पानी का पता तक नहीं है, जहां आज तक नहरें नहीं बन सकीं, जहां ट्यूबवेल्स नहीं लग पाये हैं वहां पर एक तरफ खेत बोया जाता है दूसरी तरफ नीचे से म्वायस्चर गायब हो जाता है और फसल सूख जाती है। अगर जाड़े की बरसात दो साल न हो तो उस इलाके का किसान भीख मांगने के काबिल हो जाता है और उनके बैल व बछिया के लिये चारा नहीं रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि अलाभकर जोतें वे होती हैं जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूं। मेरे जिले खीरी में १२८ मील लम्बी एक तहसील निघासन नाम से मशहूर है जिसका एक किनारा शारदा नदी से लगता है और दूसरा किनारा गवर्नमेंट फारेस्ट से लगता है—इधर से पानी का रेल पेल होता है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है, उधर से जंगल के हजारों लाखों जानवर चीतल व, हिरन आदि निकल कर फसल

[श्री शिवप्रसाद नागर]

नष्ट कर देते हैं। ये सारी की सारी जोतें अलाभकर हैं। एक दृष्टान्त और इस सम्बन्ध में मैं देना चाहता हूं। परगना श्रीनगर, लखीमपुर खीरी, में एक ग्राम भटेही है। वहां एक काश्तकार था। वैसे तो अनेकों थे, लेकिन एक की ही मिसाल दिये देता हूं। उस काश्तकार ने सीड स्टोर से सीड लिया और कोआपरेटिव से कर्जा लिया। लेकिन बाढ़ में एक फसल मारी गयी और पानी न बरसने से दूसरी फसल सूख गयी। उसका लगान रुक गया। सीड स्टोर वालों का सीड और कोआपरेटिव का कर्जा वह नहीं दे सका। अमीन कुर्की ले कर आया और ७ बैल खोल कर पांड में दाखिल कर दिये।उस पर ३०० रुपये का बकाया था। बकाया के ९० रुपये लेकर वह पहुंचा कि ९० रुपये ले लिये जायं और पांड से जानवर खोल दिये जायं। वे ९० रुपये सिर्फ इस लिये दाखिल नहीं किये गये कि १/३ जमा होना चाहिये और १/३ में १० रुपये कम थे। मैं भी उसके लिये दौड़ा, बहुत से साथी दौड़े। वह काश्तकार बार-बार रुपया बांध कर ले गया, लेकिन उसका रुपया जमा नहीं किया गया। आखिर नतीजा यह हुआ कि १ महीने के बाद उसके २ जानवर उस पांड के अन्दर मर गये। यह कैसी विकट समस्या है, इन अलाभकर जोतों के किसानों की कैसी दयनीय दशा है! उसके जानवर पांड में मर गये तब उससे ९० रुपये तलब किये। ९० रुपये उस पांड-कीपर को देकर उसने अपने जानवर छुड़ाये और ७ के बजाय ५ जानवर वापिस मिले। ९० रुपये उसके पांड में चले गये, २ रुपये फिर भी खर्चे के बकाया रह गये और ३०० रुपये बकाया अलग से रहे। लिहाजा अलाभकर जोतें वे हैं जिनमें किसान सीड स्टोर का सीड वापस नहीं कर पाता, कोआपरेटिव का कर्ज वापस नहीं कर पाता और अमीन को लगान दे नहीं पाता। अलाभकर जोतों की बात कह कर मैं उन जोतों की बात नहीं कर रहा हूं जो लखनऊ के पास हैं और जिनमें खरबूजा और पपीता बोया जाता है, नारंगी और सन्तरे के बाग लगाये जाते हैं।

क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया कि अलाभकर जोतें कौन हैं? सन् १९३७ की कांग्रेस में यह कहा गया था कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जाय। उस सिद्धांत को आज कहां कार्यान्वित किया गया है? सरकार के पास तो आंकड़े होंगे कि कितनी अलाभकर जोतें हमारे प्रदेश में हैं। एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि लखीमपुर के जिले में १६ लाख एकड़ जमीन में ८ लाख एकड़ जमीन मजरुआ काश्त है। इसमें भी जितनी जमीनें तराई में और जंगल के किनारे हैं वे सब अलाभकर जोतें हैं और इन अलाभकर जोतों का लगान माफ होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, लगान की माफी के सम्बन्ध में जो यह संकल्प लाया गया है इसके लिये कहा जाता है कि यह तो सड़ा गला पुराना नारा हो गया है। यह वह स्लोगन है, वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ कर आज हमारी सरकार इस सदन में विराजमान है। यही स्लोगन उस वक्त लगाया गया था जब कि महात्मा गांधी ने बतलाया था, जबकि पूज्य बापू ने बतलाया था, कि यह स्लोगन लगाओ तो हम इस अंग्रेज सरकार को हटा सकेंगे। यह वह डंडा है जिससे हमने अंग्रेज सरकार को हटाया है और यह वह डंडा है जो कि फिर उस सीढ़ी में बांध दिया गया है जिसके जरिये आप यहां आये हैं। आज उस स्लोगन को सड़ा गला स्लोगन कहा जाता है। अगर आप इस स्लोगन को सड़ा गला कहते हैं तो यकीन मानिये कि जितने अलाभकर जोतों के किसान हैं वह बिलकुल सड़े गले काश्तकार हो जायेंगे और अगर उनकी आहें पहुंची तो "मुई खाल की सांस सों सार भस्म हो जाय।"

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टीका राम--मैंने इस बहस को खूब सुना और बहस को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने वक्ताओं ने बयान दिये उनमें ज्यादातर चौधरी साहब ने एक जो दलील पेश की थी कि अगर हम साढ़े ६ एकड़ वालों की लगान माफ कर देंग तो बकिया का क्या होगा ; सात एकड़ वालों का क्या होगा ; ८ वालों का क्या होगा। इसका जवाब दिया जा चुका है कि जैसे आप टैक्सों में करते हैं कि ३,००० तक आप ने माफ किया तो उसके ऊपर ४ हजार वाले को देना पड़ता है, उस को नहीं छोड़ते, उसी तरह इसमें होगा कि साढ़े ६ एकड़ से ऊपर के जो होंगे उनको नहीं छोड़ा जायगा, उन पर लगान लगेगा। तो जैसे टैक्स लेते हैं वैसे ही लगान भी लिया जायगा।

दूसरी बात एक साथी ने कही कि जमीन तो मिल्कियत है और उस पर किस तरह से लगान छोड़ा जा सकता है, सब से ही लिया जाता है। जमीन जब एक मिल्कियत कुदरत की है तो कुदरत की मिल्कियत पर तो किसी से कुछ लिया ही नहीं जाता और जब लिया ही जाता तो गरीब को माफ भी किया जाता है। उनको यह देखना चाहिए था कि पुराने जमाने में मनु ने जो नियम बनाया था उसमें जमीन के ऊपर कर नहीं लिया जाता था। वह तो राज्य के इन्तजाम के लिए पैदावार का एक हिस्सा लेते थे। वह जमीन का किराया नहीं था। अंग्रेजी राज्य ने इसको जमीन का किराया बनाया और इसे कर माना जिसके आधार पर आज यह जमीन का किराया माना जाता है। पहले यह जमीन का कर या किराया शब्द नहीं था, पहले उसकी जगह उगाही शब्द था। आज इसको किराया मानकर वसूल करते हैं। यह किराया नहीं है, बल्कि राज्य के प्रबन्ध के लिये आप उनसे लेते हैं। उनसे लो जिनके पास बचे, जिनके पास बचा ही नहीं उनसे क्या लोगे? एक भिखारी से क्या लोगे? इसलिए आप साढ़े ६ एकड़ को माफ रखें।

यह कहना कि साढ़े ६ एकड़ में इतना पैदा होता है कि किसान का गुजारा चल सकता है या नहीं ; यह हिसाब भी बता दिया गया है कि बहिसाब जैल के भी साढ़े ६ एकड़ में इतनी पैदावार ही होती है कि उससे वह खा-पी सकता है, बचा नहीं सकता।

एक सज्जन बोले यह कि वह वकालत करता है, मास्टर है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने यह खयाल नहीं किया कि वकालत वही करेगा, मास्टर वही होगा जिसके मां-बाप क पास इतना पैसा होगा कि वह उसको पढ़ा सके, बह सम्पत्तिवान होगा, तभी उसका लड़का पढ़ पाया होगा। गरीब के लड़कें को तो न फीस देनी मिलती है, न स्कूल में जा सकता है, न वह पढ़ पायेगा। इसलिये उसकी तो हालत वही है। साढ़े ६ एकड़ वाला अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकता। वह तो वैसा ही अपढ़ रहेगा।

एक साहब बोले कि म्युनिसिपैलिटी का और देहात का, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी का जमींदारी एबालीशन दूसरे तरीके का है, देहात का दूसरे तरीके का है। जमींदारी एबालीशन के तरीकों में फर्क है। जौनसार बावर का अलग है, कुमायूं का अलग है, म्युनिसिपैलिटी का अलग है और देहात का अलग है। इसलिये उन्हें उसे समझ लेना चाहिये था। पपीते को और आलू को न देखें, गेहूं और चने को देखें। मैं अपने जिले का हाल सुनाता हूं। १२,००,००० एकड़ में १०,००,००० एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सिर्फ २,००,००० पर आबपाशी होती है। तो कहां से वह २०० रुपये बीघे पैदा कर लेगा? कहां से आबपाशी करेगा? वही २०० रुपये बीघे पैदा कर सकता है जो शहर क नजदीक है। उसका सबका विचार औसतन करना है।

मैं तो अफसोस करता हूं कि वह कांग्रेसी जो कल तक यह राग अलापते थे कि ५ एकड़ तक का लगान माफ करेंगे, आज इस प्रकार की बात करते हैं।

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जिन मित्रों ने आज तकरीर की थी उनमें से बहुत कम मौजूद हैं। माननीय गेंदा सिंह जी तशरीफ नहीं रख रहे हैं, वह मुझे चैलेंज दे कर गए थे कि यह आंकड़े पेश करें, वह आंकड़े पेश करें। माननीय पालीवाल जी मौजूद नहीं हैं, माननीय चन्द्रजीत यादव जी भी मौजूद नहीं हैं। तो मैं अपने लिये तो नहीं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस तरह की गैरहाजिरी, इतना जरूर समझता हूं, सदन के लिए अनादर अवश्य है।

पेश्तर इसके कि मैं इस प्रस्ताव के सिलसिले में अपनी दलीलें पेश करूं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने अपनी तकरीर करते वक्त मेरे लिये बुजुर्गों की बातों को न मानना, बड़ों की बातों को न मानना वगैरह कई लफ्ज इस्तेमाल किये जो मैं समझता हूं कि किसी सदस्य के लिये इस माननीय सदन में प्रयोग करना मुनासिब नहीं थे। माननीय गोविन्दसिंह जी मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, तजुर्बे में भी बहुत कम हैं। मैं उनसे भी यह कहूं कि जिस तरह से उन्होंने तकरीर की वह भी किसी माननीय सदस्य को शोभा नहीं दे सकता। वह अभी नये आये हैं। उन्होंने नया कदम रखा है इस सदन में और उससे ज्यादा पब्लिक लाइफ में भी कोई बहुत ज्यादा उनका तजुर्बा लम्बा नहीं हो गया है। तो जिस जोश से लहजे में उन्होंने तकरीर की है अगर वह बुरा न मानें तो जैसा मैंने कहा कि यह उनके लिए हितकर साबित नहीं होगी। मसलन, उन्होंने एक बात कही कि जब यह रिपोर्ट लिखी गई थी जमींदारी एबालिशन कमेटी की तो उधर बैठने वाले इन्सान थे, जिसका मतलब है कि अब इन्सान नहीं हैं। यह जो इम्प्लीकेशन उस शब्द का है कि तब इन्सान थे, यह आप को मुबारक हो, लेकिन मैं आप को कहता हूं कि अगर आप ठण्डे दिल से सोचेंगे तो आप पछतायेंगे इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल करने पर।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि अलमोड़ा में पिछले साल ४२ आदमी मरे और इतना कम रुपया दिया और अबकी बार भी न मालूम कितनी मौतों का जिक्र उन्होंने किया। एक लाख रुपया उन जिलों को दिया गया जिनका मैंने जिक्र किया और २ लाख रुपया उन जिलाधीशों के पास पहले से मौजूद था। इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि जिन जिलों की आवाज गवर्नमेंट में है उनको ज्यादा मिलता है और अल्मोड़ा को कम मिलता है। जो रुपया दिया जाता है वह अधिकतर जिलाधीशों की सिफारिश पर दिया जाता है और दूसरे यह कि मुसीबतजदा लोग जो जिन्दा रह गये हों, उनकी इमदाद के लिये रुपया इस हिसाब से नहीं दिया जाता कि किस जिले में जितनी जानें जाया हुई हैं। एक बात उनके सामने मैं और अर्ज करूंगा कि वह अगली बार जब आयें तो पहले से आंकड़ों को पढ़कर आयें कि सन् ४६ से, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता, इस गवर्नमेंट के सामने ५१ जिले की ७ करोड़ आबादी यकसां है, जहां जरूरत अधिक है अधिक खर्च किया जाता है जहां अपेक्षतया कम तकलीफ है वहां कम खर्च किया जाता है। पहले वह बजट के आंकड़े पढ़कर आयें कि अल्मोड़ा जिले से कितनी आय हुई है और वहां पर कितना व्यय हुआ है, तब वह यहां आकर फरमावें। मैं बहुत ठंडे दिल से बात कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैं तो, श्रीमन्, यह अर्ज कर रहा था कि यहां भी जो लोग लिखते हैं मेरे शब्द होंगे आप स्पीच मंगा कर देख लीजिये, मैंने कहा था कि " that does not meet even a fringe of their demand". दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि यह तो हमारी बदकिस्मती है कि वह एक हमारा बोर्डर एरिया है वहां पर तो व्यय करना ही चाहिये। आप देखें कि काश्मीर में या आसाम में जो बोर्डर एरिया है वहां कितना खर्च हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप तो भाषण देने लगे, अब आप बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह—अब यह जो शक आपके मन में आया है काश्मीर का और बोर्डर का, उसके जो इम्पलीकेशंस होते हैं वह भी किसी को शोभा देने वाले नहीं हैं। जब कभी चीन से लड़ाई होगी वह दूसरी बात होगी या किसी भी बोर्डर एरिया में लड़ाई होगी तब वह खर्चा नहीं मिलाया जायगा। मैं तो डेवलपमेंट का एक खर्चा कहता हूं। आपने यह जरूर कहा था कि इतना कम रुपया दिया गया कि ४२ आदमी मर गये, यहां १६ आदमियों पर रुपया दिया गया।

दूसरी बात आपने यह कही कि जिन जिले वालों की गवर्नमेंट में आवाज पहुंचती है वहां ज्यादा दिया जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यह रिपोर्ट मौजूद है। मगर जब आप इसको उस लाइट में नहीं लेते हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और आप वेलकम हैं इसी तरह की तकरीरें करने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा यह अर्ज किया था कि जो होल्डिंग्स साढ़े ६ एकड़ से नीची हैं उनकी मालगुजारी माफ करनी ही होगी। इस रेजोल्यूशन का मतलब जो मैं समझता हूं उसके मुताबिक १०,००,००,००० रुपये के करीब वह मालगुजारी बैठेगी जो माफ होगी। लेकिन साथ ही एक समस्या यह पैदा हो जायगी कि अगर किसी के पास ७ एकड़ की होल्डिंग है तो उसको पूरी मालगुजारी देनी होगी और एग्जेम्पशन लिमिट तक आने के लिए वह १६ बिसवा जमीन दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, उसको ऐसा हक है तो नतीजा यह होगा कि सब-डिवीजन होल्डिंग्स का बढ़ता चला जायगा, चाहे पार्टीशन के जरिये, चाहे गिफ्ट के जरिये, चाहे सेल के जरिये और मालगुजारी १०,००,००,००० नहीं बल्कि १५,००,००,००० रुपये के करीब माफ करनी होगी। वैसे इंसाफ का तकाजा यह होना चाहिए कि ७ एकड़ वाले से सिर्फ आधे एकड़ की मालगुजारी ली जाय और अगर इस तरह से बड़ी होल्डिंग्स में से साढ़े ६ एकड़ मिनहा करते हैं, माफ करते हैं तो ५,००,००,००० रुपये की मालगुजारी और माफ करनी होगी, जिसका मतलब यह होगा कि २२,००,००,००० के करीब मालगुजारी हमको माफ करनी होगी।

अब उन्होंने ऐग्रिकलचरल इनकम टैक्स की बात कही और लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स के बारे में कहा, तो उसमें तो मार्जिनल एडजस्टमेंट होता है। लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स में ३,६०० रुपये की होल्डिंग पर टैक्स नहीं है, ३,७०० रुपये वाली पर टैक्स लगता है। लेकिन वह ३,७०० रुपये पर टैक्स नहीं लगता है। ३,७०० में से १,८०० कट जाते हैं, १९०० पर टैक्स लगता है, यानी ९५ रुपया टैक्स, १,९०० के हिसाब से पड़ता है। इस तरह से करीब ५०फीसदी टैक्स पड़ता है। उस पर शर्त यह है कि जो होल्डिंग की एग्जेम्पशन लिमिट है और जो उसका वैलुएशन है उनका अगर १०० का अन्तर हुआ तो ५० परसेंट से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह के मार्जिनल ऐडजस्टमेंट लैंड रेवेन्यु ऐक्ट में नहीं किये जाते।

दूसरी बात यह है कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स और ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का भी तो यही असर होता है कि बड़ी होल्डिंग्स छोटी होती चली जाती हैं। अगर किसी बड़ी होल्डिंग का वैलुएशन ३,७०० रुपया है और २० एकड़ बेचने पर वह ३,६०० रुपये की हो जाती है तो लायेबिल टु टैक्सेशन नहीं होती और हम जानते हैं कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स का यही असर होगा, और यही हमारी पालिसी है। लेकिन इसमें तो डेलीबरेट पालिसी नहीं हो सकती है कि सब होल्डिंग्स साढ़े ६ एकड़ से कम हो जायं। माननीय राजनारायण जी ने जो हल निकाला है, वह असल में हल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपको १५ मिनट का समय ही है।

श्री चरणसिंह—बहुत बेहतर। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज यह कहा था कि कहा जाता है कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ले लिया जाय जैसा कि दूसरे देशों में है। लेकिन मैंने यह कहा था कि दूसरे देशों में नान ऐग्रीकल्चरल प्रोफेशन या ओकूपेशन्स के लोग ज्यादा

[श्री चरणसिंह]

है जिनसे ज्यादा आमदनी होती है। इसलिये ऐग्रीकल्चरल लोगों की तादाद वहां बहुत कम है। इसलिये वहां यह टैक्स लगा सकते हैं। मैं कुछ देशों के आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। पूरे आंकड़े तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। यूनाइटेड स्टेट्स में १३ परसेंट खेतिहर लोग हैं, कनाडा में १९ परसेंट, स्विजरलैंड में १८ परसेंट, इस तरह से ५ परसेंट तक है जहां पर ९५ परसेंट दूसरा पेशा करने वाले लोग हैं जिनसे ज्यादा आमदनी होती है और वहां ५ परसेंट से लेकर २० परसेंट किसान लोग हैं, उनसे आमदनी बहुत कम होती है। इसलिये वहां तो ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर ८० परसेंट से ज्यादा हिस्सा किसानों से मालगुजारी का आता है। अगर यहां लगेगा, यह बात दूसरी है कि न लगे, लेकिन अगर यहां लगेगा तो जितनी छोटी होल्डिंग्स हैं उनसे आमदनी नहीं होगी। इसलिये हमको और आपको इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिये कि हम ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाकर आमदनी कर सकते हैं जैसे कि लैंड रेवेन्यू में होती है।

हमें इस प्लानिंग के यज्ञ में आहुति देनी है। यहां पर खेतिहर लोग ही ज्यादातर हैं और जिसके पास जितने खेत हैं वही एक पैमाना है जिससे इस आहुति को नापा जा सकता है। जहां तक मालगुजारी का ताल्लुक है, वह कितनी है, वह तो बहुत कम है। भूमिधरों पर फी एकड़ २–४ रुपये और सीरदार पर ५–४ रुपये फी एकड़ है। इसका औसत ढाई रुपये और साढ़े ५ रुपये लगा लीजिये फी एकड़, यह मालगुजारी की बात है। जो पिछली लड़ाई हुई है उससे पहले जो इकोनोमिक डिप्रैशन हुआ उसमें मालगुजारी का रेट तय हुआ दफा ११० यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के मातहत। जो आमदनी किसानों की थी उसका १/५ भी कैसे निकाला जाता था, वह देखिये १९०१ और १९०५ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी उसकी शरह के मुताबिक। १९३५–३६ और १९३७ में जो किसानों की पैदावार थी उसकी कैश वैल्यू निकाली गई, १९०१ से लेकर १९०५ तक जो उस समय एग्रीकल्चरल चीजों की कीमत थी उसकी शरह से निकाली गई। आज मालगुजारी बढ़ गई, लेकिन किसानों की इनकम भी तो बढ़ गई। किसानों की कुल १/५ मालगुजारी है। यह तो हियरडिटरी टेनेन्ट्स का हुआ था। औकूपेंसी टेनेन्ट्स का १० परसेंट से लेकर २५ परसेंट तक हेरीडेटरी टेनेन्ट्स से कम लगान था और प्रोप्राइटरी टैनेन्ट्स का औकूपेंसी टैनेन्ट्स से साढ़े १२ परसेंट कम हुआ। आजकल के लिहाज से तो मालगुजारी बिलकुल नहीं है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सेकेंड फाइव ईयर प्लान के लिए कहा जाता है कि बड़ा बोझ है, तो दफा १९१ और १८९ पर भी उन्होंने कहा है–

"In the Second Five-Year Plan it was stated that a rate of rent exceeding $\frac{1}{4}$ or 1/5 of the produce should be regarded as requiring special justification."

पैदावार का १/४ और १/५ से ज्यादा अगर रेंट हो यानी १/३ हो तो स्पेशल जस्टीफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना होगा। पैदावार के १/४ और १/५ तक लगान को प्लानिंग कमीशन ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैंने अर्ज किया १/२०। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह केरल का मैं जिक्र कर चुका; उन्होंने तय किया है १/४ से १/६ कुछ केसेज में १/६ से १/१२। मिनिमम और मैक्सिमम हमारा १/२० है। अध्यक्ष महोदय, आपने झंडी जल्दी दिखला दी।

माननीय श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल ने यह कहा कि रुपया गांव वालों से इकट्ठा करके शहर में खर्च किया जाता है यूनिवर्सिटी पर, मेडिकल कालेज के ऊपर, कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट की इमारतों के ऊपर, कचहरियों के ऊपर, और इसी तरह की सुविधाओं पर।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—हाउसिंग पर नहीं।

श्री चरणसिंह---हाउसिंग पर कुछ मजदूरों के क्वार्टर्स की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं चीजों पर शहर में खर्च हो रहा है। गांव के भी लड़के शहर में पढ़ने आते हैं। मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। अगर इनको यहां न खोल कर रायबरेली की महाराजगंज तहसील में किसी गांव रामपुर में खोलते हैं तो कुछ दिनों के बाद वह भी शहर हो जायगा। जिस गांव में कंसंट्रेशन होगा, जहां ये सुविधायें हासिल करायी जायंगी वह फिर गांव रहेगा नहीं, लेकिन अब सारा सवाल यह है कि जो आमदनी आपकी है उसको बढ़ाइये। आप कह सकते हैं कि हर गांव में इतना खर्च किया जाय। आमदनी कहां है ? जो लिमिटेड रिसोर्सेज है शिक्षा पर, मेडिकल फैसिलिटीज पर या किसी भी चीज पर या अफसरों पर, कचहरियों पर खर्च करोगे तो गांव भी अरबन सेंटर बन जायंगे। जहां खर्च किया गया गांव से अरबन सेंटर हो गया।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री चरणसिंह---इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सप्लैनेशन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। बस, खत्म हो गया।

प्रश्न यह है कि सदन का यह निश्चित मत है कि अलाभकर जोत के किसानों के हितार्थ सन् १३६६ फसली से साढ़े छः एकड़ तक की जोत की जमीन रखने वाले किसानों पर लगान न लगाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---४१,
विपक्ष में---८६।)

खसरे में काबिज की कैफियत आदि दर्ज करने का नियम समाप्त करने के लिये समिति बनाने के विषय में संकल्प

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :---

"सदन यह निश्चय करता है कि लेखपालों को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार तुरन्त समाप्त किया जाय। साथ ही खसरे में कैफियत के खाने में काबिज आदि दर्ज करने का नियम भी समाप्त कर देने के लिये एक समिति बनायी जाय और उसके सुझाव के अनुसार कार्य किया जाय।"

श्रीमन्, यह काबिज इन्दराज जमींदारी अबालिशन के बाद.....

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। मैं आपका ध्यान विधान सभा नियमावली के नियम ८६ की तरफ ले जाना चाहता हूं। उसमें यह दिया हुआ है कि जो प्रस्ताव होगा वह डेफिनिट होगा और उसमें एक ही इशू होगा। इस प्रस्ताव को पढ़ने से मेरा ऐसा इम्प्रेशन है कि इसमें दो बातों की मांग की गई है। एक तो यह कि खसरे में काबिज लिखने का अधिकार समाप्त किया जाय और दूसरे यह कि एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो कि अपना सुझाव दे। इस तरह से यह दो इशूज हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आगे फिर इसमें यह है कि जो कमेटी के सुझाव हों उनके हिसाब से काम किया जाय। इसके मायने यह हैं कि यह डेफिनिट नहीं रहता है। वह कमेटी जो बनेगी वह जो सुझाव देगी उसके तहत में काम करना होगा। इन वजूहात से मैं यह प्रश्न

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

आपके विचाराधीन रख रहा हूं कि आप मेरी कही हुई बातों को दृष्टि में रखते हुये अपनी व्यवस्था दें। मेरी प्रार्थना है कि अगर मेरी बातें अपनी जगह पर सही हैं तो इस क्वैश्चन को रूल आउट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप ७९ नियम को कह रहे हैं ? उसमें लिखा है कि—"उसकी भाषा, स्पष्ट और निश्चित होगी"। तो मैं समझता हूं कि मुझे यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार यह स्पष्ट या निश्चित नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—७९ का दूसरा जो है, उसे श्रीमन् देखें। इट शैल रेज सबसटेंशियली वन डेफिनिट ईश्यू (It shall raise substantially one definite issue)।

श्री अध्यक्ष—"उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा"। तो इस में निश्चित प्रश्न यह है कि खसरे में लेखपालों को जो काबिज लिखने का अधिकार है वह हटा दिया जाय और जब उनका यह अधिकार हटाया गया तो कैफियत के खाने में जो काबिज लिखने का तरीका हो, उसी के सिलसिले में, उसे किस प्रकार से समाप्त किया जाय, उसके लिये एक समिति बनायी जाय। यह इसी सिलसिले में है। मैं समझता हूं कि यह एक स्पष्ट विषय है और वह यह कि जो काबिज लिखने का अधिकार है उस सम्बंध में निश्चय करने के लिये समिति कायम हो। मैं समझता हूं कि आप का आक्षेप उचित नहीं है। इसलिये माननीय ब्रजनारायण तिवारी अपना भाषण जारी रखें।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, यह जमींदारी एबालिशन के बाद जो नया अधिकार लेखपालों को दिया गया है, कहने के लिये तो उसके लिये नियम बनाये गये हैं, लेकिन उन नियमों की कोई पाबन्दी कैफियत के खाने में इन्दराज करते समय लेखपाल नहीं करते हैं और आज उसका नतीजा यह है कि सारे प्रान्त में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी का बोलबाला है। मैं, श्रीमन्, जो इसके लिये उत्तरदायी हैं उन से इस काबिज शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं। अगर काबिज शब्द के लिये अंग्रेजी में ट्रेसपासर कहा जाय तो गलत न होगा। इस की एक अवधि है और मनमाना है उसको लिखने का अधिकार और एक अवधि के बाद जो असली काबिज है वह बेदखल किया जा सकता है। श्रीमन्, इस आधार पर मैं आपका ध्यान जमींदारी अबालिशन के पहले जहांतक खसरे के काबिज इंदराज का प्रश्न है, उस ओर ले जाना चाहता हूं। जमींदारी अबालिशन के पहले भी लोग अपने खेत दूसरे को उठाते थे, लेकिन जिस हैसियत से खेत उठाया जाता था उसी हैसियत से उसका इन्दराज भी होता था। कैफियत के खाने में अगर कोई हरवाही पर उठाता है या माफी पर उठाता है या शिकमी देता है या रहन देता है या हुन्डा देता है तो उसी आधार पर उसका इन्दराज होता था। तो मामूली आदमी भी यह समझता था कि हमारे खेत पर जो इन्दराज किया गया है उसका कानूनी ढंग पर क्या असर होगा, लेकिन, श्रीमन्, यह काबिज का इन्दराज कोई मान नहीं रखता है और न इसका कोई सीधा सादा अर्थ है। एक बार माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि काबिज लिखने के बाद अगर किसी को स्पष्टीकरण की जरूरत है तो वह अदालत में जाकर चाराजोई करे और यह वहां से सिद्ध कराये कि इस काबिज का क्या अर्थ है तब उसको मालूम होगा कि उसका असली अर्थ क्या है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि काबिज का अर्थ अभी माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि फलां मुल्क में ३१ प्रतिशत, कहीं पर ४० और कहीं पर ३५ प्रतिशत लोग खेती करते हैं, तो यह काबिज इन्दराज का जो अधिकार दिया गया है उसका भी एक अर्थ है.....

श्री अध्यक्ष—आप आपना भाषण स्थगित करें और अगले दिन आप आपना भाषण जारी रखेंगे। आप को २० मिनट उस दिन मिलेंगे। आप उस रोज अपना भाषण पूरा करेंगे। अब मैं दो-तीन सूचनाएं पहले दे दूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल के सम्भाषण पर जो प्रस्ताव सदन ने पास किया था उसे माननीय राज्यपाल के पास मैं स्वयं, उपाध्यक्ष और सचिव लेकर गये थे और उनको समर्पित किया था या भेंट किया था। उसके उत्तर में जो पत्र उन्होंने मुझे भेजा है उसे मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है—"श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक ११ अगस्त, १९५८ के लिये, जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये, जिसे उन्होंने अपनी २४ जुलाई की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं"।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्होंने जो हिन्दी में पत्र लिखा है इसके लिये हम लोगों का भी धन्यवाद उन्हें भेज दीजिये।

लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों, हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, व प्राक्कलन समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के लिये ५,५ सदस्यों का तथा हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर व प्राक्कलन समिति के लिये १,१ सदस्य के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी की अन्तिम तिथि १३ अगस्त, १९५८, ४ बजे तक और निर्वाचन १४ अगस्त को २ से ५ बजे तक के लिये नियत थे। किन्तु कांग्रेस पार्टी के सचेतक की प्रार्थना पर नाम वापस लेने की तिथि तथा समय-चूंकि चुनाव हो नहीं सका तो उन्होंने प्रार्थना की—२२ अगस्त १९५८, ४ बजे तक कर दिया गया है और मतदान, अगर आवश्यक हुआ, तो २५ अगस्त को २ बजे से ५ बजे तक के बीच विधान वाचनालय में होगा।

आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) १९५८ विधेयक

सचिव, विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त १९५८ ई० को आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८५–५८८ पर)

फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से २३–३–५८ को कुछ कैदियों के पैरोल पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में ३०–७–५८ के प्रश्न २७ और २८ के विषय पर विवाद

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि यदि हम विवाद में पड़ जावेंगे तो माननीय मंत्री जी से इत्तला मिलने से महरूम रह जावेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बाद में हमें मंत्री जी से प्रश्नों की इजाजत देंगे। श्री गौरीशंकर राय जी के प्रश्नों का उत्तर हमें पूरा नहीं मिल सका, सन्तोषजनक नहीं मिल सका, तो मंत्री जी को और माननीय सदस्यों को यह कष्ट देना पड़ा है।

श्रीमन्, जैसी हमको इत्तला मिली है, २३–३–५९५८ के दिन या उसके करीब कई ऐसे कैदी पैरोल पर छोड़े गये जिन्हें बड़े-बड़े जरायम में लम्बी लम्बी सजाएं हुई थीं। इस पर मंत्री जी ज्यादा प्रकाश डाल सकेंगे। जैसा इन कैदियों का रवैया देखा गया, जैसा मंत्री जी ने बताया था कि वे फसल काटने के लिये छोड़े गये थे, तो अब हमको पता लगा है और चश्मदीद

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

लोग यहां इस बात के मौजूद हैं---वह फसल अनाज की नहीं, बल्कि वोटों की काटने भेजे गये थे। जैसी अभी बात आई, पहले वे इन्सान थे, एक यह ऐसा शब्द था जिस पर माल मंत्री जी को आपत्ति हुई और मैंने तो कहा था कि इन्सान थे....

श्री अध्यक्ष---आप असंगत बात कर रहे हैं। उसका जवाब अब आप नहीं दे सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---वह इस प्रश्न से भी सम्बन्धित है। हम तो भगवान् हो गये और अगर उन्होंने शैतान के तीसरे मायने लिये तो वह मैंने नहीं कहा था। तो मौजूदा प्रश्न में भगवान की ताकत अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और यहां पर जनता का काम करते हैं। जायज-नाजायज तरीके से चुनाव में जीत कर अगर कोई व्यक्ति या पार्टी आ जाती है और एक तरफ गांधी जी का नाम लेना और दूसरी तरफ कातिल और जरायम पेशे वाले लोगों को छुड़वाकर, उनसे वोटरों को धमकी दिलाकर और डरवाकर वोट लेना और फिर यह कहना कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वह ठीक नहीं है। चूंकि कांग्रेस के एक भूतपूर्व मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त, जो लखनऊ में एक बार चुनाव हार चुके थे, उन्हें किसी प्रकार से केबीनेट में लाना था.....

श्री अध्यक्ष---आप बाहर जा रहे हैं। आप हर प्रकार के कुशब्द और हर प्रकार से दूसरों की नीयत पर आक्षेप कर रहे हैं। इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह मौका उसके लिये नहीं है। यह सीधा आक्षेप है यह कहना कि उनको केबीनेट में लाने के लिये अमुक कार्य किया गया। इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे सदस्य भी आपकी नीयत पर हमला करेंगे और उसकी भी मुझे इजाजत देनी होगी। ये बातें अनुचित होंगी। आपको शक हो तो पार्लियामेंटरी तरीका यह होता है कि आप कहें कि इसमें लोगों को शक पैदा हो सकता है कि सरकार ने कहीं इस नीयत से तो नहीं अमुक बात की, इस कारण सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये था। इस तरह से कहना दूसरी बात है। लेकिन यह निश्चित कहना कि इसी नीयत से सरकार ने कोई कार्य किया था, ऐसा कहने की मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप अपने संदेह का थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं और किसी कार्य के लिये जवाब और सफाई मांग सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उन कैदियों ने प्रचार किया और एक सदस्य पहले इस सदन के थे और एक सभा सचिव का नाम लिया जाता है वह भी इनके साथ गाड़ी में थे। सिसोलर, मुभई, टिकरी इत्यादि जगहों में जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पर जो दूसरी प्रत्याशी थीं, रानी राजेन्द्रकुमारी, उनकी वोटों पर असर पड़ा इसलिये ऐसी आशंका उत्पन्न हो गई है। यह भी कहा गया है कि जब पहले जिलाधीश से कहा गया कि इनको छोड़ने की सिफारिश की जाय तो ऐसा पता लगा है कि उन्होंने इन्कार कर दिया था। उन्हीं दिनों उन्हें हटाकर दूसरे जिलाधीश का वहां रखा जाना और उसके बाद पैरोल पर उन आदमियों को छोड़ना इन दोनों बातों से मेल लगता है कि चुनाव के लिये ही उन्हें छोड़ा गया था ऐसा सन्देह होता है।

ज्यादा न कहकर मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये कैदी कौन कौन थे, किन जुर्मों में कितनी कितनी सजायें इनको हुई थीं और छोड़ने की दरख्वास्त किसने और किसको दी थीं और छोड़ना कब तय हुआ और क्या यह सही है कि चूंकि पहले डी० एम० ने इनको रिकमेंड नहीं किया तो दूसरा डी० एम० वहां भेजा गया और उसकी सिफारिश पर ये लोग पैरोल पर छोड़े गये। क्या ये बातें सही हैं ?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि ३० जुलाई को इन प्रश्नों के उत्तरों से कुछ माननीय सदस्य मुतमइयन नहीं हो सके और इस बहस की जरूरत पड़ी। मैंने उस मौके पर यह बतलाया था कि इस प्रदेश में

फरवरी सन् १९५६ से एक योजना जारी है जिसके मातहत इस प्रदेश के खेतिहर कैदियों को दोनों फसलों में फसलों की कटाई के वक्त और बोआई के वक्त पैरोल पर छोड़ा जाता है और उससे काफी लोग फायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा कैदियों के रिहैबिलिटेशन व ग्रो मोर फूड को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह नीति है कि इस योजना से ज्यादा लोग फायदा उठावें। इस योजना के मातहत उन कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता जो ऐसे जुर्म में सजा पाये हों जिनके मुताल्कि कानून मर्कजी सरकार ही बना सकती है, जो दूसरे सूबे के रहने वाले हों या जिनको सजा दूसरे सूबे में दी गयी हो और इस प्रदेश में अपनी सजा का वक्त पूरा कर रहे हों। जिनका जरूरी सेवा केलिये जेल में रहना आवश्यक हो या जिनका चालचलन जेल में अच्छा न रहा हो। इसके अलावा कुछ दफायें ऐसी रखी गयी हैं जिनके मातहत सजायाफ्ता लोगों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता और वे दफायें ये हैं--दफा १२१ से १३० तक, दफा १३१ से १४० तक, दफा २२४ और दफा २२५ किन्तु इन दफाओं के मातहत केवल उन्हीं लोगों पर रोक रखी गयी है जिनको जेल से भागने के जुर्म में सजा हुई हो। दफा १२१ और दफा १३२, दफा ३०२, दफा ३११, दफा ३६४, दफा ३७६ और दफा ३७७, दफा ३३२, दफा ४०२ और दफा ४६०।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है वह यह कि वे जानना चाहते हैं कि कितनों को किन किन दफाओं में छोड़ा गया। अगर इस तरह से दफाओं के नाम लेने में ही इतना समय निकल गया तो आधा घंटा ऐसे ही समाप्त हो जायगा।

श्री मुजफ्फरहसन--यह बतलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस प्वाइंट पर जोर दिया गया है कि किन किन दफाओं के मातहत वे छोड़े गये हैं।

श्री अध्यक्ष--आप यह कह दें कि किस दफा के मातहत कितने कैदी छोड़े गये और किस दफा के मातहत ये छोड़े जा सकते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन--मैं उसी पर आ रहा हूं। कुछ दफाएं ऐसी हैं जिनके मातहत जो लोग सजा पाये हों अगर वे एक तिहाई सजा पूरी न कर लें तो वे इस योजना से फायदा नहीं उठा सकते। जो लोग सजा काल में पैरोल पर छोड़े जाते हैं उनके लिये जरूरी है कि वह मुकर्ररा फार्म पर सुपरिंटेंडेंट जेल की मार्फत दरख्वास्त भेजे। सुपरिंटेंडेंट रिपोर्ट दे कि जेल में उनका चालचलन अच्छा रहा.....

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, हम लोग पार्टिकुलर कैदियों के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री मुजफ्फरहसन--वह जिलाधीश को रिपोर्ट करता है, फिर जिलाधीश के लिये यह जरूरी है कि वह सिफारिश करे कि इसका छोड़ना मुनासिब है। रबी की फसल की बोवाई के वक्त ६ हफ्ते के लिये पैरोल पर छोड़ा जाता है और खरीफ की फसल की कटाई और बोवाई के वक्त ४ हफ्ते के लिये छोड़ा जाता है। पिछली रबी की कटाई के वक्त पैरोल पर छोड़े जाने के लिये जिन कैदियों की दरख्वास्तें आयीं उन पर कायदे के अनुसार कार्यवाही की गयी। इसके लिये हमीरपुर से १६ दरख्वास्तें आयी थीं जिनमें से केवल ९ मुकर्ररा फार्म पर थीं जो कायदे के मुताबिक थीं और बाकी बेकायदे थीं। इन ९ में से ८ को पैरोल पर छोड़ा गया और नवां आदमी चूंकि दफा ३०२ के अन्तर्गत सजायाफ्ता था इसलिये नहीं छोड़ा गया। जो लोग छोड़े गये उनमें से हरएक को सेशन जज़ हमीरपुर की अदालत से १०-४-५३ को ७ साल की कैद और २ सौ रुपये जुर्माने की सजा हुई थी।

एक सदस्य--ये किस दफा में पकड़े गये थे और किसमें इनको सजा हुई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--दफा १४७, १३२/१४९, १३३/१४९ और २२५/१४९ के मातहत इनको सजायें हुईं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं इतना और बतला दूं कि १९ फरवरी को उन्होंने दरख्वास्तें दी थीं लेकिन बाकायदा फार्मों पर वह जेल से नहीं आयी थीं और ९ मार्च को ये आयीं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री मुजफ्फरहसन--मैं यह कह रहा था कि ९ मार्च को वह जाब्ते से जेल के मातहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां आयीं और १३ तारीख को यहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश से आयीं। उन पर २० तारीख को यहां से हुक्म दिया गया और २३ तारीख को वह लोग छोड़े गये। माननीय सदस्य देखेंगे कि जिन दफाओं के मातहत इन लोगों को सजायें दी गयी थी वह डकैती या दूसरे ऐसे जुर्मों में नहीं थीं। बल्कि वह छोटे जुर्मों से ताल्लुक रखती हैं जिनको फसली पैरोल पर छोड़ने की आज्ञा इसमें मौजूद है।

यह बात भी सही नहीं है कि तब तक फसल कट चुकी थी। शायद गलतफहमी इस बुनियाद पर हुई कि फसल कटने से मतलब सिर्फ यह समझे गये कि सिर्फ खेत से फसल कटने से उसका ताल्लुक है। तो मैं यह अर्ज कर दूं कि फसल कटाई के लिये जो लोग छोड़े जाते हैं उसमें कट कर फसलों का जमा होना, उसकी दंवाई होना वगैरह जो काम होते हैं जिनमें काफी वक्त लगता है वह सब शामिल हैं। और इस सिलसिले में पहली अप्रैल तक लोग इस योजना के मातहत छोड़े गये हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या जनाब वजीरे कैदखाना यह बतलाने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि जो लोग तहसील हमीरपुर में छोड़े गये उनमें रामधनसिंह जी भी थे?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। रामधनसिंह भी थे।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या जनाब वजीरे कैदखाना यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि रामधनसिंह साहब किस जुर्म में बन्द किये गये थे?

श्री मुजफ्फरहसन--मैंने वह सब दफायें बता दी हैं।

श्री अध्यक्ष--वे इनके लिये खासतौर से पूछना चाहते हैं।

श्री मुजफ्फरहसन--सब एक ही जुर्म में बन्द किये गये थे।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सेशन जज की इजलास में सन् १९५३ में कन्विक्शन होने के बाद हाई कोर्ट में उनकी अपील हुई या नहीं और इस दौरान में वे लोग बेल पर थे या नहीं थे?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप पार्टिनेंट क्वैश्चन करें। हाईकोर्ट में अपील से सम्बन्ध नहीं है। यह असंगत है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दफा ३३२ के लोग पैरोल पर नहीं छोड़े जाते तो दफा ३३३ में जो सजा पाये हुए थे वे कैसे छोड़े गये जब ये दोनों दफायें तकरीबन एक सी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--मैंने जो दफायें बतायीं जिसमें कि नहीं छोड़े जाने चाहिये थे, वह दफायें इन लोगों के साथ नहीं ह।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि २२४ और २२५ आई० पी० सी० के अन्दर जिनको सजायें हुई हैं वे पैरोल पर नहीं छोड़े जायेंगे लेकिन यह भी उन्होंने बताया कि उनको २२५ में सजा हुई थी। तो फिर २२५ में जिनको सजा हुई थी वे कैसे छूटे ?

श्री मुजफ्फर हसन---२२५ में मैंने यह साफ कर दिया था कि जो लोग जेल से भागने के जुर्म में सजा पाते हैं उन्हीं के ऊपर यह रोक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ८ कैदी छोड़े गए थे पैरोल पर वह आठों सिर्फ मौदहा तहसील के थे और हमीरपुर जिले की किसी और तहसील में कितने छोड़े गये या बुन्देलखंड डिवीजन के किसी जिले में कितने छोड़े गये और अगर नहीं छोड़े गये तो क्यों नहीं छोड़े गये ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड वगैरह का तो प्रश्न नहीं था। हमीरपुर का प्रश्न था तो वहां के बारे में आप पूछें।

श्री मुजफ्फरहसन---जिस जगह की दरख्वास्त आयी उसी पर विचार हुआ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना है कि जब यह हमीरपुर में आठ कैदी छोड़े गये उस समय सूबे के और जिलों से दरख्वास्तें कितनी आयी थीं और उनमें कितने छोड़े गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---अब यह तफसील तो मैं इस वक्त पूरी नहीं दे सकूंगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मन्त्री जी ने बताया था कि वह लोग छोड़े जाते हैं जिनके यहां कि रबी की कटाई वगैरह का इन्तजाम करने वाला कोई नहीं होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक ही जुर्म में सजा पाये हुए इन आठों मुलजिमों के घर कोई खेती के काम को सम्हालने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस है। वह तो उसी नियम के अनुसार उन्होंने बताया है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा मौदहा के सम्बन्ध में चल रही है कि वहां के कैदी छोड़े गये इस सम्बन्ध में मैं अपने विरोधी पक्ष के लोगों को बतलाना चाहता हूं कि एक-एक परिवार के चार-चार व्यक्ति चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे उस घटना में सम्मिलित थे और जहां तक यह बात है कि चुनाव के लिये छोड़े गये थे या कटान के लिये छोड़े गये थे श्री पालीवाल जी ने यह बात कही थी उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उनका आवेदन-पत्र तो खेत कटने के बहुत पहले ही दे दिया गया था लेकिन वह आवेदन-पत्र सरकार की लापरवाही की वजह से एक महीने बाद स्वीकृत किये गये और ऐसे मौके पर स्वीकृत किये गये जब कि उनका आधा काम हो चुका था आधा काम बाक़ी था। जहां तक नियम की बात है रबी की फसल के कटान के वास्ते छः हफ्ते का समय था .....

श्री गौरीशंकर राय---प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर समाज सुरक्षा मन्त्री जी देंगे या और कोई देगा ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के नियम ४२ (४) को पढ़ लीजिये। मैं पढ़े देता हूं।

"The minister concerned will reply shortly. The Speaker may then permit other members to put questions or to express opinions."

वह अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मैं उसके लिए इजाजत उनको दे सकता हूं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—जहां तक खेत के कटान का सम्बन्ध है उस नियम में यह स्पष्ट लिखा है कि ६ हफ्ते के लिये रबी की फसल को काटने के लिये कैदी छोड़े जा सकते हैं और चार हफ्ते के लिये खरीफ की फसल को काटने के लिये कैदी छोड़े जा सकते हैं। उन लोगों को इस बात की शिकायत थी कि सरकार ने उन्हें केवल चार हफ्ते के लिये छोड़ा जब कि ६ हफ्ते के लिए छोड़ा जाना चाहिये था। हमारा खेती का काम पूरा नहीं हुआ। अधूरा हुआ।

जहां तक चुनाव की बात कही जाती है मैं यह बतला देना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में एक बार खड़े हुए थे रानी साहब के पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह जी। यह कैदी सब के सब कट्टर समर्थक थे तेज प्रताप जी के। यही नहीं जिस केस में वह सजा पाये थे उस केस में दीवान साहब ने और उनके परिवार के लोगों ने उन कैदियों को छुड़ाने के लिये पुलिस के खिलाफ काफी अच्छी तरह से पैरवी की थी क्योंकि केस तो एक पुलिस के थानेदार को मारने वाला केस था। कोई और केस नहीं था, उसी में अच्छी तरह से उन को छोड़ाने की कोशिश की गई थी। दीवान साहब के लोगों ने और उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड .....

श्री अध्यक्ष—यह सब असंगत होगा, यह दूसरों के ऊपर आक्षेप है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—अब मुझे इस संबंध में अन्त में एक बात और कहनी है कि मैंने उस इलाके में चुनाव के दिनों में रहकर देखा भी है कि वहां पर पुलिस के लोग और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग खुल्लमखुल्ला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काम करते थे जिसकी अधिकारियों को शिकायत की गई है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर क्या माननीय सुरक्षा मंत्री जी सरकार के इस ऐक्शन को कि मौदहा में उन्होंने यह कैदी छोड़े जस्टिफाई करने के लिये वह संख्या बतायेंगे कि पिछले वर्ष रबी की फसल काटने के लिये कितने आदमी छोड़े गये थे और इस वर्ष कितने छोड़े गये और पूरे प्रदेश में उस मौके पर इस वर्ष कितने आदमी पेरोल पर छोड़े गये और पिछले वर्ष कितने छोड़े गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने मजमुई तादाद तो बता दी कि जब से यह स्कीम आई है १२१ आदमी छोड़े गये हैं।

श्री गेंदासिंह—मैंने पूछा कि हमीरपुर जिले में कितने छोड़े गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह अलग फीगर मेरे पास नहीं है।

श्री झारखंडेय राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ८ आदमी छोड़े गये वह एक ही परिवार के थे या अलग-अलग परिवार के ?

श्री मुजफ्फर हसन—उनकी जो दरख्वास्तें आई थीं और जो बेजाब्ता थीं, कोई बीबी की तरफ से थी, कोई बेटे की तरफ से थी कोई किसी की तरफ से थी और इसी से हम नतीजा निकाल सकते हैं।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग छोड़े गये उनके संबंध में जो व्यक्ति इस वक्त हारे हुये हैं उनको भी यह सन्देह है कि उनके हारने का एक कारण यह भी है कि उनको चुनाव के मौके पर छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो आप जानते होंगे, मुझे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री गौरी शंकर राय—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन लोगों को सजा थानेदार को मारने के लिये हुई थी और वह उस इलाके के लिये पर्याप्त आतंक के कारण थे ?

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या यह सही है कि उन लोगों की पैरोल की दरखवास्तें एक बार जिलाधीश हमीरपुर नें नामंजूर कर दी थीं और बाद को दूसरे नये जिलाधीश ने उनको फार्वर्ड किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—फरवरी में जो दरखवास्तें मेरे पास आई वह बेजाप्ता थीं क्यों कि वह थ्रू जेल सुपरिंटेंडेंट नहीं आई थीं और इसी वजह से उस वक्त उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, बाद में वह बाजाब्ता जेल सुपरिंटेंडेंट के थ्रू कलेक्टर की सिपारिश के साथ आई।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी पैरोल पर छोड़े गये थे उनको टिकट खरीद कर दिया गया था या रेल का भाड़ा दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आज सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को इतना गम्भीर बना दिया गया है कि दूसरे बाहर के आदमी अगर देखेंगे तो समझेंगे कि बड़े भारी कोई कलंकी लोग छोड़ दिये गये थे। जैसा कि मंत्री जी ने बताया यह साफ है कि जो लोग छोड़े गये वह जेलखाने के नियमों के अनुसार ही छोड़े गये, जिलाधीश नें सिपारिश की और सुपरिंटेंडेंट जेल ने उनकी दरखवास्तों पर चलन की तस्दीक की और फार्वर्ड की।

कहा गया कि वह तो आतंक फैलाने के लिये छोड़े गये थे यह गलत है। मैं आपके द्वारा उधर के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब यह लोग गिरफ्तार किये गये थे और मामला चलाया गया उस समय जिन साहिबा के चुनाव का जिक्र करते हैं यानी श्रीमती राजेन्द्रकुमारी का यह कैदी उनके रिश्तेदार हैं और उनके पतिदेव श्री शत्रुघ्न सिंह और उनके लड़के श्री तेज प्रताप सिंह उस समय माननीय गृह मंत्री और उस समय के आई० जी० महोदय पुलिस के पास सिपारिश लेकर आये थे जब कि मैं उन दिनों में माननीय पंत जी के यहां काम करता था इसलिये मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने उन कैदियों की सिपारिश की थी। अन्त में मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो यह बातें की जा रही हैं उससे बड़ा भारी कलंक सम्मानित सदस्यों के ऊपर आयेगा।

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया। माननीय मंत्री जी को यदि कुछ अंत में कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं और बुधवार, २० तारीख को ११ बजे फिर बैठेगें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर बुधवार, २० अगस्त, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।,

लखनऊ;
१३ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

कार्यालय जहां श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं	संख्या	प्रादेशिक संराधन अधिकारी अथवा अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी की संख्या
१—कानपुर	१० (५ प्रधान कार्यालय)	९
२—फर्रुखाबाद	१	..
३—उरई (जालौन)	१	..
४—इलाहाबाद	५	२
५—बांदा	१	..
६—वाराणसी	३	..
७—मिर्जापुर	१	..
८—गाजीपुर	१	..
९—जौनपुर	१	..
१०—प्रतापगढ़	१	..
११—आगरा	५	२
१२—अलीगढ़	१	..
१३—हाथरस (अलीगढ़)	१	..
१४—फिरोजाबाद	२	..
१५—झांसी	१	..
१६—मथुरा	१	..
१७—शिकोहाबाद	१	..
१८—मेरठ	४	२
१९—देहरादून	१	..
२०—सहारनपुर	२	१
२१—मुजफ्फरनगर	१	..
२२—बुलन्दशहर	१	..
२३—हरद्वार (सहारनपुर)	१	..
२४—गाजियाबाद (मेरठ)	१	..
२५—लखनऊ	५	२
२६—उन्नाव	१	..
२७—सीतापुर	१	..
२८—फैजाबाद	१	..
२९—बाराबंकी	१	..
३०—लखीमपुर	१	..
३१—गोरखपुर	३	२
३२—पडरौना (देवरिया)	१	..
३३—देवरिया	१	..
३४—गोंडा	१	..
३५—बस्ती	१	..
३६—बहराइच	१	..

कार्यालय जहां श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं	संख्या	प्रादेशिक संराधन अधिकारी अथवा अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी की संख्या
३७—बरेली ..	.. ४	..
३८—पीलीभीत ..	.. १	१
३९—मुरादाबाद ..	.. १	..
४०—रामपुर ..	.. २	१
४१—बिजनौर ..	.. १	..
४२—शाहजहांपुर ..	.. १	..
योग	.. ८१	२२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अन्य विषयों के साथ कृषि संबंधी प्रशिक्षण को निम्नलिखित तीन बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों तथा दो गृह अर्थ विज्ञान केन्द्रों में दिये जा रहे हैं :

(१) बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पृथ्वीगंज, जिला प्रतापगढ़ ।
(२) बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, ज्योलीकोट, जिला नैनीताल ।
(३) बालवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, बोहाई, जिला मेरठ ।
(४) गृह अर्थ विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ ।
(५) गृह अर्थ विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, बोहाई, जिला मेरठ ।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५७५ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६।

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे आगे मूल 'अधिनियम' कहा गया है) कि धारा ४ में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) का स्पष्टीकरण (Explanation) निकाल दिया जाय ; तथा

(२) उपधारा (५) में अर्द्ध विराम (commas) तथा शब्द "Rajasthan, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal" निकाल दिये जायं।

३—मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन।

"(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave or any cause, other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacaney is, or is likely, to last for a period exceeding six months, call upon the Executive Council to forward its recommendations ;

(ii) in cases not covered by clause (i), call upon the Executive Council either to appoint the Vice-Chancellor or to make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit subject to the approval of the Chancellor.

Explanation—The Executive Council in making its recommendation under clause (i) shall comply with the provisions of sub-sections (1) to (4) and (6)."

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "so, however, that" निकाल दियें जायं;

(२) उपखंड (ए) तथा (बी) निकाल दिये जायं; तथा

(३) वर्ग २ की मद (५) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १७ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(1) The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and shall consist of the following persons, namely:

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Director of Education, Uttar Pradesh ;

(iii) the Deans of all the Faculties in the University;

(iv) three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes ;

(v) six members of the Senate, not being persons mentioned in clauses (i) to (iv) and who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(vi) one person, not falling under clauses (i) to (v) elected by the Academic Council in the manner prescribed by the Statute, and

(vii) five persons nominated by the, chancellor :

Provided that no member of the Executive Council shall, whether elected, selected or nominated, be eligible to become a member of the Executive Council for more than two terms in succession."

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय; तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द "relating to the" तथा "nomination" के बीच में शब्द तथा अर्द्धविराम (commas) "selection" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित नई उपधारा (१-ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"(1-A) (*a*) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the "Finance Committee") consisting of five persons from amongst its members out of whom at least two shall be persons not being in the services of the University or an affiliated college, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and Funds of the University.

(*b*) The Finance Committee shall elect each year from its members a chairman to carry on its business."

(२) उपधारा (२) में शब्द "Finance Committee" के स्थान पर शब्द "Committee of Reference" रख दिये जायं ।

७—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) तथा (४) में शब्द "Finance Committee" के स्थान पर शब्द "Committee of Reference" रख दिये जायं । यू० पी ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २०-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २०-ए का संशोधन।

"20-A. (1) The Committee of Reference shall, having due regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(2) The Committee of Reference may also, for any special reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it."

९—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (४) में शब्द "Substantive appointment" तथा "of a teacher" के बीच में शब्द "or a temporary or officiating appointment lasting for six months or more" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा २५-ए निकाल दी जाय । यू० पी ऐक्ट संख्या-८ की धारा २५-ए का हटाया जाना ।

११—मूल अधिनियम की धारा २७-ए की उपधारा (३) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय: यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २७-ए का संशोधन।

"Provided further that no Ordinance affecting the income or the expenditure of the University shall be made, amended, repealed or added to, unless prior consent in writing of the State Government to the draft of such an Ordinance has been obtained."

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) में शब्द "as nearly as possible" के पश्चात आने वाले शब्द "one-half" के स्थान पर शब्द "one-fourth" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ३१ का संशोधन ।

१३—राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिये विशेष कर मूल अधिनियम के उपबन्धों से, इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस ऐक्ट के उपबन्धों को संक्रमण के संबंध में सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो वह आवश्यक या इष्टकर समझ :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह माह के पश्चात ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर इस आधार पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि उपधारा (१) में उल्लिखित कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके दूर किये जाने की अपेक्षा नहीं थी ।

उद्देश्य और कारण

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ अन्तिम बार १९५३ में संशोधित हुआ था । परन्तु विगत ४ वर्षों के समय में संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ । अतः यह प्रस्ताव है कि अधिनियम को संशोधित करके इन कठिनाइयों को दूर किया जाय तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो अधिनियम के उपबन्धों में सुधार किया जाय ।

अतएव, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

कमलापति त्रिपाठी
शिक्षा मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३१ एल० ए०—१२५८—८३७ ।